मासिक

शिविरा पत्रिका

वर्ष : 53 मार्च, 2013 अंक : 9

प्रकाशन तिथि : 2 मार्च, 2013

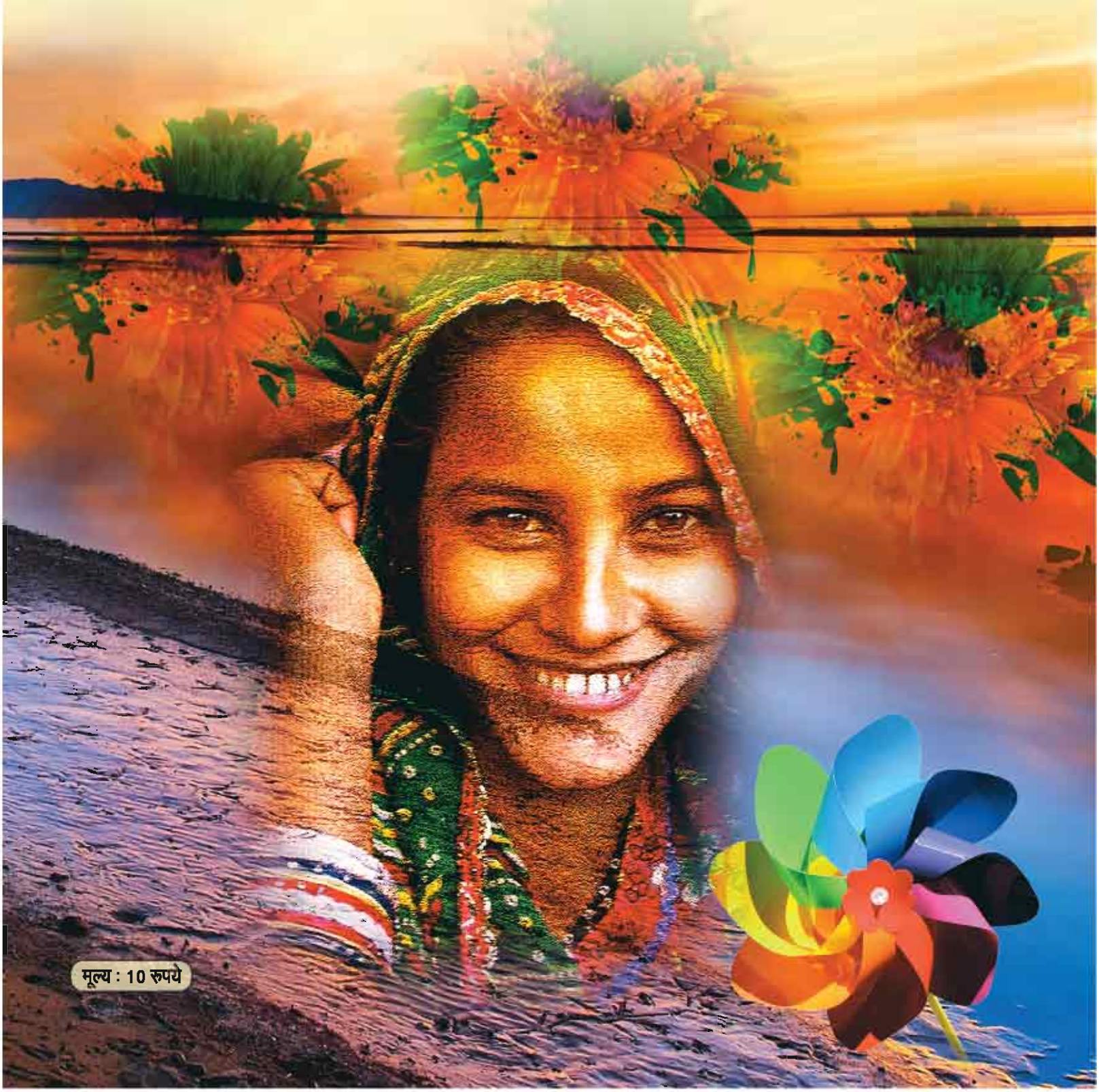

मूल्य : 10 रुपये

चित्र समाचार

(बाएँ) माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, माननीय शिक्षा मंत्री श्री बृजकिशोर शर्मा, माननीया शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ शिक्षाविद्, गणितज्ञ एवं पुरस्कृत शिक्षक श्री तेजकरण डंडिया जी के 103 वें जन्म दिवस पर उनका सम्मान करते हुए। *(दाएँ)* गरिमामय मंच।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा श्रेष्ठ विद्यालय पुरस्कार समारोह

(बाएँ) लगातार चौथे वर्ष राज्य स्तर पर श्रेष्ठ उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप में पुरस्कृत होने पर विशेष शील्ड प्राप्त करते राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, 40 जीबी, श्रीगंगानगर के प्रधानाचार्य श्री महेन्द्र कुमार चौधरी एवं शिक्षक। *(दाएँ)* मण्डल स्तर पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, तलवण्डी, कोटा की प्रधानाचार्या श्रीमती निर्मला आर्य पुरस्कार प्राप्त करते हुए।

(बाएँ) बीकानेर जिले के श्रेष्ठ उ.मा. विद्यालय का पुरस्कार प्राप्त करते हुए रा.उ.मा.वि., बरसिंहसर के प्रधानाचार्य श्री जगन्नाथ पंवार। *(दाएँ)* बाँसवाड़ा जिले की श्रेष्ठ माध्यमिक विद्यालय का पुरस्कार प्राप्त करते हुए राज. बालिका माध्यमिक विद्यालय, नई आबादी (बाँसवाड़ा) की प्रधानाध्यापिका श.फ.ब. 'अन्जुम'।

शिविरा पत्रिका

प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा का समाचार-विचार मासिक

वर्ष : 53 अंक : 9

मार्च, 2013

प्रकाशन तिथि : 2 मार्च, 2013

प्रधान सम्पादक
डॉ. वीना प्रधान

•

वरिष्ठ सम्पादक
ओमप्रकाश सारस्वत

•

सहायक
सांग सिंह
मुकेश व्यास

मूल्य : 10 रुपये

वार्षिक चंदा दर व शर्तें

- शिक्षकों/लिपिकों के लिए 50 रु.
- संस्थाओं/अन्य व्यक्तियों के लिए 100 रु.
- मनी ऑर्डर/बैंक ड्रॉफ्ट **निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर** के नाम देय है।
- पोस्टल ऑर्डर/चैक स्वीकार्य नहीं हैं।
- कृपया पूर्ण पता मय पिन कोड लिखें।

पत्र व्यवहार हेतु पता

वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा पत्रिका
माध्यमिक शिक्षा, राज. बीकानेर-334 011
दूरभाष : 0151-2528875
E-mail : teacher.today@yahoo.com

शिविरा पत्रिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने विचार होते हैं। अभिव्यक्त विचारों से शिक्षा विभाग राजस्थान का सहमत होना आवश्यक नहीं है। –व.सं.

न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते
श्रीमद्भगवद्गीता 4/38

इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसंदेह कुछ भी नहीं है।
In this world there is no purifier as great as knowledge.

इस अंक में

शाबास 40 जी.बी.	5	**दिशाकल्प**
पर्यटन, सांस्कृतिक संरक्षण एवं विद्यार्थी	6	**डॉ. ललित के. पंवार**
देश की शान - राजस्थान	9	**ओमप्रकाश सारस्वत**
संस्कार और जीवन व्यवहार	12	**नरोतम देवी**
परीक्षा का आतंक	13	**जॉन हॉल्ट**
सतत मूल्यांकन - एक सकारात्मक चिन्तन	19	**डॉ. दाऊदयाल गुप्ता**
महिला सशक्तीकरण : नये आयाम	21	**प्रतापमल देवपुरा**
रपट– श्रेष्ठ विद्यालय पुरस्कार समारोह	29	**ओमप्रकाश सारस्वत**
नारी शिक्षा के दिव्य दूत : महर्षि कर्वे	31	**वृद्धिचन्द गोठवाल**
संस्कार निर्माण में नारी की भूमिका	32	**सम्पतलाल शर्मा 'सागर'**
कन्या भ्रूण हत्या रोकने में प्रभावी नीति	33	**स्नेहलता पारीक**
गौ और गौरी का सम्मान	34	**साँवलाराम नामा**
बदलनी होगी हमें महिलाओं के प्रति सोच	35	**महेश चंद सिद्ध**
सजग हैं तो सुरक्षित हैं	36	**उषा टेलर**
हमारी संस्कृति - हमारी विरासत	37	**महेश कुमार चतुर्वेदी**
बालक में भाषा का विकास कैसे होता है?	38	**संतोष उपाध्याय**
वाह रे, आइन्सटीन !	39	**हरीश कुमार वर्मा**
शिक्षा में पर्यावरण	40	**उर्मिला नागर**
होली एक विज्ञान सम्मत त्यौहार	41	**अचलचन्द जैन**
पानी में मीन पियासी ना	50	**प्रतिध्वनि**

स्थाई स्तम्भ

पाठक पीठ - 4/आदेश परिपत्र 23-29/पुस्तक परिचय 42-44
शैक्षिक समाचार - 45/चतुर्दिक 46-47/शिविरा पंचांग - 48
विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम - 48/भामाशाह - 49

मुखावरण
नभांशु श्रीमाली

पाठक पीठ

शिविरा पत्रिका फरवरी, 2013 के अंक में प्रकाशित लक्ष्मीनारायण रंगा का आलेख 'शिक्षा, शिक्षक एवं अभिभावक' बार-बार पढ़ा। रंगा जी ने सटीक लिखते हुए स्पष्ट कर दिया है कि बालक के सर्वांगीण विकास में शिक्षा-शिक्षक एवं अभिभावक की महती भूमिका है। तीनों पक्षों में गहन तालमेल अत्यावश्यक है। वास्तव में बहुत गहरा चिन्तन है। आलेख में कई मौलिक प्रश्नों की ओर इंगित किया गया है, यथा स्कूल का स्तर, स्कूल का संचालक शिक्षाविद् है या व्यवसायी, क्योंकि शिक्षा को व्यवसाय के रूप में लेने वाले गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते, शिक्षा तो समर्पण का विषय है।

–शान्तिलाल सेठ, डाइट गढ़ी

शिविरा पत्रिका फरवरी, 2013 अंक के दिशाकल्प में निदेशक डा. वीना प्रधान ने हमारे बालक-बालिकाओं में वैज्ञानिक संस्कारों की निर्मिति के साथ ही अंधविश्वास एवं कुरीतियों से उन्हें बचाए रखने का संदेश दिया है जो प्रेरणादायक है। बच्चों का सांस्कृतिक उत्सव एवं देवाराम बुनकर का लेख 'एक प्रयास' पढ़कर सभी अध्यापकों को ऐसे प्रयास करने चाहिए। श्री लियाकत अली खां द्वारा प्रार्थना सभा की वाँछनीय व उपादेयता अनुकरणीय है। सभी लेखकों को साधुवाद।

–मानसिंह कस्वाँ, झुंझुनूं

शिविरा फरवरी, 2013 अंक में 'प्रतिध्वनि' के अन्तर्गत 'ठुमुकि चलत रामचंद्र, बाज पैंजनिया' (श्री ओमप्रकाश सारस्वत, वरिष्ठ संपादक) के माध्यम से बच्चों एवं बचपन के सन्दर्भ में अत्यन्त प्रभावोत्पादक शब्दों से अभिव्यक्ति प्रस्तुत की। 'बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं ... जिस प्रकार भगवान सर्वथा निर्मल एवं विमल होते हैं... सच्चाई और प्रामाणिकता के पुंज होते हैं बालक।'

वस्तुतः वर्तमान में बच्चों को न तो बच्चा समझ पाते हैं और न ही इनके बचपन की सरलता और सहजता का वातावरण दे पाते हैं। माता-पिता की महत्त्वाकांक्षाओं के बोझ में बच्चा दबता चला जाता है। आवश्यकता है हम पुनः सम्यक चिंतन कर बच्चों एवं इनके बचपन के लिए सार्थक प्रयास करें।

–एम.एल. जांगिड़, आई.ए.एस.ई., बीकानेर

शिविरा पत्रिका फरवरी, 2013 प्राप्त होते ही सारे पृष्ठ पलट लिये। विषयसूची को भी देखा, लेकिन कहीं भी स्काउट आन्दोलन के जन्मदाता लार्ड बैडनपावेल पर कहीं भी कोई आलेख समाचार आदि नहीं मिले। काफी वर्षों के बाद यह प्रथम फरवरी माह की शिविरा पत्रिका है, जिसमें यह कमी रही। बहुत पहले विभागीय गजट निकलता था, मैं तब से इसका ग्राहक हूँ, पाठक हूँ और लेखक भी हूँ। यही नहीं पृष्ठ 42 पर शिविरा पंचांग माह फरवरी 2013 में भी इसे विस्मृत कर दिया। जबकि राज्य सरकार और शिक्षा विभाग निरन्तर इसके लिए बहुत अधिक प्रयासरत है। दिनांक 22 फरवरी लार्ड बैडन पावेल व लेडी बैडन पावेल दिवस पर विश्व स्काउट गाइड दिवस का चिन्तन दिवस मनाते हैं।

दिशाकल्प में निदेशक महोदया ने 12 जनवरी को युवा दिवस का प्रेरणादायी दिशाकल्प लिखा है। उन्होंने 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने का जिक्र तो किया है, लेकिन 22 फरवरी को विस्मृत कर गये।

श्री रूपनारायण काबरा ने स्वाध्याय पर उत्तम प्रकाश डाला है, लेकिन कितने शिक्षक हैं, जो शिविरा पत्रिका को पढ़कर मनन, चिन्तन करते हैं। सिर्फ 6 पाठकों की ही तो प्रतिक्रिया पढ़ने को मिली - पाठक पीठ में। बहुत पहले शिविरा पत्रिका में बड़े अक्षरों में छपा था कि 'जो रोज पढ़ता है, वह रोज पढ़ाने का अधिकारी है।' स्वाध्याय की बात तो बहुत दूर की बात है। स्वाध्याय तो एक तप है। लेकिन शिक्षक अपने व्यवसाय सम्बन्धी अध्ययन कर लें तो वह भी एक तप ही है।

श्री लियाकत अली खां ने प्रार्थना सभा की वाँछनीयता और उपादेयता पर अपने अनुभवों के आधार पर प्रकाश डाला है। प्रत्येक विद्यालय अगर प्रार्थना सभा को ढंग से आयोजित करें तो दिनभर उस विद्यालय का अच्छा निकलता है। लेकिन कहाँ? अधिकतर विद्यालय तो सिर्फ करना है इसलिए कर देते हैं।

हमारी सांस्कृतिक धरोहर का रंगीन अंतिम पृष्ठ अच्छा लगा, इसके लिए सम्पादक जी को हार्दिक बधाई।

–राजेन्द्र प्रसाद सिंह डांगी, शाहपुरा (भीलवाड़ा)

चिन्तन

स्वर्ग माँ के चरणों में है
ईश्वर की प्रसन्नता पिता की प्रसन्नता है
ईश्वर की अप्रसन्नता पिता की अप्रसन्नता है
जो चाहते हैं कि वह आएँ
स्वर्ग में सर्वोत्तम द्वार से
वे प्रसन्न करें सदा माता-पिता को।

(पवित्र कुरान शरीफ की एक आयत का अनुवाद)

–स्रोत : The Family and the Nation
आचार्य महाप्रज्ञ एवं डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम पृ.सं.-99

सत्यमेव जयते

डॉ. वीना प्रधान
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

"विद्यालयों व शिक्षकों को पुष्ट करने या कि उन्हें संसाधन एवं सम्मान दिलाने का काम निःसंदेह समाज एवं सरकार का होता है। यह सौभाग्य की बात है कि भारतीय संस्कृति में शिक्षकों एवं शिक्षण संस्थाओं के प्रति सनातन काल से आदर का भाव रहा है जिसके वे अधिकारी हैं।"

दिशाकल्प

शाबास 40 जी.बी.

बालकों की शिक्षा-दीक्षा से सरोकार रखने वाले घटकों में विद्यालय, समाज, सरकार, शिक्षक व अभिभावक प्रमुख हैं। इनमें भी विद्यालय व शिक्षक प्रत्यक्ष तथा समाज, सरकार व अभिभावक परोक्ष घटक कहे जा सकते हैं। कुल मिलाकर विद्यालय व शिक्षकों पर ही शिक्षा का दारोमदार टिका है। विद्यालयों व शिक्षकों को पुष्ट करने या कि उन्हें संसाधन एवं सम्मान दिलाने का काम निःसंदेह समाज एवं सरकार का होता है। यह सौभाग्य की बात है कि भारतीय संस्कृति में शिक्षकों एवं शिक्षण संस्थाओं के प्रति सनातन काल से आदर का भाव रहा है जिसके वे अधिकारी हैं।

परिश्रमपूर्वक प्रतिबद्धता एवं समर्पण भाव से शिक्षण कार्य करने वाले कर्मयोगी शिक्षकों को प्रतिवर्ष सम्मानित करने की पावन परम्परा हमारे प्रान्त राजस्थान में लगभग पाँच दशकों से निर्विघ्न चल रही है। यह सम्मान समारोह हर वर्ष शिक्षक दिवस, 5 सितम्बर के दिन आयोजित किया जाता है। इसी प्रकार जिला, मण्डल एवं राज्यस्तर पर उत्कृष्ट परिणाम देने वाले श्रेष्ठ राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को भी प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है। पिछले महीने 8 फरवरी 2013 को अजमेर में सम्पन्न श्रेष्ठ विद्यालय सम्मान समारोह में 61 राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयों को नकद राशि एवं प्रशस्ति पत्र देकर माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा सम्मानित किया गया। वस्तुनिष्ठ एवं पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा हजारों राजकीय विद्यालयों में से ऐसे विरल सम्मान हेतु स्थान प्राप्त करना बहुत कठिन कार्य है। दरअसल यह किसी साधना से कम नहीं है। मैं इन सम्मानित विद्यालयों को बधाई एवं शुभकामनाएँ दिशाकल्प के माध्यम से देना चाहती हूँ।

मुझे यह जानकर अतिरिक्त प्रसन्नता हुई कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सूची में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला 40 जी.बी. समीपवर्ती जिले श्रीगंगानगर का एक छोटा सा गाँव है। मेरी प्रसन्नता यह जानकर द्विगुणित हो गई है कि यह विद्यालय पिछले चार वर्षों से राज्य स्तर पर लगातार प्रथम स्थान प्राप्त करता रहा है। इस अद्भुत उपलब्धि के लिए इस विद्यालय को माननीय शिक्षा मंत्री जी ने विशेष शील्ड देकर सम्मानित किया। शाबाश 40 जी.बी., इस उपलब्धि पर हमें गर्व है। प्रदेश के अन्य राजकीय विद्यालयों को ऐसे उत्कृष्ट विद्यालयों से प्रेरणा लेकर और बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आगामी वर्षों में श्रेष्ठता की यह पावन बेल निरन्तर पल्लवित-पुष्पित होती रहेगी।

वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2012-13 समापन की ओर अग्रसर है। औपचारिक शिक्षण कार्य समाप्त प्रायः है। परीक्षाओं का दौर शुरू हो चुका है। बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षाएँ सम्पन्न हो गई हैं। शिविरा का यह अंक आपके हाथों में पहुँचेगा तब तक बोर्ड की वार्षिक सैद्धान्तिक परीक्षाएँ भी शुरू हो चुकी होंगी। विद्यार्थियों की विषयगत तैयारी कराते हुए परीक्षा पैटर्न एवं उच्च मनोबल व नैतिकता का पाठ भी आप शिक्षकों को उन्हें पढ़ाना है। हमारे प्यारे प्रदेश राजस्थान का स्थापना दिवस इस माह, 30 मार्च को है। राजस्थान की आन, बान व शान की सीख हमारे विद्यार्थियों को हमें देनी है।

रंगों का त्यौहार होली इसी माह में है। महाशिवरात्रि का पावन पर्व भी हम इस माह में मनाएँगे। ये त्यौहार हमें प्रेम व भाईचारे की सीख देने वाले हैं। सहयोग, समन्वय, संवेदनशीलता, सहकार, सद्भाव, परिश्रम, निष्ठा जैसे उदात्त मानवीय गुण हम भारतीयों की पहचान रहे हैं। आइए, हम इन गुणों को आत्मसात करें।

(डॉ. वीना प्रधान)

पर्यटन व रोजगार

पर्यटन, सांस्कृतिक संरक्षण एवं विद्यार्थी

❑ डॉ. ललित के. पंवार

डॉ. ललित के. पंवार का नाम शिक्षा जगत में परिचय का मोहताज नहीं है। वे सर्व परिचित-सर्वप्रिय हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा में विभिन्न चुनौती भरे पदों पर निष्ठा एवं समर्पण भाव के साथ नवाचारयुक्त सेवाएँ आपने दी हैं, वे बेमिसाल हैं। शिक्षा को प्रगति का द्वार मानने वाले आपश्री शिक्षकीय गरिमा के प्रबल पक्षधर हैं। आप हमारे निदेशक, प्रमुख शासन सचिव रहे हैं। आप देश-प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के सूत्रधार हैं। वर्तमान में आप भारत सरकार में सचिव स्तर के अधिकारी, वाइस चेयरमैन एवं प्रबन्ध निदेशक, भारत पर्यटन विकास निगम लि., नई दिल्ली के पद पर कार्यरत हैं।

(डॉ. ललित के पंवार शब्द, वाणी एवं व्यवहार के धनी अधिकारी हैं। आप बहुत बड़े अधिकारी हैं लेकिन पद कभी आप पर हावी हुआ नजर नहीं आया। आपका मानवीय रूप बड़ा मोहक है। शिविरा के प्रधान संपादक के रूप में आप द्वारा लिखे दिशाकल्प शिक्षा विभाग की अनमोल थाती है। इन्हें सामान्य ज्ञान के रूप में शिक्षक स्मरण रखते हैं। हमारे निवेदन पर अपनी हजार व्यस्तता के बीच समय निकालकर इतना सुन्दर व उपयोगी आलेख भिजवाने के लिए शिविरा का आभार। –ब.सं.)

पर्यटक शब्द जेहन में आते ही एक उमंग सहज ही में दिलोदिमाग में छाने लगती है। विभिन्न स्थानों की कला-संस्कृति, लोगों की जीवन शैली, वेश-भाषा, कारोबार वास्तु व शिल्प, जलवायु व मौसम, वनस्पति व जीव-जन्तु, न जाने क्या-क्या देखने, अहसासने और लाभ उठाने का अवसर देता है पर्यटन! यह पर्यटन ही है जो विभिन्न स्थानों के लोगों एवं संस्कृतियों को परस्पर मिलने और आत्मीयता बढ़ाने का सौभाग्य प्रदान करता है। पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि विद्यालय स्तर से ही छात्र-छात्राओं को पर्यटन-दर्शन (Tourism Philosophy) की विधिवत जानकारी दी जाए ताकि उनके मन में इस धरती के कोने-कोने में निवास कर रहे व्यक्तियों के प्रति प्रेम, प्रकृति व सांस्कृतिक धरोहरों के पल्लवन-पुष्पन तथा परस्पर सहयोग व समन्वय के उदात्त गुणों का विकास हो सके। और हाँ, अर्थोपार्जन अर्थात रोजगार का अवसर तो साथ में मिलना ही है। इस प्रकार किसी भी देश के आर्थिक विकास में पर्यटन की महती भूमिका होती है।

तु वसुधैव कुटुम्बकम : भारत पर्यटन की दृष्टि से बहुत सम्पन्न देश है। अनेकता में एकता और तु वसुधैव कुटुम्बकम् (यह सारी पृथ्वी एक ही परिवार है) जैसे अमृत संदेशों को जीवन्त देखने के लिए दुनिया के कोने-कोने से पर्यटक वर्षपर्यन्त इस महान देश में आते रहते हैं। पर्यटन के अन्तर्गत आने वाली प्रत्येक वस्तु भारत में है और जो भारत में नहीं है, वह कदाचित पर्यटन में नहीं हो सकता। देश में पर्यटन का विकास करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक निगम **भारत पर्यटन विकास निगम लि.** संचालित है जो केन्द्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय के अन्तर्गत गठित एक मात्र सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जिसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है। यह निगम वाणिज्यिक संस्था के रूप में काम करते हुए मंत्रालय की एजेन्सी के रूप में पर्यटन की आधारभूत संरचना एवं पर्यटन विकास में हरावल भूमिका निभाता है। इतना ही नहीं, निगम आतिथ्य क्षेत्र में रोजगार के अवसर तलाशता हुआ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले खाद्य उत्सवों में सहभागिता कर भारतीय पाक-कला का संवर्धन करता है। पर्यटन मंत्रालय के समारोह प्रबन्धक के रूप में वैश्विक पर्यटन और ट्रेवल मार्टों एवं प्रदर्शनों में भारतीय पर्यटन के विविध रूपों तथा रंगों को प्रस्तुत करने का उल्लासकारी काम भी यह निगम करती है।

आओ नी पधारो म्हारे देश : भारत पर्यटन विकास निगम देश में पर्यटन के विकास एवं विस्तार के लिए अहर्निश कार्य कर रहा है। इसका मंगल उद्देश्य देश की शानदार विरासत की सार-सम्भाल सुनिश्चित करते हुए हमारे युवाओं, जो आज विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है। देश के गौरव एवं गरिमा के भाव तो उनके दिल में जगेंगे ही। इस प्रकार शिक्षा एवं पर्यटन का परस्पर नजदीक का रिश्ता है। वस्तुतः 2001-02 में अशोक होटल समूह के डेढ़ दर्जन होटलों के विनिवेश के पश्चात निगम ने अपने अन्य कार्यकलापों का समेकन किया तथा रोजगारोन्मुखी विभिन्न व्यावसायिक कार्यकलापों का शुभारम्भ किया। इनमें पर्यटन एवं इंजीनियरिंग परियोजनाओं के लिए परामर्श एवं निष्पादन, आतिथ्य क्षेत्र में प्रशिक्षण, कंसलटेन्सी सेवाएँ, समारोह प्रबन्ध, ध्वनि व प्रकाश प्रदर्शनों की संस्थापना आदि प्रमुख है। वर्तमान में निगम के अधीन देश में छः संयुक्त उद्यम होटलों सहित 14 होटल, आगरा में एक रेस्टोरेंट, कोसी एवं भरतपुर में प्रबन्धित दो एकक तथा दिल्ली महानगर में तीन खानपान एकक हैं। निगम ने अपने शुल्क मुक्त व्यापार के विस्तार हेतु एयरपोर्टों के साथ-साथ सीपोर्टों का विकास शुरू किया है। इसके अन्तर्गत वर्तमान में गोवा, चेन्नई, कोलकाता और हल्दिया में सीपोर्टों पर शुल्कमुक्त दुकानें यशपूर्वक संचालित है तथा शीघ्र ही विशाखापट्टनम, काकीनाड़ा और मेंगलूर में इसी तर्ज पर दुकानें खोले जाने के लिए

निगम प्रयत्नरत है।

लाभ की डगर-नौकरियों का अम्बार : भारत पर्यटन विकास निगम ने वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान बहुत श्रेष्ठ प्रदर्शन किया और पिछले दो वर्षों में लगातार हुई हानि को विदा कर लाभ अर्जित किया। यह उल्लेखनीय है कि निगम का कुल कारोबार 392.36 करोड़ रुपये से बढ़कर 423.06 करोड़ रुपये हो गया तथा कर पूर्व लाभ 22.02 करोड़ रुपये दर्ज करवाया जबकि इससे पिछले वर्ष में निगम का 11.73 करोड़ रुपये की करपूर्व हानि हुई थी। इस बार निगम ने पर्यटन मंत्रालय को 4.29 करोड़ रुपये का लाभांश जमा करवाया है। यह हमारी प्रगति का ज्वलंत प्रमाण है। इतना ही नहीं, वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान भी निगम के लाभ का ग्राफ निरन्तर ऊपर की ओर अग्रसर है। यह सब अशोकन परिवार के सभी सदस्यों के कठोर परिश्रम, प्रतिबद्धता एवं समर्पण भाव से सेवाएँ देने के कारण सम्भव हो पाया है जिस पर मुझे गर्व है। एक अनुमान के अनुसार पर्यटन के क्षेत्र में आगामी वर्षों में ढाई करोड़ नौकरियाँ उत्पन्न होने की आशा है और मुझे यकीन है कि पर्यटन निगम की हमारी टीम अपनी निष्ठा और मनोयोगपूर्वक सेवाओं के बल पर इस लक्ष्य को अवश्य पूरा कर दिखाएगी।

हुनर से रोजगार : पर्यटन मंत्रालय की हुनर से रोजगार नामक महत्वाकांक्षी योजना के लिए निगम अग्रणी निष्पादन एजेंसी है, जिसमें देश के शोषित व कमजोर वर्गों के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्राप्त करने के लिए आवश्यक कुशलता प्रदान की जाती है। अब तक हम 5000 से ज्यादा विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कर चुके हैं। इनमें से 1455 विद्यार्थी तो हाथों-हाथ रोजगार प्राप्त भी कर चुके हैं। इस प्रकार निगम के कल्याणकारी प्रयासों से लगभग डेढ़ हजार परिवारों में रोजी रोटी का इंतजाम हो गया है।

हुनर से रोजगार योजना के अंतर्गत यह प्रशिक्षण भारत पर्यटन विकास निगम के अपने प्रशिक्षण संस्थान ''अशोक आतिथ्य एवं पर्यटन प्रबंध संस्थान'' के माध्यम से दिया जाता है और हमारे विश्व प्रसिद्ध ''अशोक होटल समूह'' के पाँच सितारा एवं तीन सितारा होटल इसके लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण तथा परीक्षण प्रयोगशालाओं के रूप में कार्य कर रहे हैं। ''अशोक आतिथ्य एवं पर्यटन प्रबंध संस्थान'' आईएसओ 9001:2008 प्रमाणित संस्थान है, जिसे निगम के होटलों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए 1971 में शुरू किया गया था। इस संस्थान को भारत ही नहीं अपितु समूचे एशिया-प्रशांत क्षेत्र में पहला आईएसओ प्रमाणित आतिथ्य संस्थान होने का गौरव प्राप्त है। निगम के कुछ होटलों के विनिवेश के पश्चात यह संस्थान 2002 में एक रणनीतिक व्यावसायिक एकक बन गया और इसने आतिथ्य उद्योग से जुड़ी बाहर की एजेंसियों के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम करने शुरू कर दिए तथा आतिथ्य उद्योग से सम्बन्धित अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक पाठ्यक्रम भी प्रारम्भ किए।

यह है हुनर से रोजगार योजना : सरकार की कल्याणकारी एवं समाज हितैशी ''हुनर से रोजगार'' योजना के अन्तर्गत 18 से 28 वर्ष की आयु के ऐसे युवक एवं युवतियों को रोजगार पाने योग्य कुशलता प्रदान की जाती है, जो किन्हीं विषम परिस्थितियों के कारण उच्च अध्ययन कर किसी प्रकार का रोजगार हासिल नहीं कर पाए हैं। यह प्रशिक्षण खाद्य व पेय सेवा, खाद्य उत्पादन, हाउसकीपिंग व यूटिलिटी सेवा और बेकरी व पैटिसरी क्षेत्र में प्रदान की जा रही है। यह प्रशिक्षण निःशुल्क है। प्रशिक्षण अवधि में प्रत्येक छात्र को वर्दी, पाठ्यक्रम सामग्री, औजार, भोजन एवं सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने पर 1500 से 2000 रुपये तक का वजीफा एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है। इस प्रकार इस योजना का उद्देश्य न्यूनतम आठवीं कक्षा पास 18-28 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं को आतिथ्य एवं पर्यटन से सम्बन्धित क्षेत्रों में अल्पकालीन कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना है, ताकि उन्हें उपयुक्त रोजगार प्राप्त हो सके। शिक्षा विभाग इस महती योजना से हजारों छात्र-छात्राओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा सकता है।

जयपुर, गुवाहाटी, भोपाल, रांची, पटना, दिल्ली स्थित निगम के होटलों में इस कार्यक्रम के आयोजन के अलावा प्रबन्ध संस्थान ने एनएसएफडीसी, नई दिल्ली, हरियाणा पर्यटन निगम, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, एम-ट्रिक्स, नई दिल्ली, पीएमएससी जयपुर, ए-बल बेंगलूर/दिल्ली, आईएलएंडएफएस नई दिल्ली, आर्क शिपिंग मैनेजमेंट गोवा, कैम्पस एण्ड बियोंड नई दिल्ली, देश हृदय मन डवलपमेंट सोसायटी नई दिल्ली, डीएलएफ फाउंडेशन नई दिल्ली, एनआईएएम फरीदाबाद, सीआईएम नागपुर, राइज इंडिया, नई दिल्ली, एनआईपीएसएसएचएम कोलकाता, चाइल्ड रीच इंडिया इंटरनेशनल नई दिल्ली, आईसोवा वेलफेयर सोसायटी नई दिल्ली, टीम लीज बेंगलूर/दिल्ली, नीमराना होटल समूह नई दिल्ली/नीमराना, सागर रत्ना ग्रुप नई दिल्ली, 'प्रयास' नई दिल्ली तथा 'खुशी' नई दिल्ली जैसे सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों के साथ मिलकर देश के बेरोजगार युवाओं को बड़ी संख्या में इस योजना का लाभ दिया है।

कपिल देव बने ब्रांड एम्बैसेडर : महान क्रिकेटर कपिलदेव, जिन्होंने 1983 में भारत को क्रिकेट का विश्व कप विजेता बनाकर गौरवान्वित किया था, इस महत्वाकांक्षी योजना 'हुनर से रोजगार' के ब्रांड एम्बैसेडर हैं। योजना के आरम्भ में मंत्रालय द्वारा निगम को 500 युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य दिया गया था, जिसे बढ़ाकर 1500 कर दिया गया। लक्ष्य के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2010-11 के अंत में निगम ने इस योजना के अधीन 1589 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया और ऐसे प्रशिक्षित अधिकांश युवाओं को विभिन्न बड़े ब्रांड होटलों में नौकरी प्राप्त हुई।

इस योजना को पर्यटन एवं आतिथ्य के क्षेत्र में रोजगार के व्यापक अवसर होने के कारण तथा इस क्षेत्र में प्रशिक्षित कर्मचारियों की उपलब्धता कम होने के कारण राष्ट्रीय स्तर पर भारी महत्व प्राप्त हुआ है। कतिपय रेखांकन योग्य बिन्दु इस प्रकार हैं–

- पर्यटन मंत्रालय ने निगम को इस योजना के अधीन 5000 छात्रों

को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य दिया।

- जनवरी 2013 के अंत तक निगम अपने सहयोगियों के साथ 5426 से ज्यादा छात्रों को प्रशिक्षित कर चुका है।

- निगम ने स्वयं आगे बढ़कर पर्यटन मंत्रालय से अनुरोध किया है कि इस वित्तीय वर्ष में 5000 के मूल लक्ष्य को संशोधित करके 10000 किया जाए।

- भारत पर्यटन विकास निगम, हरियाणा पर्यटन विकास निगम और राजस्थान पर्यटन विकास निगम के साथ समझौता कर चुका है और दोनों राज्य पर्यटन विकास निगम प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए निगम के साथ समझौता-ज्ञापनों पर हस्ताक्षर कर चुके हैं।

- इस प्रशिक्षण को अल्पसंख्यक समुदाय तक पहुँचाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। अतः इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के 1000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इतना ही नहीं निगम अन्यथा समर्थ युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय विकलांग वित्त व विकास निगम के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है।

- सामाजिक दायित्व के रूप में निगम ने हुनर से रोजगार के छात्रों के लिए अशोक फैलोशिप योजना शुरू की है, जिसके अन्तर्गत 90 प्रतिशत उपस्थिति वाले छात्र को 1400 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2012-13 में अशोक फैलोशिप के रूप में कुल 24 लाख रुपए वितरित किए जा रहे हैं।

हुनर से रोजगार योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्य-क्षेत्रों में इन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। निगम ने इन पाठ्यक्रमों के लिए अपने होटलों का व्यावहारिक प्रशिक्षणशालाओं के रूप में प्रयोग करके इनकी गुणवत्ता में वृद्धि की है और साथ ही उनको रोजगारोन्मुखी बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। निगम ने समाज के अलग-अलग पिछड़े और अन्यथा समर्थ व्यक्तियों को भी शामिल करने के प्रयास किए हैं और इस दिशा में विभिन्न संगठनों का सहयोग भी प्राप्त किया है। निगम ने आईएलएंडएफएस, नई दिल्ली के साथ मिलकर अपने संयुक्त उद्यम होटल रांची अशोक में खाद्य व पेय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के 17 बैच सफलतापूर्वक आयोजिए किए हैं। इसी प्रकार हरियाणा पर्यटन निगम के सहयोग से अम्बाला में इस योजना को शुरू किया। अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं के लिए निगम ने प्रोग्रेसिव मुस्लिम सोशल सर्कल के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं और राजस्थान की राजधानी गुलाबीनगर जयपुर में 65 छात्रों के दो बैच आरम्भ किए गए हैं। इसी प्रकार 25 छात्रों का एक बैच का पटना में प्रशिक्षणरत है।

आतिथ्य सुरक्षा गार्ड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का शुभारम्भ करके पर्यटन मंत्रालय ने इस योजना में एक नए क्षेत्र को शामिल किया है, जिसके प्रारम्भिक बैच के आयोजन का उत्तरदायित्व निगम को सौंपा गया था। इस पाठ्यक्रम में 18 से 28 वर्ष के आयुवर्ग के 10वीं पास युवाओं को दो महीने का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण दिया गया और पासिंग-डे परेड में उनको नौकरी के प्रस्ताव पत्र भी प्रदान किए गए। इस पाठ्यक्रम का आयोजन शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट महीश त्रिखा फाउण्डेशन के सहयोग से किया गया।

और अब विश्वविद्यालय : इसके अलावा आतिथ्य क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करने के मामले में भी निगम ने एक और मील का पत्थर पार किया है और एक पूर्णतः सुसज्जित पर्यटन विश्वविद्यालय स्थापित करने की दिशा में मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। निगम का यह ग्लोबल पर्यटन व आतिथ्य विश्वविद्यालय, राई (हरियाणा) में लगभग 40 एकड़ भूखण्ड पर बनाया जाएगा। यह देश में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय होगा, जो पर्यटन एवं आतिथ्य शिक्षा के क्षेत्र में बेहद कारगर कदम होगा और देश में रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगा।

ये रहे हमारे आगामी कदम : भारत पर्यटन विकास निगम की आगामी योजनाएँ इस प्रकार हैं–

- सुविकसित योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक परिसम्पत्ति से अधिकतम राजस्व प्राप्त करना।

  - पब्लिक प्राइवेट भागीदारी परियोजनाओं के रूप में बजट श्रेणी के पर्यटक आवास विकसित करने के लिए राज्य पर्यटन विभागों एवं निगमों के साथ गठजोड़ करना।

  - धन आधारित ग्राहकोन्मुख सेवाओं का मूल्यवर्धन।

  - नए व्यावसायिक क्षेत्रों, विशेषकर पब्लिक प्राइवेट भागीदारी (PPP) माध्यम से प्रवेश करके प्रचालन के क्षेत्र का विस्तार करना।

  - नए होटल स्थापित करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों विशेषकर, उत्तर-पूर्वी राज्यों के साथ संयुक्त उद्यम गठजोड़ बनाना। निगम आगे बढ़ते हुए पब्लिक प्राइवेट भागीदारी के अन्तर्गत त्रिपुरा सरकार के साथ अगरतला में होटल खोलने के लिए संयुक्त उद्यम कम्पनी बना रहा है।

  - उत्पाद उन्नयन, बेहतर सेवाओं और विकसित जनसम्पर्क के माध्यम से ब्राण्ड छवि में सुधार करना।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत पर्यटन विकास निगम अगले वित्तीय वर्ष 2013-14 में 1000 करोड़ रुपए का कुल कारोबार करने वाली कम्पनी बनेगी। साथ ही मुझे यह भी आशा है कि राजस्थानवासी भी पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की इस जन-कल्याणकारी योजना 'हुनर से रोजगार' का लाभ उठाने में पीछे नहीं रहेंगे और सशक्त समाज निर्माण में भारत सरकार को पूर्ण सहयोग देंगे। शिक्षा विभाग इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ युवा वर्ग को दिलाने में महत्ती भूमिका निभा सकता है। राजस्थान के गुरुजन की योग्यता एवं क्षमता से मैं चिरपरिचित हूँ। वे अपने विद्यार्थियों की उत्तम शिक्षा-दीक्षा को सुनिश्चित करते हुए उनके सफल व सुखमय जीवन के लिए रोजगारोन्मुखी कौशल की आवश्यक जानकारी यथा समय उन्हें देंगे, यह निश्चित है।

–वाइस चेयरमैन व प्रबंध निदेशक
भारत पर्यटन विकास निगम लि., स्कोप काम्पलेक्स, कोर-8, नई दिल्ली-03

राजस्थान दिवस : 30 मार्च

देश की शान - राजस्थान

❑ ओमप्रकाश सारस्वत

राजस्थान वस्तुतः भारत की गौरवभूमि है। सचमुच देश की शान है- राजस्थान। आर्य्यावर्त का प्राण है यह मरूप्रदेश। ऐसा व्यक्ति शायद ही कोई हो जो यह नहीं जानता कि अतुलित बलधारी राजपूतों ने संकट के समय अपने देश की रक्षा के लिए रक्त की नदियाँ बहा दी। राजस्थान भारत की वीर भूमि है। राजस्थान की धरती का कण-कण वीरों के वरदानी रक्त से सिंचित और प्राणित है जो इसके प्राचीन गौरव व शानदार विरासत को याद दिलाता है। राजस्थान का इतिहास जिस प्रशंसनीय वीरता, अनुकरणीय आत्मोत्सर्ग, पवित्र त्याग और आदर्श स्वातंत्र्य प्रेम का संदेश देता है, वैसा अन्य किसी स्थान का नहीं। इस विकासशील प्रदेश की विरासत विलक्षण क्रान्ति और वीरों के त्याग व बलिदान की गौरवमयी गाथाओं से ओतप्रोत है जिनके बल पर भारतवासी आज भी शानपूर्वक अपना मस्तक ऊँचा कर सकते हैं।

ऐतिहासिक दृष्टि से राजस्थान देश के उन गिने-चुने राज्यों में है जिनकी पहचान अपनी शानदार परम्पराओं का सदैव पालन करने के लिए तत्पर रहने वालों के रूप में होती है। राजस्थान की माटी में जन्म लेने वालों ने जहाँ दुर्गा एवं सरस्वती दोनों की साधना की है, वहीं शस्त्र एवं शास्त्रों की पूजा-अर्चना भी एक ही समय में साथ-साथ की है। ऐसा माना जाता है कि राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर तथा बीकानेर भू-भाग के रेगिस्तानी क्षेत्रों में कभी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सरीखी बस्तियाँ आबाद थीं। **एच.जी. वेल्स** के अनुसार लगभग 25000 वर्ष पहले राजस्थान के स्थान पर एक विस्तृत समुद्र का होना पाया जाता है। सरस्वती नदी राजस्थान में बहकर आती और इसी समुद्र में गिरकर उसके उदर में समा जाती। परम पावन पतितपावनी सरस्वती नदी के तट पर बैठकर वैदिक ऋषियों ने ऋग्वेद की ऋचाओं का सृजन कर मानवता के कल्याण के लिए ऐसा अद्भुत ग्रन्थ प्रदान किया।

द्रुमकुल्य सूख कर बना मरुप्रदेश

वाल्मीकि रामायण में भी एक ऐसा दृष्टान्त आया है जो यह प्रमाणित करता है कि वैदिक युग में राजस्थान का भू-भाग समुद्र सलिल से परिपूर्ण था। रामायण में कहा गया है कि वानर सेना को समुद्र से पार होकर लंका की तरफ पहुँचने के लिए राम ने पहले सागरराज से रास्ता देने की प्रार्थना की, लेकिन अभिमानी समुद्र ने राम की प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। तब अनुज लक्ष्मण के कहने पर राम ने अपना आग्नेयास्त्र चलाकर समुद्र को सोखने का विचार किया। राम जब आग्नेयास्त्र छोड़ने ही वाले थे, तभी अभिमानी समुद्र उनके सामने प्रकट हुआ। हाथ जोड़कर अत्यन्त दीनता से उसने निवेदन किया 'हे राम ! उत्तर दिशा में मेरा ही एक भाग **द्रुमकुल्य समुद्र** है जिसके किनारे डाकू और आभीर लोग मेरा ही जलपान करते हुए विचरण कर पापाचार कर रहे हैं। हे राम ! आप अपना आग्नेयास्त्र उन पर छोड़कर उस जगह को पापमुक्त कीजिए।' राम ने समुद्र की प्रार्थना को मानकर अपना आग्नेयास्त्र उत्तर दिशा में छोड़ दिया। इस प्रकार द्रुमकुल्य सूखकर मरुभूमि में बदल गया। राजस्थान में मारवाड़ के पश्चिमी भाग में शंख, सीप आदि के मिलने के कारण यह पुष्टि होती है कि कभी यहाँ समुद्र था। इसी प्रकार राजस्थान में स्थित खारे पानी की साम्भर झील भी यही सिद्ध करती है।

पाण्डव भी रहे इस मरु क्षेत्र में

महाभारत के पाण्डवों ने अपने अज्ञातवास का तेरहवाँ वर्ष राजस्थान में बिताया, ऐसा संकेत इतिहास में मिलता है। भूतपूर्व जयपुर रियासत का बैराठ नामक कस्बा ही सम्भवतः वह **विराट नगर** है जहाँ पाण्डवों ने द्रोपदी के साथ अपने अज्ञातवास का तेरहवाँ वर्ष व्यतीत किया। कोटा में चम्बल के किनारे **कुंसुआ** नामक स्थान है। कहा जाता है कि **महर्षि कण्व** का आश्रम यहीं रहा। धार्मिक ग्रन्थों में उपलब्ध प्रमाणों के अनुसार ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करने के बाद जिस स्थान को यज्ञ के लिए चुना वह पुष्कर ही था। पुष्कर में ब्रह्मा का भव्य मन्दिर है। न केवल भारत में ही अपितु पूरे संसार में पुष्कर राजस्थान को प्रसिद्धि दिलाता आया है। इस प्रकार यह तो स्पष्ट ही है कि राजस्थान की प्राचीन पृष्ठभूमि बड़ी समृद्ध रही है।

शक्ति और भक्ति का अनुपम संगम

शक्ति और भक्ति के अनुपम उदाहरणों वाला अद्भुत क्षेत्र है मरू प्रदेश राजस्थान। भक्ति की भावधारा यहाँ अविरल प्रवाहित हुई है। सन्त सुन्दरदास और दादूदयाल ने अपनी निर्गुण वाणी के द्वारा जहाँ निराकार ब्रह्म का सन्देश दिया, वहीं भावभक्ति की विलक्षण प्रतिभा दर्द दीवानी मीरां ने राजस्थान के कण-कण में भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं का अवगाहन करवाया है। पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, खुमाण रासो और बीसलदेव रासो जैसी वीर रस प्रधान सृजनाएँ इसी मरूप्रदेश में हुई हैं। राजस्थान में रहते हुए महाकवि बिहारी ने बिहारी-सतसई और पद्माकर ने जगत-विनोद जैसी कालजयी रचनाएँ तैयार कीं जो हर युग व हर परिस्थिति में एक नूतन राह दिखा सकती है। महाकवि बिहारी जयपुर के महाराजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। बीकानेर के महाराजा अनूपसिंह स्वयं संस्कृत भाषा के प्रकाण्ड पण्डित होने के साथ विद्वज्जनों के आश्रयदाता थे। उनके संरक्षण में कवि भावभट्ट ने अनूप संगीत विलास और अनूप रत्नाकर जैसे अद्भुत ग्रन्थ लिखे जिनमें संगीत के विभिन्न पक्षों का बड़ा तार्किक विवेचन किया गया है। राजस्थान में पैदा हुए संस्कृत के महाकवि

माघ और भक्त-कवयित्री मीरां के साथ वेलि क्रिसन रुकमणी री नामक महाकाव्य के रचयिता महाकवि पृथ्वीराज राठौड़ का नाम प्रान्त की सीमाओं को लाँघ कर समग्र भारतीय साहित्य में परम आदर के साथ लिया जाता है। बीकानेर में जन्में महाकवि पृथ्वीराज राठौड़ 'पीथल' महाराणा प्रताप के समकालीन थे। महाराणा के द्वारा बादशाह अकबर से सन्धि करने की सम्भावना का पता लगने पर राणा को उनकी आंण-माण को याद दिलाते हुए जोशीला पत्र इन पृथ्वीराज राठौड़ ने ही लिखा था जिसे पढ़कर महाराणा प्रताप ने अपने प्रण के अनुसार अडिग रहने का फैसला किया। स्वतन्त्रता के अमर सेनानी, त्याग-बलिदान और देश-भक्ति के प्रतीक महाराणा प्रताप की प्रशंसा में भावुक होकर महाकवि पृथ्वीराज ने लिखा है–

''माई अेहड़ा पूत जण, जेहड़ा रांण प्रताप,
अकबर सूतो ओझके, जांण सिराणै सांप।''

अद्‌भुत स्थापत्य कला

राजस्थान में चित्रकला के क्षेत्र में असाधारण, चित्ताकर्षक एवं अचम्भित कर देने वाला काम हुआ है। यहाँ की किशनगढ़ एवं बून्दी शैली में चित्रकला की जो मौलिकता एवं भाव-व्यंजना है, वह सचमुच अद्वितीय है। राजस्थान में स्थित भव्य राज प्रसादों एवं स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूनों के रूप में निर्मित व सुसज्जित विशाल हवेलियों में बने भित्ति-चित्र हमारी कलाप्रियता की कहानी कहते हैं। स्थापत्य कला की दृष्टि से देखें तो राजस्थान अत्यधिक सम्पन्न है। आबू में देलवाड़ा के जैन मन्दिरों को देखकर किसकी आँखें फटी न रह जाएँगी। उदयपुर, भरतपुर, चित्तौड़, रणथम्भौर आदि के किले, जैसलमेर और बीकानेर की हवेलियाँ, आमेर और डीग के भव्य राजमहल, रणकपुर के देवालय देखकर राजस्थान की उच्च व समृद्ध स्थापत्य और मूर्ति कला को समझा जा सकता है। राजस्थान में इन्हें देखकर समझने में फर्गुसन व हॉवेल जैसे निष्णात शिल्पकारों को भी बहुत हैरानी हुई थी।

देश की शान-राजस्थान

राजस्थान वस्तुतः भारत की गौरवभूमि है। सचमुच देश की शान है- राजस्थान। आर्य्यावर्त का प्राण है यह मरूप्रदेश। ऐसा व्यक्ति शायद ही कोई हो जो यह नहीं जानता कि अतुलित बलधारी राजपूतों ने संकट के समय अपने देश की रक्षा के लिए रक्त की नदियाँ बहा दी। राजस्थान भारत की वीर भूमि है। राजस्थान की धरती का कण-कण वीरों के वरदानी रक्त से सिंचित और प्राणित है जो इसके प्राचीन गौरव व शानदार विरासत को याद दिलाता है। राजस्थान का इतिहास जिस प्रशंसनीय वीरता, अनुकरणीय आत्मोत्सर्ग, पवित्र त्याग और आदर्श स्वातंत्र्य प्रेम का संदेश देता है, वैसा अन्य किसी स्थान का नहीं। इस विकासशील प्रदेश की विरासत विलक्षण क्रान्ति और वीरों के त्याग व बलिदान की गौरवमयी गाथाओं से ओतप्रोत है जिनके बल पर भारतवासी आज भी शानपूर्वक अपना मस्तक ऊँचा कर सकते हैं।

वीर-वीरांगनाओं की पावन भूमि

राजस्थान के रण-बांकुरों की वन्दनीय गौरव गाथाएँ भारतीय इतिहास के पृष्ठों में स्वर्णाक्षरों में लिखी हुई हैं। सांगा, प्रताप, जयमल पत्ता, दुर्गादास जैसे वीर योद्धा, हाडी राणी और कर्णावती जैसी अद्‌भुत वीरांगनाएँ, भामाशाह सरीखे त्यागी और पद्‌मनी जैसी रूपसियाँ अपने उदात्त मानवीय गुणों एवं चारित्रिक विशेषताओं के कारण हर युग के लिए अनुकरणीय आदर्श बन गई हैं। यह कहा जाता है कि वीर पिता की सन्तान कायर हो सकती है लेकिन वीर माता की सन्तान कभी कायर नहीं हो सकती। युद्ध भूमि में अपने प्राणों की आहुति देने के लिए राजस्थान की माँ ने आरती कर अपने वीर पुत्र को सदैव विदा किया है। युद्ध में पीठ मत दिखाना 'वार हो तो सीने पर हो पीठ पर नहीं', 'मेरे दूध की आन रखना' जैसे सन्देश अपने पुत्रों को देने वाली वीरांगनाओं को राजस्थान का इतिहास बनाने का श्रेय दिया जाना उचित ही होगा। राजस्थान की वीर माता के लिए कहा गया है–

जननी ! जण अहड़ा जणे, कै दाता कै शूर,
नातर, रहजे बांजड़ी, मती गमाजै नूर।

(कवि कहता है कि हे माँ ! यदि तुम्हें सन्तान पैदा करनी हो तो उदार दानी या शूरवीर पैदा करना। यदि दानी या वीर सन्तान पैदा नहीं कर सको तो फिर अपनी जवानी मत गँवाना और बाँझ ही रह लेना।)

सन्तान के गर्भ में पलते समय भी राजस्थान की वीर माता अपने आचार-विचार, खान-पान, संगति आदि से मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की परवाह नहीं करने वाले अमृत पुत्र की ही कामना करती है। पुत्र जब जन्म ले लेता है तो उसे देश व मातृभूमि की रक्षा करने का प्रण जन्मघूटि में पिलाया जाता है। अबोध, दूध पीता श्रावक सम क्षत्राणी के पुत्र को झूले में झुलाते समय उसकी वीर माँ शिक्षा देती है–

इळा न देणी आपणी, हालरियाँ हुलराय,
पूत सिखावै पालणै, मरण बड़ाई माय।

वीर माता पालने में झूल रहे अपने पुत्र को दुलारती हुई कहती है कि हे पुत्र ! अपनी जमीन (मातृभूमि) दुश्मन को कभी नहीं देनी है अर्थात् उसकी हर हालत में रक्षा करनी है। बेटा, मातृभूमि की रक्षा करते हुए मर जाने में ही तुम्हारी कीर्ति है।)

इणरो चित्तौड़ो गढ़ लूंठो

चित्तौड़ के इतिहास को देखकर नारी जाति का शीश गौरव से ऊँचा हो जाता है। एक बार नहीं, अनेकों बार यहाँ की वीरांगनाएँ जौहर की ज्वाला में कूदीं। हाडी रानी, महारानी महामाया, पद्‌मनी, किरनदेवी आदि के नाम इतिहास के आभा मण्डल में जगमगाते सितारों की तरह दैदीप्यमान है। 'चूड़ावत मांगी सैनाणी सिर काट दे दियो क्षत्राणी' में अन्तर्निहित वीर गाथा से कौन अपरिचित होगा? स्वामिभक्ति, देश प्रेम और अकल्पनीय त्याग का जैसा उदाहरण मेवाड़ की अद्‌भुत जननी पन्नाधाय ने प्रस्तुत किया वैसा उदाहरण तो विश्व इतिहास में शायद ही अन्यत्र कहीं देखने को मिले। अपने कालजे की कोर को बलिदान के लिए प्रस्तुत कर उस वीरांगना ने उदयसिंह की रक्षा की। यदि वह ऐसा नहीं करती तो दृढ़ प्रतिज्ञ और मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वस्व समर्पित करने वाले महाराणा प्रताप शायद नहीं होते और मेवाड़ का इतिहास कुछ और ही होता।

जय जय राजस्थान

स्वतन्त्रता संग्राम में भी राजस्थान की वीरांगनाओं ने अप्रतिम साहस और शौर्य का परिचय देकर अपनी शानदार परम्परा का निर्वहन किया है। वीरों व वीरांगनाओं के बलिदान और स्वतन्त्रता की गाथाओं में मुर्दा दिलों में जोश उत्पन्न हो जाता है। यहाँ की वीर व साहसी रमणियों ने अपने

सतीत्व व मान-सम्मान की रक्षा के लिए जोहर की आहुतियाँ देकर आलौकिक काम किए हैं। इन गौरव गाथाओं को सुनकर बुजदिल की भी नसें एक बार फड़क उठती है। दुनिया के अन्य देशों में हुए वीरों के चरित्रों की बिरदावली बाँचने वाले, सिकन्दर महान और नेपोलियन बोनापार्ट के शौर्य के कारनामों पर फिदा हाकर उनकी स्तुति-गान करने वाले जब राजस्थान के वीर वीरांगनाओं के करिश्में सुनते हैं तो चमत्कृत होकर दाँतों तले अंगुली दबा लेते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार **कर्नल टॉड** ने कहा है–

"There is not a petty state in Rajasthan that has not had its Thermoplyae and scarcely a city that has not produced its Leonidas."

(राजस्थान में कोई छोटा सा भी राज्य ऐसा नहीं है जिसमें यूरोप की थर्मोपोली जैसी रणभूमि न हो और शायद ही कोई ऐसा नगर मिले जहाँ लियोनिडास जैसा वीर पुरुष पैदा नहीं हुआ हो।)

भावार्थ यह है कि राजस्थान बात के धनी, मान-सम्मान के उपासक, शक्ति के साक्षात स्वरूप, प्रजा व जरूरतमंद के लिए कुबेर तथा अन्यायी व अधर्मी के लिए साक्षात यमराज की भूमिका निभाने वालों की जन्मभूमि व कर्मस्थली है जिसके स्मरण मात्र से नई ऊर्जा, नई प्रेरणा व नए उत्साह का संचार हो जाता है। कौन नहीं जानता कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने कितनी विफलताओं, कितनी आपद-विपदाओं व कितने प्रलोभनों के बावजूद मुगल सत्ता के सामने सिर नीचा नहीं होने दिया। मेवाड़ की स्वाधीनता को अक्षुण्ण रखने के लिए आजन्म उद्यमरत रहने वाले और अपनी मातृभूमि के लिए अनगिनत कष्टों को सहकर देश के इतिहास में एक अपूर्व आदर्श स्थापित करने वाले वीर शिरोमणि-प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप को क्या कभी भुलाया जा सकेगा, नहीं, कदापि नहीं। महाराणा के सुयश में समकालीन कवियों ने अनेक कीर्ति सूचक कविताएँ रचीं जो पढ़ने वालों को हकीकत का बयान करती हैं।

''अकबर जासी आप, दिल्ली पासी दूसरा।
पुन-रासी प्रताप, सुजस न जासी सूरमा।।''

(अकबर खुद चला जाएगा अर्थात् एक दिन अल्लाह को प्यारा हो जाएगा और दिल्ली का राज किसी अन्य को मिल जाएगा; लेकिन हे पुण्य के ढेर वीर राणा प्रताप ! तुम्हारा यह सुयश नहीं जाएगा अर्थात् हमेशा बना रहेगा)।

धरती धोरां री

धरती धोरां री ओऽऽ धरती धोरां री,
आ तो सुरगां नै सरमावै,
इण पर देव रमण नै आवै,
इण रो जस नरनारी गावै,
धरती धोरां री।

सूरज कण-कण नै चमकावै,
चंदो इमरत रस बरसावै,
तारा निछरावळ कर जावै,
धरती धोरां री।

काळा बादळिया गहरावै,
बिरखा घुघरिया घमकावै,
बिजली धरती ओळा खावै,
धरती धोरां री।

पंछी मधरा मधरा बोलै,
मिसरी मीठे सुर स्यूं घोळै,
झीणू बावरियो पंपोळै,
धरती धोरां री।

इणरो चित्तौड़ो गढ़ लूंठो,
ओ तो रणवीरां रो खूंटो,
इणरो जोधाणो नौ कूंटो,
धरती धोरां री।

इणरो बीकाणो गरबीलो,
इणरो अलवर जबर हठीलो,
इणरो अजयमेर भड़कीलो,
धरती धोरां री।

जैपर नगर्यां री पटराणी,
कोटा बूंदी कद अणजाणी,
चम्बल कैवै आंरी कांणी,
धरती धोरां री।

–कन्हैयालाल सेठिया

प्रताप ! तू जीता, मैं हारा

कर्नल टॉड ने कहा है, ''अकबर की उच्च महत्वाकांक्षा, शासन निपुणता और असीम साधन ये सब बातें दृढ़चित्त महाराणा प्रताप की अदम्य वीरता, कीर्ति को उज्ज्वल रखने वाला दृढ़ साहस और निष्कपट अध्वसाय को दबा पाने में सर्वथा असमर्थ थी। आल्प पर्वत की तरह अर्वली (अडावला) में कोई ऐसी घाटी नहीं जो महाराणा प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्ज्वल विजय या उससे अधिक उज्ज्वल पराजय से पवित्र न हुई हो। हल्दीघाटी मेवाड़ की थर्मोपोली और दिवेर मेवाड़ का मेरेथान है।'' मेरेथान ग्रीस का एक प्रसिद्ध रणक्षेत्र है जहाँ पर 490 ई.पू. में यूनानियों ने घुसपेठी ईरानियों को अपने देश से मार भगाया था। महाराणा प्रताप का नाम सारे देश में अत्यन्त श्रद्धा और आदर के साथ लिया जाता है। कहते हैं कि दिनांक 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप का स्वर्गवास होने पर जब यह समाचार बादशाह अकबर के पास पहुँचा तो उसकी आँखों से आँसू छलक पड़े। अकबर की सहज अभिव्यक्ति थी– प्रताप ! तू जीता, मैं हारा।

मुट्ठी भर बाजरे के लिए ...

इससे पूर्व राणा कुम्भा, राणा सांगा, मालदेव आदि योद्धाओं का जीवन चरित्र भी ऐसे शौर्य, बल व साहस का स्वर्णिम अध्याय रहा है जिसे शब्दों में बाँधा जाना अत्यन्त दुष्कर है। मालदेव की राजस्थान में बढ़ती शक्ति को देखकर उसे दबाने के लिए शेरशाह सूरी ने मारवाड़ पर आक्रमण कर दिया। अजमेर के समीप सुमेल नामक स्थान पर राठौड़ी सेना ने शेरशाह की सेना को इतना छकाया कि एक बार तो वे भाग-छूटने को हुए। चालाक शेरशाह ने कैसे ही कर छल-कपट से यह युद्ध जीत तो लिया लेकिन मारवाड़ से वापिस जाते समय उसे यह कहना पड़ा 'यह तो खैर हुई वरना मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिन्दुस्तान की सल्तनत ही इस बार तो खो बैठता।'

साहस के सागर

गवर्नर जनरल लार्ड विलियम बैण्टिक ने सन् 1831 में एक दरबार अजमेर में आयोजित किया जिसमें राजस्थान के सभी राजा-महाराजाओं को आमन्त्रित किया गया। मारवाड़ जोधपुर के महाराजा मानसिंह ने इस आमंत्रण को ठुकराया तथा अजमेर दरबार से अनुपस्थित रहकर अपने साहस व दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया। इसी प्रकार मेवाड़ उदयपुर के महाराणा फतेहसिंह भी सन् 1903 में वाइसराय

लार्ड कर्जन के द्वारा दिल्ली में आयोजित भव्य दरबार से दूर रहे। महाराणा के साहस का कमाल देखिए कि दिल्ली पहुँचने के बावजूद उन्होंने दरबार से दूर रहने का करिश्मा दिखाया। उनके लिए रखी गई कुर्सी की ओर बिचारा फिरंगी ताकता रहा जबकि साहस का सागर फतेहसिंह स्पेशल ट्रेन के द्वारा वापिस उदयपुर लौट आया। इसी प्रकार सन् 1911 में सम्राट जार्ज की भारत यात्रा के अवसर पर दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। महाराणा फतेहसिंह दिल्ली आए, स्टेशन पर सम्राट से हाथ मिलाया और वापिस लौट गए। जिस सिंहासन के समक्ष बड़े-बड़ों के सिर झुके, उस पर प्रतापी मेवाड़ सिंहासन का उत्तराधिकारी होकर महाराणा फतेहसिंह भला कैसे किसी पंक्ति में लगे आसन पर बैठते। ऐसी अद्भुत घटनाओं को जानकर ही महान इतिहासकार कर्नल टॉड ने सम्भवतः यह कहा होगा, 'राजपूतों का इतिहास ही भारत वर्ष का इतिहास है, इस देश के इतिहास में से यदि राजपूतों के हिस्से को निकाल दिया जाए तो इस देश का इतिहास बहुत ही निर्बल हो जाएगा। शूरवीर राजपूतों में उनके पूर्वजों के गुणों का जितना सामंजस्य मिलता है उतना अन्यत्र नहीं मिलेगा।''

वीर के जीवन का शृंगार है बलिदान

महाराणा प्रताप के बाद उनके उत्तराधिकारी पुत्र राणा अमरसिंह ने मुगलों के साथ सन्धि कर ली। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और राजस्थान के अन्य राजाओं ने मुगलों के साथ पहले से ही सन्धियाँ कर रखी थीं। राजस्थान के राजा-महाराजाओं ने पहले मुगलों व बाद में अंग्रेजों को उनके राज्य की रक्षा व विस्तार में अतुलनीय मदद की, लेकिन महाराणा प्रताप सरीखे वीरों ने स्वतन्त्रता व अपनी आन बान की रक्षा के लिए जिस प्रकार हर आफत को हँसते-हँसते गले लगाया, उसकी मिशाल अन्यत्र मिलना मुश्किल है। मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान कर देना राजस्थानी वीर के जीवन का शृंगार तथा साध रहा है। देश रक्षार्थ मरने में वह अपनी शान समझता है। आन, बान व शान के लिए प्राण न्यौछावर कर देना तो उसके लिए जैसे बाएँ हाथ का खेल है।

अंग्रेजी सत्ता को देश से बाहर निकालने के लिए संचालित स्वतन्त्रता संग्राम में राणा प्रताप जैसे शूरवीरों के जीवन चरित्र से प्रेरणा, प्रोत्साहन व ऊर्जा प्राप्त कर हजारों स्वतन्त्रता प्रेमी देशभक्त हँसते-हँसते स्वतन्त्रता की पावन बलिवेदी पर अपने जीवन की आहुति दे गए। ऐसे रोमान्चकारी तथा अद्भुत उपाख्यान राजस्थान के इतिहास में भरे पड़े हैं जिन्हें पढ़कर निश्चय ही वर्तमान व भावी पीढ़ियों को नया मार्ग व नई रोशनी मिलती रहेगी।

–वरिष्ठ संपादक (शिविरा)

संस्कार और जीवन व्यवहार

❑ नरोतम देवी

संस्कार जीवन व्यवहार का महत्वपूर्ण भाग है। व्यवहारिक जीवन का आधार है और व्यक्ति की पहचान भी है। इसलिए सुसंस्कृत होने पर हमारे दर्शन ने इतना महत्व दिया है। यहाँ तक जन्म से लेकर मृत्युपर्यन्त जीवन को सोलह संस्कारों से विभूषित भी किया है। यही व्यक्ति के अग्रिम कर्म के आधार भी होते हैं कुछ संस्कार व्यक्ति के जन्म के साथ ही आते हैं। पिछले जन्म से जुड़े होते हैं। इस तथ्य की पुष्टि आज के मनोवैज्ञानिक भी करने लगे हैं। उनका शोध तो भारत से भी बहुत आगे निकल गया है उनका मानना है कि पिछले संस्कारों का प्रभाव जन्मकाल की विस्मृति में चला जाता है, किन्तु जीवन भर व्यक्ति के साथ जुड़ा रहता है। बच्चा जैसे-जैसे बड़ा होता है तो उसके सामने माँ-बाप की सीख इतनी आ जाती है कि उसके अपने स्वरूप की समझ ढक जाती है। जीवन व्यवहार में धीरे-धीरे अन्य मान्यताएँ, अवधारणाएँ, सामाजिक परम्परा, नियम कायदे उसके मन पर एक आवरण बना दिये जाते हैं। उसका मूलस्वरूप ढकता चला जाता है। क्योंकि माता-पिता का अंश भी व्यक्ति में होता है। व्यक्तित्व विकास में भी अपना प्रभाव जीवन पर्यन्त बनाए रखते हैं। व्यक्ति का रिश्ता माता-पिता से कभी नहीं टूटता है। ऊर्जा क्षेत्र में होने वाले शोध इस तथ्य को स्वीकार कर चुके हैं कि व्यक्ति के चारों ओर जो ऊर्जा का क्षेत्र है, उसका विशेष भाग माता-पिता से जुड़ा ही रहता है।

माता-पिता, मित्र परिजन और समाज के बीच रहकर एक नया व्यक्तित्व तैयार हो जाता है। व्यक्ति सदा इस बोझ से दबा रहता है कि समाज उसे बुरा न मान ले। वह अच्छे से अच्छा आचरण करके नियमित रूप से समाज से बना रहना चाहता है। यही उनमें नये संस्कारों का सृजन करता है। व्यक्ति के शरीर में पिछले सात पीढ़ियों का भी अंश पाया जाता है, जो उसके व्यक्तित्व को परिभाषित करता है। यहाँ एक बात महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति की मूल प्रकृति पूरी उम्र ढकी रहती है। वह संसार में अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाये रखना चाहता है। अपने जीवन को समझना हमारी जीवन शैली का अंग रहा है। स्वाध्याय काल में स्वयं के बारे में चिन्तन करना नियमित आवश्यक है, इसी से शनैः-शनैः व्यक्ति अपने मूलस्वरूप तक पहुँच जाता है। अपने संस्कारों का परिष्कार कर पाता है। स्वयं को सृष्टि का अंग समझता है। आवरण दूर होने के साथ उसकी मूल शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। उसकी सामाजिक उपादेयता बढ़ जाती है। सामाजिक जीवन में होने वाली सभी क्रियाएँ-प्रतिक्रियाएँ व्यक्ति के इस द्वन्द्व से उत्पन्न होती हैं। मूल और अन्य के सम्पर्क से संस्कारों की रसा-कसी से ही व्यक्ति सकारात्मक व नकारात्मक बनता है। उसके प्रति प्रदत्त गुण और रचनात्मक क्षमता का विकास ही नहीं होता, कुछ व्यक्तियों में जीवन के थपेड़े इन संस्कारों का सृजन कर देते हैं। यह जागरण इनको विकसित कर देता है, जिससे व्यक्ति का रचनात्मक स्वरूप चमक उठता है। स्वतन्त्र चिन्तनधारा शुरू हो जाती है।

–अध्यापिका, रा.प्रा.वि. ढाणी माणकचंद मेवाराम, रसीदपुरा, सीकर

परीक्षा का आतंक

❑ जॉन हॉल्ट

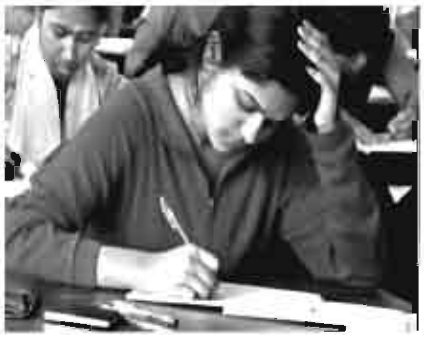

''क्या परीक्षा का जाल होना जरूरी है? किसे ईनाम मिले, और किसे सजा– जब परीक्षा इस बात को निर्धारित करने लगती है तो वह जाल बन ही जाती है। कौन निर्धारित करेगा?''

''हम केवल अपनी उत्तेजना और असुरक्षा से बचने के लिए ही लगातार यह जानना चाहते हैं कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, या कि वे क्यों सीख रहे हैं। इसकी बजाय ***सच्ची शिक्षा*** *जो चीज हमसे चाहती है वह है* ***विश्वास और हिम्मत****। विश्वास इस धारणा में कि बच्चे इस दुनिया को समझने के लिए तत्पर हैं और उसके लिए वे कड़ी मेहनत करेंगे। और हिम्मत इस बात के लिए कि हम उन्हें यह काम अपने आप करने दें; हम उनके इस काम में बार-बार दखल न दें, बार-बार उसकी टोह लेने की कोशिश न करें, बार-बार उन्हें हाँकें नहीं। क्या यह बहुत मुश्किल है?''*

मैं सच्चाई बयान कर रहा हूँ। लगभग सभी शिक्षाविद् परीक्षण को शिक्षा का एक अभिन्न अंग मानते हैं। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ– मेरी राय में परीक्षण न तो जरूरी है, न ही उपयोगी, और उसे माफ करना मुश्किल है। परीक्षण से फायदा कम, नुकसान ज्यादा होता है; उससे सीखने की प्रक्रिया विकृत और भ्रष्ट हो जाती है, रुक जाती है। परीक्षण करने वालों का मानना है कि परीक्षण की तकनीकों में लगातार सुधार हो रहा है और वे अन्त में एकदम दुरुस्त हो जाएँगी। शायद ऐसा हो जाए, परन्तु परीक्षण अच्छा हो जाने के बावजूद उसके खिलाफ मेरी आपत्तियाँ बनी रहेंगी। हमारी प्रमुख चिन्ता परीक्षण को बेहतर बनाने की नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह हटाने की होनी चाहिए।

यह तो सही है कि कुछ परिस्थितियों में परीक्षण जरूरी हो जाता है। अगर कोई वायलिन बजाने वाला संगीत सभा में भाग लेना चाहता है तो उसकी निपुणता जानने के लिए उससे वायलिन बजाकर दिखाने को कहा जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे लोगों के साथ काम करना चाहता है। जो अंग्रेजी नहीं बोलते तो उसे यह प्रत्यक्ष दिखाना पड़ेगा कि वह उन लोगों की भाषा जानता है। अगर वह इमारतों का डिजाइन बनाना और उनका निर्माण करना चाहता है तो उसे यह साबित करना पड़ेगा कि उसका बनाया ढाँचा गिरेगा नहीं। अगर वह सर्जन बनना चाहता है तो उसे कागज पर नहीं, ऑपरेशन टेबिल पर, समर्थ लोगों के समक्ष, कुछ लोगों का ठीक से ऑपरेशन करके दिखाना होगा।

कुछ इसी प्रकार से लोग अपनी प्रगति मापने के लिए अपना परीक्षण खुद करते हैं। टाइपिस्ट अभ्यास द्वारा अपनी गति बढ़ाते हैं। संगीतज्ञ अपने सुरों का अभ्यास करते हैं और मुश्किल हिस्सों को मेट्रोनोम नामक यंत्र के सामने बजाते हैं। टेनिस के खिलाड़ी दर्जनों बार गेंद को सही कोने में फेंकने का अथक प्रयास करते हैं। हृदय विशेषज्ञ मेंढ़कों पर ऑपरेशन करके अपनी उंगलियों को तंग स्थानों पर काम के लिए प्रशिक्षित करते हैं। स्केटिंग करने वाले, क्रिकेट के खिलाड़ी, सभी अपने कार्य में दक्ष होने के लिए बार-बार अभ्यास करते हैं। पायलट भी विमान को उतारने का बार-बार अभ्यास करते हैं। समझदार छात्र महत्त्वपूर्ण जानकारी को फाइल-कार्डों में लगाते हैं जो कि सीखने के तरीकों में सबसे लचीला, प्रभावी और सस्ता तरीका है। संक्षेप में, किसी भी गम्भीर अभ्यास में सीखने वाला लगातार अपनी कुशलता और ज्ञान का परीक्षण करता है।

परन्तु स्कूलों में जिस प्रकार का परीक्षण होता है उसका इस तरह के परीक्षणों से कुछ भी लेना-देना नहीं होता।

छात्रों से अक्सर उन गतिविधियों को दिखाने के लिए नहीं कहा जाता जिन्हें उन्होंने अपनी मर्जी से चुना हो। इन गतिविधियों में न तो जान-माल का और न ही किसी संस्था के बर्बाद होने का खतरा होता है। स्कूलों में परीक्षण एकदम अलग कारणों से होते हैं, और आम तौर पर इन कारणों के बारे में हम बहुत ईमानदारी से बात नहीं करते। लोगों से और अपने आप से भी हम शिक्षक यह कहते हैं कि हम बच्चों का परीक्षण इसलिए करते हैं ताकि हम यह जान पाएँ कि उन्होंने क्या सीखा है, जिससे हम सीखने में उनकी और अधिक मदद कर सकें। यह बात पिच्यानवे प्रतिशत गलत है। बच्चों के परीक्षण हम दो प्रमुख कारणों से करते हैं : पहला यह कि उनको डरा-धमकाकर हम उनसे वह सब करा पाते हैं जो हम चाहते हैं। और दूसरा यह कि हमें बच्चों को पुरस्कार व सजा देने का एक आधार मिलता है जिसकी नींव पर यह शिक्षा तंत्र सभी दमनकारी तंत्रों की तरह खड़ा है। परीक्षाओं के भय से बच्चे अपना होमवर्क करते हैं, और परीक्षाओं में अच्छा करने की वजह से ही हम कुछ छात्रों को ईनाम और पुरस्कार दे पाते हैं। समाज की तरह, स्कूल की अर्थव्यवस्था भी लालच और भय पर ही चलती है। परीक्षाएँ भय जगाती हैं और लालच को तुष्ट करती हैं।

यह प्रणाली जरूरी हो सकती है और शायद इससे बचना भी मुश्किल हो। बच्चे क्या सीखें? हमें इसका निर्णय नहीं लेना चाहिए। मेरी तो यही राय है। हमने जो भी पढ़ाने का निर्णय लिया है उसे क्रियान्वित करने के लिए बच्चों को उनकी सफलता और असफलता के अनुपात में ईनाम और

सजा देने की बात भी मुझे अटपटी लगती है। परन्तु सच्चाई तो यह है कि सभी स्कूलों में परीक्षण इसीलिए होते हैं। अगर हम सोचते हैं कि परीक्षाएँ किसी अन्य कारण से ली जाती हैं तो यह हमारी बेईमानी का द्योतक है।

बहुत से शिक्षकों और छात्रों का भी यह विश्वास है कि चाहे परीक्षाएँ बच्चों को डराती हों फिर भी वे उनके कार्य की गुणवत्ता का एक सही मापदण्ड होती हैं। मुझे लगता है कि परीक्षाएँ बच्चों को जितना ज्यादा भयभीत करेंगी, वे उनकी सीख को उतना ही कम माप पाएँगी और सीखने को तो उससे भी कम प्रोत्साहित कर पाएँगी। इसके कई कारण हैं। सबसे स्पष्ट और महत्त्वपूर्ण कारण यह है– जब किसी छात्र को पता चलता है कि उसे परीक्षा के नतीजों पर आंका जाएगा तो उसका ध्यान परीक्षा सामग्री से हटकर परीक्षक की ओर खिंच जाता है। अब छात्र के लिए पाठ्यक्रम या उसके अर्थ की बजाय यह चीज महत्त्वपूर्ण हो जाती है कि परीक्षक के मन में क्या है। परीक्षा तब एक खोज नहीं, हाजिर-जवाबी का खेल बन जाती है। परीक्षक, वह चाहे कोई भी हो, अब एक सहायक नहीं, बल्कि शत्रु बन जाता है।

कुछ वर्ष पहले किताबों की एक दुकान में मुझे मेडिकल छात्रों से सम्बन्धित समाजशास्त्र का एक विस्तृत अध्ययन पढ़ने को मिला। मैं उसे बीच-बीच में से पढ़ने लगा, शायद यह जानने के लिए कि क्या मेडिकल छात्र भी उसी भय से डरते हैं जिससे मेरी पांचवीं कक्षा के बच्चे डरते हैं, और कि क्या वे भी अपने आपको बचाने के लिए उसी तरह के टालू तरीके अपनाते हैं जैसे अन्य बच्चे अपनाते हैं। उनका भी वही हाल है इसका मुझे जल्द ही पता चल गया। इस अध्ययन के लेखकों ने बहुत से, अलग-अलग स्तर के, मेडिकल छात्रों का इंटरव्यू लिया था। इन छात्रों ने बार-बार बताया कि वे मेडिकल कॉलेज में आने के बाद पूरा दिल लगाकर डॉक्टरी पढ़ना चाहते थे। परन्तु कॉलेज में उनकी लगातार परीक्षाएँ होती रहीं और उन्हें ऐसा लगने लगा कि उनका भविष्य पूरी तरह परीक्षाओं के नतीजों पर निर्भर होगा। जल्दी ही वे डॉक्टरी की बुनियादी पढ़ाई को छोड़कर इम्तहान की तैयारियों में लग गए। कुछ समय बाद वे अपने प्रोफेसरों को आंकने लगे और उन पर लेबल चिपकाने लगे। लेबल शिक्षकों की कुशलता और ज्ञान पर नहीं, बल्कि उनके 'न्यायसंगत' होने पर आधारित थे। 'न्यायसंगत' प्रोफेसर वे थे जिनकी परीक्षाओं का पूर्व-अनुमान लगाकर विषय की तैयारी की जा सके।

मुझे खुद परीक्षाएँ अक्सर फँसाने का एक जाल और परीक्षक एक शत्रु जैसा लगता रहा है– ऐसी स्थितियों में भी जब परीक्षक मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। मेरा एक छात्र है जो पुराने अखबारों और पत्रिकाओं में से खुद करो और जांचो वाली पहेलियों को काट लेता है और कभी-कभी मुझे उनको हल करने की चुनौती देता है : ''जरा देखें, आप कितने होशियार हैं !'' या ''देखें, आप इन्हें कितनी तेजी से कर पाते हैं !'' या ऐसा ही कुछ और। मुझे अचानक लगता है जैसे किसी ने मुझ पर लड़ाई छेड़ दी हो जैसे कोई मुझे पागल बना रहा हो। अगर वह छात्र मुझसे उन पहेलियों के कुछ सवाल पूछता है– वैसे मैं उसे इसका मौका ही नहीं देता– तो मैं अपने आपको यह सोचता हुआ पाता हूँ, ''इसमें चाल क्या है? यह बन्दा आखिर चाहता क्या है? इसके दिमाग में क्या चल रहा है?'' तब मैं एक द्वन्द्व में फँस जाता हूँ, जैसे शतरंज के खेल में होता है।

अगर परीक्षा एक ऐसा खेल हो जिसमें प्रतिद्वन्द्वी आपको मात देने की भरसक कोशिश कर रहा हो तो उसको हराने का हर तरीका जायज हो जाता है। यही बात आमतौर पर नकल की जड़ में है, खासतौर पर 'अच्छे' स्कूलों में जहाँ नकल बहुत प्रचलित है और जहाँ बहुत सारे सफल छात्र भी इसमें माहिर होते हैं। शिक्षक के सामने, ज्ञान के अभाव में भी, अपना ज्ञान दिखा पाने और नकल के बीच कोई खास अन्तर नहीं है। जो भी हो, जो छात्र घोर दबाव में काम करते हैं वे तो इस अन्तर को नजरअन्दाज करते ही हैं, बहुत से शिक्षक भी ऐसा करते हैं। जब शिक्षकों को उनके छात्रों के मानक परीक्षाओं में अंकों के आधार पर आंका जाता है तो वे छात्रों के साथ मिलकर अपने सामूहिक शत्रु का जी-जान से मुकाबला करते हैं। अधिकांश स्कूलों और शिक्षकों का व्यवहार इस बारे में बिल्कुल अनैतिक होता है। मैंने पाँचवीं के ऐसे बच्चों को पढ़ाया है जिन्हें पिछली कक्षाओं में अंकगणित में अच्छे अंक मिले थे परन्तु ये बच्चे जोड़ना-घटाना भी ठीक से नहीं जानते थे। फिर परीक्षाओं में अच्छे अंक कैसे मिले? जाहिर है कि शिक्षकों ने छात्रों को बहुत रट्टा लगवाया होगा। कई बार मुझसे भी रटवाने के लिए कहा गया है। ''बच्चों की समझ में आए या नहीं, उपयोगी है या नहीं, इसको छोड़ो। बस यह देखो कि परीक्षा में बच्चों के अच्छे नम्बर आएँ।'' क्या यह एक तरह की नकल नहीं है?

क्या परीक्षा का जाल होना जरूरी है? किसे ईनाम मिले, और किसे सजा– जब परीक्षा इस बात को निर्धारित करने लगती है तो वह जाल बन ही जाती है। कौन निर्धारित करेगा? चर्चिल ने हैरो के अपने अनुभवों को इनसे कहीं ज्यादा प्रभावशाली शब्दों में कहा था। उनके अनुसार उन्हें क्या आता था इसे जानने में उनके शिक्षकों की कोई रुचि नहीं थी। उन्हें क्या नहीं मालूम था वे सिर्फ यह पता करना चाहते थे। यह बात सामान्यतः सच है। इसलिए नहीं कि सभी शिक्षक शत्रु होते हैं, बल्कि इसलिए कि यह इसी तंत्र की माँग है जहाँ हमेशा भेड़-बकरियों को छाँटकर अलग कर दिया जाता है। अब जरा परीक्षक की कठिनाइयों को लें। जिस छात्र ने विषय को थोड़ा भी पढ़ा हो वह उसके बारे में घण्टों तक लिख सकता है। उदाहरण के लिए, आठवीं के बाद मैंने अमरीकी इतिहास को छुआ तक नहीं है और मैं उसे लगभग भूल चुका हूँ। इस विषय के बारे में मुझे जो कुछ भी मालूम है उसे मैंने इधर-उधर की किताबों में पढ़ा है जिन्हें इतिहास की पुस्तकें कहना गलत होगा। जब भी अगर मुझसे अमरीकी इतिहास के बारे में लिखने के लिए कहा जाए तो मैं बहुत से पन्ने भर डालूँगा, शायद एक पुस्तक या कई पुस्तकें लिख डालूँ। तब आप ही बताएँ, भला कोई मेरे ज्ञान को, या इतिहास के किसी छात्र के ज्ञान को, एक घण्टे या तीन घण्टे में कैसे आंक सकता है? यह एक असम्भव कार्य है। अगर शिक्षक एक ऐसी परीक्षा देता है जिसमें छात्र अपने ज्ञान को दर्शा सकें, तो जल्द ही समय खत्म हो जाएगा और तब भी छात्रों का बहुत कुछ लेखन शेष

बचा रहेगा और शिक्षक को मूल्यांकन के दौरान झक मारकर सभी छात्रों को समान अंक देने होंगे क्योंकि उसके पास और कोई तरीका होगा ही नहीं। पर यह बात उसके अधिकारियों को नहीं पचेगी। हरेक स्कूल में बच्चों के बीच अन्तर पैदा करना ही शिक्षक का काम है– क्योंकि हरेक छात्र तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय जा नहीं सकता, इसलिए शिक्षक का काम ऐसे प्रश्न पूछना होता है जिनका कम से कम कुछ छात्र तो उत्तर न दे पाएँ। संक्षेप में, चर्चिल के शिक्षकों की तरह ही उसका काम भी बच्चों की अज्ञानता को बाहर लाना है ताकि किसे पुरस्कार मिले और किसे सजा इसका वह 'निष्पक्ष' रूप से निर्णय ले सके।

परीक्षाओं के खिलाफ मुझे अन्य आपत्तियाँ भी हैं। परीक्षाओं से उन छात्रों को ही सजा मिलती है जो धीरे काम करते हैं। परीक्षाएँ उनका ही साथ देती हैं जो अनुमान लगाने में चतुर होते हैं, जो हिसाब में तेज होते हैं। परन्तु जो छात्र अपने काम को सावधानी से पूर्ण रूप में करते हैं, परीक्षाएँ उनके पक्ष में नहीं होती। सबसे ज्यादा नुकसान उन छात्रों का होता है जो परीक्षाओं के बारे में फिक्र करते हैं। भय के कारण ऐसे छात्र परीक्षाओं में अपने ज्ञान को पूरी तरह प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। ऐसी हरेक परीक्षा जिसमें वे फेल होते हैं उनके दिल में अगली परीक्षा के प्रति एक खौफ पैदा कर देती है। ऐसे अनगिनत छात्रों के बारे में परीक्षाएँ भ्रम पैदा करती हैं या बेकार साबित होती हैं जो पास होने की कोई कोशिश ही नहीं करते। ऐसे बहुत से छात्र हमारे शहरों में हैं। अक्सर वे जानबूझ कर फेल होते हैं, शायद अपनी इज्जत बचाने के लिए, शायद अपने पालकों को दुःख पहुँचाने के लिए, या फिर उस तंत्र से लड़ने के लिए जिसे वे नफरत करते हैं।

हो सकता है कि जब हमें लगता है कि परीक्षाएँ सही काम कर रही हैं तभी वे सबसे अधिक नुकसान पहुँचाती हैं। मैं अक्सर अपने छात्रों से परीक्षाओं और मूल्यांकन के बारे में लम्बी चर्चाएँ करता हूँ। उनमें से कई बुद्धिमान और सफल छात्र प्रतिष्ठित कॉलेजों में जाने की तैयारी में हैं। आश्चर्य की बात यह है कि उनमें से बहुत से छात्र इस तंत्र को, जिसके खिलाफ कभी वे लड़ते थे, शिकायत करते थे, बचाने की बात करते हैं। वे गुस्से में उत्तेजित होकर कहते हैं, ''अगर परीक्षाएँ नहीं होंगी और हमें नहीं आंका जाएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम कुछ सीख रहे हैं या नहीं? हम ठीक कर रहे हैं या नहीं?'' यह सुनकर मुझे बहुत दुःख होता है। मुझे दो-तीन वर्ष के उन बच्चों की याद आती है जो लगातार अपनी बोली की तुलना अपने आसपास के लोगों की बातचीत से करते रहते हैं। मुझे पाँच-छह वर्ष के वे बच्चे याद आते हैं जिन्होंने खुद पढ़ना सीखा था, पन्ने के हरेक नए शब्द को खुद समझा था। वे जो भी सीखते थे उसकी पिछली बातों से लगातार तुलना करते थे। फिर मुझे पाँचवीं के वे बच्चे याद आते हैं जो अंकगणित के पर्चे थमाकर मुझसे चिन्तित भाव से पूछते थे, ''क्या यह ठीक है?'' और जब मैं उनसे पूछता था, ''तुम्हारा क्या विचार है?'' तो वे मेरी तरफ ऐसे घूरने लगते जैसे मैं कोई पागल होऊँ। उनके सोचने से क्या कोई फर्क पड़ता था? अकसर सही बातों का वास्तविकता और समझदारी से कुछ लेना-देना नहीं होता। शिक्षक के मुँह से निकली बात ही सही होती है। 'सही' ज्ञात करने का भी एक ही तरीका होता है– उसे शिक्षक से पूछो। स्कूलों में बच्चों के साथ जो सबसे बड़ी ज्यादती हम करते हैं वह यह है कि हम उन्हें अपने काम का खुद मूल्यांकन करने का मौका ही नहीं देते। इससे बच्चों की खुद निर्णय लेने की और अपने निर्णयों में यकीन करने की शक्ति नष्ट हो जाती है।

अभी तक जो कुछ भी मैंने कहा है वह एक अनिवार्य प्रणाली की परीक्षाओं पर लागू होता है। परन्तु मुक्त प्रणालियों में, जहाँ छात्रों के साथ कोई जबरदस्ती नहीं होती, वहाँ भी परीक्षाओं पर मुझे सख्त आपत्तियाँ हैं। ये आपत्तियाँ सोच की प्रकृति, ज्ञान और सीखने और शिक्षा की धारणाओं पर आधारित है। आगे की कहानी शायद इस मसले पर कुछ प्रकाश डाले।

सालों पहले मैं एक आन्दोलन में सक्रिय था जिसका उद्देश्य एक विश्व-सरकार का निर्माण करना था। एक दिन मुझे एक पुराना मित्र मिला जिसे मैं बहुत समय से नहीं मिला था। उसने पूछा कि मैं आजकल क्या कर रहा हूँ। जब मैंने उसे अपने काम के बारे में बताया तो वह मुझसे झगड़ा करने लगा। उसे लगा कि मैं अपना समय बर्बाद कर रहा था और एक खराब, नुकसान पहुँचाने वाला काम रहा था। उसका मत प्रचलित किस्म का था : विश्व-सरकार की बात करना संयुक्त राष्ट्र संघ की गरिमा को कम करना और उसे नष्ट करने में हाथ बँटाना था। उस समय तक मैं यह सीख चुका था कि अन्तरंग मित्रों के साथ बेकार के वाद-विवाद में नहीं पड़ना चाहिए; उसकी बजाय यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि उनके मत के पीछे क्या सोच काम कर रही थी। मैंने उसे बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। धीरे-धीरे, भोजन के दौरान, उसका विश्व दृष्टिकोण मुझे स्पष्ट होने लगा। खाना खत्म होने तक वह चीन को अमरीका का सबसे बड़ा शत्रु बता रहा था। उसका मत था कि अमरीका को, आणविक शस्त्रों पर अपने वर्चस्व के चलते, चीन पर कब्जा करना चाहिए। जहाँ तक संयुक्त राष्ट्र संघ का सवाल था वह एक बेकार का और खतरनाक रोड़ा था, जिसने अमरीका को जल्द-से-जल्द निकल जाना चाहिए।

दो घण्टे से कम समय में ही मेरे मित्र ने पहले तो यह चिन्ता व्यक्त की कि मैं संयुक्त राष्ट्र संघ को कमजोर करने में लगा हूँ और फिर संयुक्त राष्ट्र संघ को ही बेकार और खतरनाक करार दिया। उसके द्वारा बड़ी ईमानदारी और उत्साह से व्यक्त किए परस्पर विरोधी विचार सुनकर मुझे जबरदस्त झटका लगा। धीरे-धीरे मैं समझ गया कि ऐसी घटनाएँ एक आम बात हैं। बुद्धिमान और जानकार लोग कुछ ही समय के दौरान अक्सर परस्पर विरोधी विचार व्यक्त करते हैं। मतगणना कराने वाले लोग यह बात जानते हैं कि प्रश्न को थोड़ा-सा बदल देने से, या उसके सन्दर्भ में अन्तर करने से काफी भिन्न-भिन्न उत्तर मिलते हैं। वियतनाम युद्ध पर हुई अनेक मतगणनाओं से लोगों में कई परस्पर विरोधी मत और विचार होने का पता चला है। कुछ साल पहले तक ऐसा साफ लगता था कि अमरीका में अधिकांश श्वेत लोग नीग्रो लोगों की समानता की इच्छा और माँग का समर्थन करते हैं। परन्तु बाद की घटनाओं से यह स्पष्ट हुआ कि यदि यह समानता श्वेत लोगों की जिन्दगी पर असर डालेगी तो उनमें से ज्यादातर उसका सख्ती

से विरोध करेंगे। इसका यह मतलब नहीं कि पहले वे झूठ बोल रहे थे; उन्हें इस बात का पता ही नहीं था कि वे बाद में अपना मत बदल लेंगे।

बहुत कम लोगों को ही यह पता होता है। और यही वह प्रमुख और बुनियादी कारण है जिसकी वजह से मैं परीक्षणों की गुणवत्ता को शक की निगाह से देखता हूँ। हम किसी दूसरे के मस्तिष्क के अन्दर के सोच-विचार कैसे माप सकते हैं जबकि हमें खुद अपने विचारों का केवल थोड़ा सा अंश ही पता होता है? मनुष्य का मनोविज्ञान–विचारों और भावनाओं का मनोविज्ञान, प्रतीति का नहीं–अभी एक आरम्भिक विज्ञान है। उसके अभ्यासकर्ताओं के बीच कई बातों पर भारी मतभेद हैं। परन्तु एक बात पर सभी सहमत हैं– कि बहुत सी अहम बातों के बारे में हमें अभी कुछ भी नहीं पता है। अपने दिमाग के छोटे से अंश को भी जान पाना एक बहुत धीमा, सूक्ष्म, मुश्किल और अक्सर दुःखदाई काम होता है। तो फिर यह पूछा जा सकता है कि हम दूसरों के दिमाग की बातों को निश्चितता से कैसे जान सकते हैं?

हाँ, यह कहा जा सकता है कि कोई व्यक्ति अपने पिता के बारे में क्या महसूस करता है इसे पता कर पाना अगर असम्भव नहीं तो मुश्किल जरूर हो सकता है। परन्तु यह व्यक्ति ज्यामिति, शेक्सपियर या विद्युत इंजीनियरिंग के बारे में क्या जानता है इसे आसानी से पता किया जा सकता है। इस बात में कुछ सच्चाई है। ज्यादातर आदमी इनकम-टैक्स के विषय में अपनी सोच को अपने परिवारजनों के बारे में अपनी सोच की तुलना में बेहतर जानते होंगे, और शायद इनकम-टैक्स सम्बन्धी उनके विचार उनकी सच्ची सोच के काफी करीब होंगे। परन्तु केवल काफी करीब और केवल कभी-कभार ही। हमारे दिमाग में शब्दों की लड़ियाँ होती हैं– नियम, सूक्तियाँ, सिद्धान्त– जो हमें कुछ विशेष परिस्थितियों में ढांढस देती हैं और उनके उपयुक्त होती हैं परन्तु जिनका इस चीज से कुछ खास लेना-देना नहीं होता कि हम वास्तव में किस चीज में विश्वास करते हैं या अपना जीवन कैसे चलाते हैं। संक्षेप में, जिन बातों को हम रोजमर्रा की जिन्दगी में बड़ी ईमानदारी से कहते हैं वे शायद हमारे असली विचारों से बहुत दूर हों।

हो सकता है कि कभी हमारा समाज स्वयं के बारे में ज्ञान को हमारे चारों तरफ की दुनिया के बारे में ज्ञान के मुकाबले ज्यादा अहमियत दे और सभी लोग दार्शनिक बन जाएँ, जो कि कुछ हद तक होना भी चाहिए। हो सकता है हम यह जानने लगें कि हम खुद क्या सोचते हैं, फिर भी हमारे लिए अन्य लोगों के, विशेषकर बच्चों के, विचारों को जानना एक बहुत मुश्किल काम होगा। इंग्लैण्ड में लाईचेस्टर के स्कूली सलाहकार टोनी कैलेट के एक अप्रकाशित पर्चे का यह अंश शायद इस मुद्दे पर कुछ प्रकाश डाले :

पियाजे को लागू करने पर कुछ विचार : यहाँ एक फिल्म की प्रतिलिपि का छोटा-सा अंश दिया गया है। फिल्म बताती है कि शिक्षक कक्षा में बच्चों की गणित की प्रगति को जानने के लिए पियाजे के प्रयोगात्मक तरीकों का कैसे उपयोग कर सकते हैं। यह फिल्म 'बच्चे और गणित' नामक एक शृंखला का भाग है जिसे नफील्ड फाउंडेशन ने बी.बी.सी. के लिए बनाया है। जिस दृश्य की प्रतिलिपि यहाँ दी गई है उसमें एक वयस्क (मेरा ख्याल है बच्चे का नियमित शिक्षक नहीं) और एक छह-सात साल का लड़का है। उनके सामने मेज पर तीन ट्यूलिप और छह-सात डेजी के फूल पड़े हैं।

वयस्क : फूल ज्यादा हैं या डेजी?

बच्चा : डेजी ज्यादा हैं।

वयस्क : डेजी ज्यादा है। अच्छा। अब, मैं सोच रहा हूँ कहीं फूल तो ज्यादा नहीं हैं, क्योंकि डेजी भी तो फूल ही हैं। क्यों, यह ठीक है न?

बच्चा : हाँ।

वयस्क : और ट्यूलिप भी तो फूलों का ही एक भाग है?

बच्चा : .... (कोई उत्तर नहीं देता)

वयस्क : क्या यह ठीक है?

बच्चा : हाँ।

वयस्क : और ट्यूलिप भी तो फूलों का ही एक भाग हैं?

बच्चा : .... (कोई उत्तर नहीं देता)

वयस्क : क्या यह ठीक है?

बच्चा : हाँ।

वयस्क : तो फिर ये सभी-के-सभी फूल ही हैं। अब, मुझे लगता है कि ये सभी फूल हैं, परन्तु (इंगित करता है) केवल यही डेजी हैं। इसलिए मुझे लगता है कि डेजी की तुलना में फूल ज्यादा हैं।

बच्चा : .....

वयस्क : अब, क्या तुम्हें यह ठीक लगता है?

बच्चा : ....। (काफी देर रुकने के बाद) नहीं।

वयस्क : (दबी हुई हँसी के साथ) क्या फूल ज्यादा हैं या डेजी?

बच्चा : डेजी ज्यादा हैं।

वयस्क : डेजी ज्यादा है।

टीकाकार : भला कौन इसकी कल्पना करेगा कि किसी बच्चे का दुनिया के बारे में ऐसा नजरिया हो सकता है। भला कौन?

''..... लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरह की प्रयोगात्मक स्थिति का यहाँ चित्रण है वह, मेरी राय में बच्चे द्वारा सोचे गए कम-ज्यादा, भाग-सम्पूर्ण के रिश्तों पर उतना प्रकाश नहीं डालती जितना इस बात पर कि वह अपनी इच्छा से, या यहाँ पर अपनी इच्छा के खिलाफ, कक्षा में किसी वयस्क के साथ संवाद करने को मजबूर है। इस स्थिति के नियम दोनों को पता है। बच्चे को सिर्फ यह पता करना है कि वयस्क उससे क्या उत्तर चाहता है और वयस्क का काम है कि वह इस कार्य को बच्चे के लिए सरल बनाए...

तो, यहाँ जो सबूत पेश किए गए हैं उनके आधार पर बच्चे की भाग-सम्पूर्ण के रिश्ते की समझ के बारे में कुछ भी कह पाना कठिन है। बहुत सम्भव है कि इस बारे में उसकी समझ कमजोर हो, परन्तु मैं आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर भाग-सम्पूर्ण के रिश्तों को

किसी अर्थपूर्ण (इस शब्द पर जोर मैंने दिया है– हॉल्ट) स्थिति में ठोस चीजों के सहारे तय किया गया होता तो बच्चा इस अमूर्त शाब्दिक लेन-देन की तुलना में उसमें कहीं अधिक समझ दिखाता। जिस स्थिति को हमने अभी देखा उसमें तो बच्चा अपने सामने रखी चीजों के बारे में सोचने के लिए भी स्वतंत्र नहीं था।''

मेरी टिप्पणियों की तुलना में मिस्टर कैलेट की टिप्पणियाँ अधिक उदार और सन्तुलित हैं। मुझे बच्चे और वयस्क के बीच का यह इंटरव्यू एकदम अन्यायपूर्ण, लगभग खौफनाक लगा। मेरे लिए यह और भी अन्यायपूर्ण बात है कि इसका मनोविज्ञान में नए शोध के एक उदाहरण के तौर पर खूब प्रसार-प्रसार किया गया, और कि सब लोगों ने इसे बिना विरोध के चुपचाप स्वीकार कर लिया।

मिस्टर कैलेट आगे कहते हैं :

''मैं पिछले कई सालों से वयस्कों और बच्चों से यह पूछता रहा हूँ कि उनके परिवार में बच्चे ज्यादा हैं या लोग। इससे कई रोचक बातें निकली हैं। नीचे एक संवाद दिया गया है :

मैं : तुम्हारे परिवार में कितने बच्चे हैं?

बच्चा : तीन।

मैं : बड़े कितने हैं?

बच्चा : दो।

मैं : क्या बच्चे लोग होते हैं?

बच्चा : हाँ। (नौ-दस साल की उम्र तक भी बच्चे अक्सर इस प्रश्न पर आकर रुकते हैं, और सोचते हैं।)

मैं : अब बताओ, तुम्हारे परिवार में बच्चे ज्यादा हैं, कि लोग ज्यादा हैं?

बच्चा : बच्चे ज्यादा हैं।

दिए गए कुछ वैकल्पिक उत्तर इस प्रकार हैं : (1) क्या? आप यह नहीं पूछ सकते; (2) हाँ, ज्यादा बच्चे ही तो होने चाहिए; (3) हूँ? आपका मतलब क्या है? मैं इतना अवश्य कह सकता हूँ कि जिन बीस बच्चों से मैं यह प्रश्न पूछता था, उनमें से बारह वर्ष से कम के केवल एक-दो बच्चे ही इनका सही उत्तर दे पाते थे। साथ ही, कई बुद्धिमान वयस्कों ने भी मुझे इसी प्रकार के उत्तर दिए। ध्यान रहे कि अगर मेरा प्रश्न होता, ''ज्यादा बच्चे हैं या वयस्क ज्यादा हैं?'' तब मुझे ठीक उत्तर मिलते।''

जब मैंने पहली बार पियाजे के भाग-सम्पूर्ण सम्बन्धी प्रयोगों के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि चाहे बच्चों से कुछ भी कहा जाए वे हमेशा मोती, फूल या और किसी भी चीज के समूह के एक भाग की तुलना दूसरे बचे हिस्से से करते थे। ऐसी तुलना करने की उनकी आदत थी, और इसी तरीके में उन्हें कुछ मतलब दिखाई पड़ता था। बच्चों के साथ कुछ प्रयोगों ने इस बात की पुष्टि भी की। दोनों समूहों में जो भी बड़ा होता, बच्चे उसे ही ज्यादा बताते। क्योंकि कुछ वयस्कों ने भी मिस्टर कैलेट को 'गलत' उत्तर दिया इससे लगता है वे भी बच्चों की तरह ही प्रश्न को समझते हैं। इसके अलावा, मुझे लगता है कि अगर शुरू में बच्चा डेजी-फूल या बच्चों-वयस्कों वाले प्रश्न अपेक्षा के अनुसार समझ भी गया होता तब भी वे प्रश्न उसे जल्द ही एकदम ऊट-पटांग लगने लगते। असल में ये प्रश्न हैं ही ऊट-पटांग। अगर कोई अचानक ही मुझसे यह पूछ बैठता कि मेरे परिवार में मर्द ज्यादा हैं या लोग, तो सम्भवतः मैं निम्नलिखित उत्तर देता : (1) कृपया अपने प्रश्न को दोहराएँ। (2) कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे? (3) आपका मतलब क्या है? मैं कभी उम्मीद भी नहीं कर सकता कि कोई प्रश्नकर्ता मुझसे इस बेवकूफी भरे सवाल का कोई गम्भीर उत्तर चाहेगा।

अब मैं आपको एक वैकल्पिक प्रयोग सुझाता हूँ। मान लें हमारे पास दो फोटो हैं। एक में परिवार के केवल बच्चे हैं और दूसरे में परिवार के सभी सदस्य हैं– बच्चे और वयस्क दोनों। अब हम बच्चों से पूछें कि किस फोटो में ज्यादा लोग हैं। क्या हम सोच सकते हैं कि चार वर्ष से बड़ा कोई भी बच्चा इसका गलत जवाब देगा? फिर भाग-सम्पूर्ण के मसले पर इतनी उलझन क्यों? मेरी राय में यह उलझन मूलतः शाब्दिक है। यह इस कारण पैदा होती है क्योंकि बच्चे कुछ शब्द-लड़ियों को उस तरह से नहीं समझते जैसे हम चाहते हैं कि वे समझें।

इसलिए हम, और बच्चे भी, अपने विचारों को जानते हुए भी परीक्षण के दौरान दो गम्भीर गलतियाँ अवश्य करते। ये गलतियाँ परीक्षण की स्थिति में ही निहित होती हैं। पहली तो भाषा की सीमाओं से पैदा होती है। प्रश्नकर्ता जो कुछ पूछना चाहता है उसे चाहकर भी सही शब्दों में रख पाने में खुद को असमर्थ पाता है। और कई बार वह ऐसा करना भी नहीं चाहता। उत्तर देने वाला भी अपने जवाब को सही शब्दों में व्यक्त कर पाने में असमर्थ महसूस करता है। दूसरी गलती इस बात से पैदा होती है कि प्रश्न पूछने के दौरान हमेशा ही कोई मूल्यांकन होता है, और इसलिए वहाँ एक खतरा होता है। इसका असर दोनों तरफ के विचारों और शब्दों पर होता है। प्रश्न पूछने वाला जवाब देने वाले को इस या उस तरफ धकेलने से बच नहीं सकता। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह क्या चाहता है। दूसरी तरफ, जवाब देने वाले को यह समझ में नहीं आता कि प्रश्नकर्ता कौन-सा जवाब चाहता है, और वह उसे दे या न दे। इससे भागा नहीं जा सकता। अगर मुझसे कोई प्रश्न पूछता है तो पहला सवाल जो मेरे जहन में आता है वह यह है कि ''वह मुझसे यह प्रश्न क्यों पूछ रहा है?'' मेरा जवाब मेरी इस समझ पर निर्भर करेगा कि वह आखिर मुझसे क्या चाहता है। जोजेफ कॉनरेड के उपन्यास विक्ट्री में हेयिस्ट और लीना के बीच के दुःखद वार्तालाप से एक बात साफ हो जाती है। उलझन और शक भरे शब्दों के उपयोग से दो प्रेमियों के बीच का संवाद भी बन्द हो सकता है। ऐसे दुःखदाई अनुभव से बहुत से लोग परिचित होंगे।

मुझे दूसरी के उस छात्र की याद आ रही है जो बुद्धिमान, परेशान और विद्रोही था और न जाने क्यों अपने माता-पिता से बेहद नाराज था। मैं उसे, उसकी मर्जी के खिलाफ, पढ़ना सिखाने की कोशिश कर रहा था, जिसमें मैं पूर्णतः असफल था। एक दिन हमारे स्कूल की मनोवैज्ञानिक

(एक समझदार और संवेदनशील महिला) ने स्टैनफोर्ड-बिनेट नामक परीक्षण की मदद से उसका बुद्धि परीक्षण किया। कुछ देर बाद मेरी उनसे उस छात्र के बारे में चर्चा हुई। महिला ने कहा, ''क्या आपको इस छात्र के परीक्षण के बारे में एक रोचक बात पता है? उसने निचले स्तर के प्रश्नों की तुलना में उच्च स्तर के कहीं अधिक प्रश्नों का उत्तर दिया है।'' काफी देर चर्चा के बाद हमें लगा कि वह छात्र शायद सरल प्रश्नों के प्रत्यक्ष उत्तर देने से डर रहा था। उसे भय था कि कहीं परीक्षक उसके साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहा था। कई सरल प्रश्नों पर मनन करते हुए मैंने भी ऐसा ही महसूस किया था, ''सवाल इतना आसान तो नहीं हो सकता। नहीं तो भला वे मुझसे पूछते ही क्यों।''

मैं एक बार दुबारा मिस्टर कैलेट की ओर वापस चलता हूँ।

''..... फ्रोएबल इंस्टीट्यूट की जोन टैम्बूरिनी ने मुझे पिछले वर्ष अपनी एक छात्रा के बारे में बताया जो पियाजे के समूहीकरण के प्रयोगों में से एक को दुबारा करने का प्रयास कर रही थी। प्रयोग में बच्चे को कारों, लोगों, बर्तनों, गहनों आदि के छोटे-छोटे मॉडल दिए जाते हैं। फिर उसे समान चीजों को अलग-अलग समूहों में रखना होता है। छोटे बच्चे अक्सर इन समूहों को किसी सतही प्रणाली के आधार पर बनाते हैं : शायद वे कार को प्लेट के साथ इसलिए रखते हैं क्योंकि वे कुछ दिन पहले पिकनिक मनाने गए थे, इत्यादि। गतिविधि के अन्त में टैम्बूरिनी की छात्रा ने बच्चों से सभी मॉडलों को वापस डिब्बे में रखने के लिए कहा। इस बार बच्चों ने बड़ी आसानी और सहजता से सभी टुकड़ों को उनके सही समूहों में रखा-सारी कारें एक-साथ, बर्तन एक-साथ, आदि। इससे बच्चों की समूहीकरण की क्षमता के बारे में हम क्या अंदाज लगाएँ? इसका परिणाम एकदम स्पष्ट है। जब बच्चों को कुछ चीजें खेलने के लिए दी जाएँगी तो वे उनसे खेलेंगे, और उस खेल के अपने खास नियम होंगे। परन्तु जब इन बच्चों से चीजों को संभालने को कहा जाएगा तो वे बड़ों के 'तर्क' के अनुसार उनका समूहीकरण करेंगे। क्या बच्चों में समान और असमान वस्तुओं को साथ-साथ रखने की क्षमता होती है, या नहीं? लगता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें क्या काम दिया गया है।''

हाँ, बिल्कुल सही। और यही प्रत्येक परीक्षक की अन्तिम और अनिवार्य समस्या होती है। वह एक निश्चित उत्तर चाहता है। वह उसके बारे में कैसे पूछे? वह क्या कहे? अगर वह अपने सवाल को बहुत स्पष्टता से पूछता है तो प्रश्न के साथ-साथ वह उत्तर भी दे डालता है। मेरे पाँचवीं के बच्चे, ज्यादातर बच्चों की तरह ही, शिक्षक से ऐसे बेबाक प्रश्न को स्पष्ट तरीके से नहीं पूछता है तो लोगों द्वारा प्रश्न को गलत समझने का डर रहता है। सबसे खराब बात तो यह है कि शिक्षक को शायद यह पता ही न चले कि उसे गलत समझ लिया गया है। और वह, तमाम शिक्षाविदों और मनोवैज्ञानिकों की तरह ही, इन गलत उत्तरों के आधार पर किन्हीं संदिग्ध निर्णयों पर पहुँच सकता है।

मैं उसी बात को दोहराता हूँ। अगर हम टेलीपेथी नहीं जानते तो हम किसी दूसरे के दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है उसके केवल एक छोटे से अंश का अन्दाज भर लगा सकते हैं। पर इससे हमें परेशानी क्या है? शायद कोई नहीं। हम केवल अपनी उत्तेजना और असुरक्षा से बचने के लिए ही लगातार यह जानना चाहते हैं कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, या कि वे क्यों सीख रहे हैं। इसकी बजाय **सच्ची शिक्षा** जो चीज हमसे चाहती है वह है **विश्वास और हिम्मत**। विश्वास इस धारणा में कि बच्चे इस दुनिया को समझने के लिए तत्पर हैं और उसके लिए वे कड़ी मेहनत करेंगे। और हिम्मत इस बात के लिए कि हम उन्हें यह काम अपने आप करने दें; हम उनके इस काम में बार-बार दखल न दें, बार-बार उसकी टोह लेने की कोशिश न करें, बार-बार उन्हें हाँकें नहीं।

क्या यह बहुत मुश्किल है?

(साभार)

ज्ञान की खेती

एक बार भगवान बुद्ध वाराणसी में एक किसान के घर भिक्षा माँगने गये। साथ में कुछ शिष्य भी थे। किसान ने एक बार उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बोला– ''मैं तो किसान हूँ। अपना कठोर श्रम करके पेट पालता हूँ। आप क्यों बिना श्रम किए आहार प्राप्त करना चाहते हो?''

बुद्ध ने शांत भाव से उत्तर दिया– ''भैया, मैं भी किसान हूँ। खेती करता हूँ।''

''कैसे? किसान बोला।

भगवान बुद्ध ने किसान की शंका का समाधान करते हुए कहा– ''मैं ज्ञान की खेती करता हूँ। मेरा खेत आत्मा है। मैं ज्ञान के हल से श्रद्धा के बीज बोता हूँ। तपस्या व साधना के जल से उसे सींचता हूँ। सत्य व अहिंसा के सतत् प्रयास से निर्वाह करता हूँ। यदि तुम मुझे अपनी खेती का कुछ भाग दोगे तो मैं भी अपनी खेती का भाग दूँगा।'' किसान को बुद्ध की बात पसन्द आ गई, वह उनके चरणों में नतमस्तक हो गया।

समाज का दुःख

भूदान यज्ञ के प्रणेता आचार्य विनोबा भावे अपनी बात रोचक उदाहरण देकर प्रस्तुत करते थे। एक नगर में उन्होंने सभा के दौरान कहा– ''समाज दो प्रकार का होता है। एक गेहूँ के ढेर जैसा और दूसरा पानी के जैसा। गेहूँ के ढेर में से एक किलो गेहूँ निकाल दिया जाये तो उसमें गड्ढा पड़ जाता है। गेहूँ के दाने अपनी-अपनी जगह बने रहना चाहते हैं, कुछ ही दाने ऐसे होते हैं जो परोपकारी होते हैं और गड्ढे को भरने की कोशिश करते हैं। किन्तु कुएँ के पानी में ऐसा नहीं होता। एक बाल्टी पानी उसमें से निकालेंगे तो पानी की बूँदों से वह खाली स्थान वापस भर जाएगा। भले ही पानी की सतह कुछ नीचे गिर जाये। समाज में भी ऐसा ही प्यार होना चाहिए। समाज का दुःख बाँटने से घटता है। गरीबी बाँटने से मिटती है। ऐसे प्रवचन सुनकर जमींदार लोग तुरन्त अपनी अतिरिक्त भूमि का दान कर देते थे।

–डॉ. श्याम मनोहर व्यास, पूर्व शिक्षा उप निदेशक, 15, पंचवटी, उदयपुर (राज.)

सतत मूल्यांकन - एक सकारात्मक चिन्तन

❑ डॉ. दाऊदयाल गुप्ता

मूल्यांकन विषयक चिन्तन प्रारम्भ करने से पूर्व आपका ध्यान एक संक्षिप्त कहानी की ओर आकर्षित करना चाहूँगा ताकि मंथन कारगर हो सके– एक कलाकार था, शिल्पकला में माहिर। उसने तीन मूर्तियाँ बनाई। मूर्तियाँ पत्थर की थीं। तीनों एक सी थीं। कहीं पर कोई अन्तर दृष्टिगत न होता था। परन्तु तीनों की कीमत भिन्न-भिन्न थी। जो देखता, आश्चर्य में पड़ जाता। सोचता कि जरूर कोई बात है ! अन्यथा मूल्य में विभेद क्यों होता? एक का मूल्य पाँच सौ रुपए दूसरी का सात सौ तथा तीसरी का ग्यारह सौ रुपया मूल्य निर्धारित था।

जिज्ञासा शान्त होने का नाम न लेती थी। तब एक युवक उधर आ निकला। मनोयोगपूर्वक मूर्तियों को देखता रहा। तदुपरान्त वह एक सुता हुआ धागा लेकर आया। धैर्यपूर्वक उसने बारी-बारी से वह धागा प्रत्येक मूर्ति के कान में दिखलाई देने वाले सूक्ष्म छिद्र में प्रविष्ट करा दिया। प्रयोग प्रत्यक्ष था। दिखाई दिया कि एक मूर्ति के कान में पिरोया धागा उसके दूसरे कान से पार हो गया। दूसरी मूर्ति में जब प्रयोग किया गया तो धागा कान में घुसकर मूर्ति के मुख से बाहर निकल आया। तीसरी मूर्ति जिसकी कीमत कलाकार ने सबसे अधिक निर्धारित की थी, लोगों के आकर्षण का केन्द्र थी। किशोर ने कान में धागा प्रविष्ट करा दिया। धागा धीरे-धीरे चलता चला गया पर कहीं से पार नहीं हुआ। बस पेट में इकट्ठा हो गया।

तीनों मूर्तियाँ हूबहू थीं। पर हुनर में भिन्न-भिन्न थीं। सबको समझ में आ गया कि मूर्तियों में परस्पर भौतिक पदार्थ को लेकर न था वरन् हुनर का था। यही तथ्य मूल्यांकन के सत्य को प्रमाणित करता है।

जीवन के विविध आयामों में मूल्यांकन का महत्व सर्वोपरि है। व्यक्ति कितने पानी में हैं? तैरकर सागर को पार करने की कितनी सामर्थ्य है? किस व्यक्ति को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है? कौन अपनी सूझ-बूझ से, प्राप्त अनुभव से उपस्थित समस्या का समाधान खोज लेने में सक्षम है? अस्तु, मूल्यांकन ही वह प्रक्रिया है जो निश्चित लक्ष्य की ओर बढ़ते कदमों के द्वारा तय किये गये फासले का बोध कराता है।

मूल्यांकन सदैव प्रयोगधर्मी होता है। सैद्धान्तिकता में मूल्यांकन का किंचित विश्वास नहीं है। व्यवहारगत परिवर्तन में ही आस्था है। कोई योजना हो स्वयं में लाभप्रद होती है। किन्तु, समय-काल व स्थान को लेकर योजना की क्रियान्विति सफलता को सुनिश्चित करती है। मूल्यांकन, क्रियान्विति के चरणों, प्राप्त उपलब्धियों पर पैनी दृष्टि रखकर यह प्रतीति कराता है कि हम सकारात्मक दिशा की ओर गतिवान हैं या पुनः चिन्तन करने की जरूरत है। अन्यथा यह उक्ति चरितार्थ होती है कि 'नौ दिन चले अढ़ाई कोस।' अतः मूल्यांकन, सफलता के सोपानों पर आत्मविश्वास के साथ चढ़ने की एक मात्र प्रक्रिया है जिसमें गिरने-गिराने की संभावनाएँ नगण्य हैं। निःसंदेह यह स्थिति आनन्दपूर्ण है जो इस गहन प्रश्न का उत्तर देती है कि 'मूल्यांकन क्यों' हो।

मूल्यांकन का शिक्षा के साथ प्रगाढ़ सम्बन्ध है। शिक्षा पोथियों में बन्द ज्ञान का नाम नहीं। यह तो वस्तुतः शिक्षार्थी का अधिगम है, जिससे मूल्यांकन जुड़ा है। अधिगम, कुशलताओं अथवा क्षमताओं को अर्थवान बनाता है। यदि ज्ञान के व्यापक क्षेत्र में किसी विषय को लेकर शिक्षार्थी क्षमतावान न बने तो व्यर्थ है। दूसरे शब्दों में ज्ञान-विज्ञान से परिपूर्ण, लक्ष्याधारित किसी कौशल में पारंगत होना अपरिहार्य है। आंशिक पारंगति से चक्रव्यूह रूपी समस्या का बेधन किया जा सकता है परन्तु उसी उत्साह के साथ स्वयं को रक्षित कर पाना कठिन होता है। मूल्यांकन ही वह प्रक्रिया है जो किसी शिक्षार्थी को पारंगति के स्तर तक पहुँचाने में सहायक है। ठीक उसी प्रकार जैसे सौ रोटियों को सेकने पर मात्र 30-32 रोटियाँ सही सेकने वाले को हम 'सिकाई कौशल' में दक्ष नहीं कह सकते हैं। दक्षता हासिल करने के लिए सौ में से सौ रोटियाँ सही, सुन्दर तथा बिना जली सेकना प्रथम शर्त है। आज विडम्बना यह है कि पक्की शिक्षा प्राप्त करने का धैर्य शिक्षार्थी में नहीं है। इससे साक्षरता के आँकड़ों में निःसंदेह अभिवृद्धि होती रहती है पर शिक्षा की गुणवत्ता, शैक्षिक परिपक्वता, ज्ञान के अर्थग्रहण एवं तदनुरूप उपयोजन में न्यूनता दृष्टिगत होती है।

यह सत्य है कि अपनी शिक्षा नीति कक्षा प्रथम से आठ तक किसी शिक्षार्थी को असफल घोषित करने की नहीं है। अनुत्तीर्ण न किये जाने की दिशा में कच्ची शिक्षा प्रदान करते हुए सन्तुष्ट हो जाना, तत्सम्बन्धी नीति का मन्तव्य नहीं। इससे तो मूल्यांकन का महत्त्व और अधिक बढ़ जाता है। सम्पूर्ण सत्र पढ़ने के पश्चात्, समय-समय पर आयोजित शैक्षिक क्रियाकलापों में सहभागिता निभाने के उपरान्त शिक्षार्थी के अनुत्तीर्ण होने की स्थिति चिन्ताजनक है जो अनेकानेक प्रश्नों को जन्म देती है। मूल्यांकन ऐसी भयानक स्थिति का नैदानिक एवं उपचारात्मक समाधान खोजने के लिए शिक्षक के हाथ में थमा हुआ एक सशक्त साधन है, उपकरण है। निर्धारित पाठ की प्रत्येक इकाई पर

शिक्षा उपनिदेशक पद से सेवानिवृत्त डॉ. दाऊदयाल गुप्ता बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। आप सेवारत शिक्षक प्रशिक्षणों के जादूगर हैं। आवासीय शिविरों में आपकी उपस्थिति सम्भागियों को बाँधे रखने के लिए पर्याप्त होती है। आपने अनेक पुस्तकें लिखी/सम्पादित की है। आप शिविरा के नियमित लेखक हैं।

अधिगम को लेकर शिक्षार्थी की उपलब्धि क्या रही, सीखने के प्रति उसका उपागम क्या है, यह निर्धारण बिना समय को गँवाये, मूल्यांकन ही बता देता है। हाँ, समस्त प्रक्रिया में व्यक्तिगत ध्यान देने की प्रबल व प्रथम आवश्यकता है। हम भले ही शिक्षार्थी को कछुआ की चाल से चलाएँ, खरगोश जैसी उछाल भरकर बीच की भूमि को लाँघने की प्रवृत्ति को नकार दें किन्तु ज्ञान के छोटे से अंश को सीखने-सिखाने की प्रक्रिया से गुजारें तो मूल्यांकन सकारात्मक ही होगा। गुजरात के शिक्षा मनीषी एवं अन्तर्राष्ट्रीय एम.एल.एल. विशेषज्ञ प्रो. रवीन्द्र दुबे पक्की शिक्षा पर जोर देते थे तथा कहते थे अपना निशाना चूक भले ही जाए, निम्न अर्थात नीचे स्तर का न हो। निशाना निम्न रह जाने पर उससे हानि होने की संभावना अधिक होती है, लाभ की गुंजाइश कदापि नहीं।

मूल्यांकन की प्रक्रिया सतत प्रवाहमान है। यह कदाचित समय सापेक्ष नहीं। समय सापेक्ष मूल्यांकन तो 'परीक्षा' है जो छोटे से छोटे तथा बड़े से बड़े परीक्षार्थी की धड़कन को बढ़ा देती है। चिन्ताग्रस्त कर देने का काम परीक्षा का है, मूल्यांकन का नहीं। परीक्षा में दो ही विकल्प हैं। पहला पास, दूसरा फेल। मूल्यांकन में पास-फेल का प्रश्न नहीं है। खेत में फसल पक गई। दाना निकलकर बाजार की मंडी में आ गया। दाना तो मौजूद है पर किस स्तर का है, यह अंकन किया जाना है। कभी उसके पकने में है या स्वयं बीज की है या फिर सुरक्षा और संरक्षा में लापरवाही है जिसे सुधारना आवश्यक है। शिक्षा के क्षेत्र में तो यह नौबत आती है। वहाँ तो किंचित कोताही शिक्षण की प्रक्रिया में बरती गई तो पारदर्शिता के पैमाने पर स्पष्ट दृष्टिगोचर हो जाती है। इसलिए सतत मूल्यांकन की प्रक्रिया में मूल्यांकन कर्ता को सातत्य के साथ पर्याप्त सावधानी रखनी अपेक्षित होती है।

शिक्षार्थी को मूल्यांकन के प्रति सचेत किए जाने की जरूरत नहीं है। मूल्यांकन की प्रक्रिया सहजतया घटित होती है। पाठान्तर्गत अथवा पाठोपरान्त तथा पूर्णाभ्यास के दौरान मूल्यांकन-निर्वाह किया जा सकता है। चूँकि इस प्रक्रिया में सहजता महत्त्वपूर्ण है अतः इसे मौखिक व लिखित दोनों रूपों में सम्पादित किया जा सकता है। पाठ पढ़ाने से पूर्व भी हल्का सा मूल्यांकन यह अहसास करा देता है कि हमारा Starting point क्या है? यहाँ से चलकर कहाँ पहुँचे हैं तथा कितना पहुँचना शेष है। निष्कर्ष यह है कि सीखने-सिखाने का ग्राफ सभी शिक्षार्थियों का एक सा नहीं होता है। अतः उसे सामान्यीकृत भी नहीं किया जा सकता है। यदि सामान्यीकरण की प्रवृत्ति अपनाई गई तो सतत मूल्यांकन की सफलता व अधिगम की उपलब्धता संदिग्ध बनी रहेगी।

सतत मूल्यांकन की प्रक्रिया को अपनाने वाले शिक्षक को अटूट धैर्यवान होना तथा सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के प्रति आस्थावान होना परमावश्यक है। आइए, सहज एवं सतत मूल्यांकन की प्रक्रिया को समझने के लिए महात्मा तुलसीदास कृत श्रीरामचरित मानस के अन्तर्गत किष्किन्धा काण्ड के दोहा 29 से सम्बद्ध चौपाइयाँ तक चलें। जामवंत मूल्यांकन के फलस्वरूप कुछ कहने को बाध्य हैं–

'कहइ रीछपति सुनु हनुमाना। का चुप साधि रहेउ बलवाना॥
पवन तनय बल पवन समाना। बुधि विवेक विज्ञान निधाना॥
कवन सो काज कठिन जग माँहीं। जो नहिं होइ तात तुम्ह पाहीं॥'

यह रहा सतत मूल्यांकन का प्रतिफलन ! मूल्यांकन कर्ता रीछपति बूढ़े जामवन्त हैं। सागर-तरण का मुद्दा समक्ष है। अनेक वीर भी प्रस्तुत हैं। पर, मूल्यांकन की कसौटी पर हनुमान ही खरा उतरता है– 'जामवंत कह तुम्ह सब लायक। पठइअ किमि ?'

और ऐसा सतत मूल्यांकन स्वयं श्रीराम ने भी समस्त कपि समाज से कर लिया है। श्रीराम जान गये कि समुद्र पार श्री सीता को खोजने का कार्य केवल हनुमान ही कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने हनुमान जी को नजदीक बुलाकर 'मणि-मुँदरी' दे दी जिससे दूत के रूप में पहचानने में श्री सीता को सुविधा हो। जब श्री हनुमान को उनके बल का अहसास हो गया तो फिर, 'सुनितहिं भयउ पर्वताकारा।'

जाम्बवंत के बचन सुनकर वे विराट स्वरूप में आ गये। आत्मविश्वास बढ़ गया। वे वह कार्य कर सके जो अन्य के लिए असाध्य था। निष्कर्ष यह है कि सतत मूल्यांकन द्वारा उपलब्धियों का ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ता है तथा स्वयं प्रेरणास्वरूप बनकर शिक्षार्थी के समक्ष असाधारण संभावनाओं के द्वार खोल देता है। कहना न होगा कि सतत मूल्यांकन की प्रक्रिया हमारी प्राचीन शैक्षणिक प्रक्रिया में ऋषियों व आदर्श गुरुओं द्वारा बीजारोपित होती रही है। वहाँ परीक्षा का यह सहज एवं सतत स्वरूप विद्यमान था जहाँ शिक्षार्थियों के समक्ष नितान्त अनौपचारिक, निर्भीकतापूर्ण एवं असंदिग्धता सफलता का वातावरण प्रतिक्षण सृजित होता था।

सतत मूल्यांकन की अंतःक्रिया अनौपचारिक तो है परन्तु अप्रासंगिक एवं असम्बद्ध नहीं। इसे सफलतापूर्वक सम्पन्न करने के लिए पाठान्तर्गत कठिन बिन्दुओं अथवा क्लिष्ट प्रत्ययों का पूर्व निर्धारण कर लेना आवश्यक होता है। पाठ की ऊपरी सतह पर विचरण करना तथा तद्विषयक सामान्य प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सन्तुष्ट हो जाना पर्याप्त नहीं। पाठ की रग-रग से पाठकों का अनुराग हो जाए, उसका प्रत्येक अंश (सरल व कठोर) पूर्णरूप से तरलित हो शिक्षार्थी के दिल-दिमाग में एक लय हो जाए, यह प्रयास शिक्षकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका में शामिल है। इससे विषयवस्तु की रटन्त भी पूर्ण निवृत्ति की आकांक्षी हो जाती है। ज्ञान अधिगम के क्षेत्र में पहुँचकर व्यवहारगत परिवर्तनों के सूचकों को पारदर्शिता के धरातल पर पुष्ट करता चलता है और तब समस्त सीखने-सिखाने की प्रक्रिया आनन्दपूर्ण हो जाती है। फलतः शिक्षक और शिक्षार्थी सकारात्मक दिशा में अग्रसर होते हुए सहज कह उठते हैं कि–

'उनका दिल हमारे दिल से कुछ इस तरह मिला।
न उन्हें पता चला और न हमें पता चला।'

अस्तु, मूल्यांकन का सातत्य स्वरूप ही वर्तमान युग के विकासमान भारत के लिए सर्वथा समीचीन है। यह ही वह सकारात्मक चिन्तन है जो हमें सचेष्ट बनाने के लिए प्रेरणा देता है।

–ब्यानियान मौहल्ला, दहीवाली गली,
भरतपुर (राज.)

महिला सशक्तीकरण : नये आयाम

❑ प्रतापमल देवपुरा

महिला सशक्तिकरण का आंदोलन पिछली एक चौथाई शताब्दी से चल रहा है। इस अभियान में जागरूक महिला एवं पुरुष दोनों का ही सक्रिय सहयोग एवं प्रयास अपना महत्त्व रखता है। परन्तु अभी तक महिला सशक्तीकरण की यह यात्रा एक संकड़ी पगडंडी पर ही चल रही है। महिला सशक्तीकरण के लिए कुछ मनीषी एवं संस्थाएँ मात्र विचार गोष्ठी, सेमिनार, सम्मेलन कार्यशाला, रैली, नाटक आदि का आयोजन कर ऐसे कार्यक्रमों में महिलाओं के प्रति अपनी भावनाएँ अभिव्यक्त करते हैं। वे उन्हें देवी स्वरूपा जननी, ''माँ'' आदि विशेषणों से विभूषित कर इति श्री कर लेते हैं। ऐसे कार्यक्रमों के केन्द्रीय विषय महिलाओं की समाज में स्थिति, महिला शिक्षा व स्वास्थ्य, महिला कुपोषण, लिंगानुपात में गिरावट, निदेशक मंडलों में महिलाओं की हिस्सेदारी, संसद में लम्बित महिला आरक्षण विधेयक, पंचायतों में महिला पंचों की कार्य दक्षता, महिला सुरक्षा, पुरुषों से समानता आदि मुद्दों पर सीमित रहते हैं। क्या इन मुद्दों से कुछ आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है? यहाँ हमें कुछ अधिक प्रभावशाली मुद्दों जैसे महिलाओं में अंतर्निहित क्षमता, नई पीढ़ी में नैतिक मूल्यों का विकास, शासन प्रणाली में भागीदारी, कानून की जानकारी, भ्रष्टाचार से संघर्ष आदि मुद्दों पर भी गम्भीरता से आगे बढ़ने की जरूरत है।

अंतर्निहित क्षमताओं पर ध्यान केन्द्रित करें : एक इंसान के रूप में महिलाओं में अपार अंतर्निहित क्षमताएँ हैं। इन क्षमताओं की पहचान कर उनका विकास करना सबसे अहम मुद्दा है। किसी भी इंसान पर सशक्तीकरण बाहर से थोपा नहीं जा सकता है यह तो स्वयं को ही जागृत करना होता है। आज जरूरत इस बात की है कि महिलाओं में स्वयं की ताकत के बारे में चेतना जागृत हो जिससे केवल महिलाओं का कल्याण ही नहीं होगा बल्कि वे सामाजिक विकास की प्रवर्तक भी बन सकेंगी। महिलाएँ जब तक अपनी शक्ति, क्षमता और आत्मविश्वास को जागृत नहीं करेंगी तब तक कोई बाह्य कारक उन्हें सशक्त नहीं कर सकता। महिलाएँ अपने लिए स्वयं नीतियाँ बनाएँ, योजनाएँ बनाएँ एवं उन्हें क्रियान्वित करने में भागीदार रहें। इसके लिए उन्हें राजनीतिक शक्ति संरचना व निर्णय प्रक्रिया से जुड़े कार्यकलाप में सुनिश्चित भागीदारी ही महिलाओं को सशक्त कर सकती है। महिला सशक्तीकरण की नीति का उद्देश्य महिलाओं की प्रगति, विकास एवं आत्मशक्ति को सुनिश्चित करना है। महिलाओं का सशक्तीकरण एक लगातार चलने वाली गतिशील प्रक्रिया है।

सामाजिक बदलाव के लिए अपनी भूमिका तय करना : सामाजिक ढाँचे में यहाँ-वहाँ अनेक खामियाँ दिखाई देती है चाहे ये खामियाँ परम्परागत हो या नई। यदि उन्हें पहचान कर दूर करने के उपाय नहीं किए गए तो हम समाज के ढाँचे को सुधार नहीं पाएँगे। रीतिरिवाजों को बनने में वर्षों लगते हैं चाहे वे बुरे हों या अच्छे। सामाजिक कुरीतियों का बहुत जिक्र किया जाता है। यदि उनमें समय रहते वाँछित परिवर्तन नहीं किये गये तो वे समाज को बहुत हानि पहुँचाती हैं। महिलाएँ सामाजिक संगठन बनाकर आपस में विचार-विमर्श करें कि क्या वाँछित है क्या नहीं। यदि कुछ रिवाज वाँछित नहीं हैं तो उसके दुष्परिणाम उन्हें भी भुगतने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए यदि बाल विवाह, दहेज प्रथा, शराब खोरी आदि अवाँछित हैं तो उन्हें रोकने के प्रभावशाली कदम उठाए जाने के उपाय करें। स्वयं भी उनसे दूर रहे उनका विरोध करें। सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया अत्यन्त धीमी एवं टेढ़ी-मेढ़ी गति से आगे बढ़ती है। यदि महिलाएँ अपनी भूमिका निर्धारित कर आगे बढ़े तो सफलता मिल सकती है।

नई पीढ़ी में नैतिक मूल्यों का विकास : नारी को एक जननी के रूप में सृजन करने का महत्त्वपूर्ण दायित्व प्रकृति ने सौंपा हुआ है। यह दायित्व जोखिम भरा, कठिन एवं श्रम साध्य है। अपनी संतान को गर्भ में पाल कर जन्म देना। उसके बाद उनमें बाल्यकाल से लेकर युवा बनने की प्रक्रिया में शिक्षा एवं कौशल सहित अनेक मानवीय गुणों का विकास करना भी काफी महत्त्वपूर्ण दायित्व है। यदि महिलाएँ इस दायित्व को ठीक से नहीं निभायेगी तो नई पीढ़ी के नैतिक एवं चारित्रिक गुणों का विकास नहीं होगा। समाज की संरचना, सरकारी प्रयास विभिन्न देशों से सहकारिता आदि बातें खत्म हो जाएगी। इन व्यवस्थाओं को चलाना तो आखिर इंसान को ही है। यदि इंसान में उच्च मानवीय गुणों का विकास नहीं हो सका तो फिर समाज रचना समाप्त हो जाएगी। महिलाओं की अतिव्यस्तता के कारण परिवार पर दुष्प्रभाव पश्चिमी देशों में ही क्या हमारे देश में भी दिखाई देने लगा है। अतः नई पीढ़ी में नैतिक गुण एवं आस्थाजनक मूल्य उत्पन्न करने के दायित्वों पर पूरा ध्यान दिया जाना आवश्यक है। घर में महिलाएँ, स्कूल में अध्यापिकाएँ, बच्चों को इस तरह की शिक्षा दें ताकि एक नैतिक मनोबल वाली पीढ़ी अंकुरित हो।

शासन प्रणाली के प्रति जागरूकता एवं भागीदारी : हमारे देश में शासन चलाने की लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। महिलाएँ इस प्रक्रिया में अपनी पूरी भागीदारी नहीं निभाती हैं। उनकी रुचि राजनीतिक मामलों में कम होती है। संविधान में महिला एवं पुरुषों को बराबरी का हक दिया है तब फिर क्या कारण है कि महिलाएँ अपनी पूरी भागीदारी नहीं करती है? काफी प्रयत्नों के बाद पंचायती राज में तो महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत पद आरक्षित किए गए हैं। परन्तु विधान सभा एवं संसद में यह मामला अभी लम्बित चल रहा है। राजनीतिक पार्टियों ने अपने संगठनों में भी महिलाओं को पूरी भूमिका नहीं दी है। उन्हें चुनाव में खड़ा होने का मौका ही नहीं दिया जाता है। अब तक वे ''वोट बैंक'' के रूप में चुनावों के दौरान पुरुषों के हक में एक हथियार रही है उन्हें अब अपनी जागरूकता के आधार पर इस ''वोट बैंक'' का उपयोग महिलाओं से जुड़े सभी मुद्दों पर करना है। जब

तक वे लोकतंत्र की शासन प्रणाली में अपनी पूरी पकड़ नहीं बना लेगी तब तक फैसलों में उनके प्रति भेदभाव समाप्त होना कठिन रहेगा।

नियमित रूप से समाचार सुनने, विचार-विमर्श में भाग लेने, अखबार, पत्रिकाएँ पढ़ने, जानकारी बढ़ाने वाले कार्यक्रमों देखने, व्याख्यानों में भाग लेने से उनमें राजनीतिक, आर्थिक, कानूनी और राष्ट्रीय मुद्दों पर ज्ञान की वृद्धि हो सकती है। महिलाओं को राजनीतिक रुझानों, अदालती टिप्पणियों, कानूनी प्रक्रियाओं समेत कई मुद्दों पर जानकारी रखनी चाहिए। केवल महिलाओं के समूह में ही नहीं बल्कि महिला व पुरुषों के सम्मिलित समूहों के मध्य राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक विषयों पर विचार-विमर्श में पूरी भागीदारी करनी चाहिए।

सरकारी योजनाओं की जानकारी रखना : महिलाओं विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को अपने से सम्बन्धित सरकारी योजनाओं के बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए। यदि ये जानकारियाँ होंगी तो उन्हें अपने अधिकार और लाभ के लिए दावा करने, उसको प्राप्त करने व उनका लाभ उठाने का अवसर मिलेगा। उन्हें ये जानकारियाँ खुद हासिल करनी चाहिए। इससे वे आश्वस्त हो सकेंगी कि उन्हें कोई धोखा नहीं दे रहा है। स्वयं सहायता समूह के गठन, महिला मंडल को मूर्तरूप देकर खुद का संघटन बनाकर वे सामाजिक रूप से सुदृढ़ हो सकेंगी।

यदि वे शहरी क्षेत्र में रहती हैं तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि उनका निर्वाचित प्रतिनिधि कौन है और अपने क्षेत्र के लिए जरूरत की कौनसी मदद उनसे ली जा सकती हैं। मसलन-सक्रिय स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र, पानी-बिजली की नियमित आपूर्ति, सार्वजनिक परिवहन, पुलिस चौकी, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, परिवार सलाह व ध्यान केन्द्र आदि। अपने प्रतिनिधियों से सामाजिक आवश्यकता के क्षेत्रों में उन्हें हासिल करना चाहिए। यदि प्रतिनिधि ध्यान न दें, तो संघर्ष करके हासिल करें।

कानून की जानकारियाँ रखना : हमारे देश में कई कानून बने हुए हैं। कुछ अंग्रेजों के जमाने के हैं और कुछ हमारी विधान सभा एवं लोक सभा ने बनाएँ हैं। उनमें समय-समय पर बदलाव भी होते रहते हैं। प्रायः उनकी भाषा भी क्लिष्ट होती है परन्तु उन्हें जानना एवं समझना जरूरी है।

महिलाओं को कुछ प्रमुख कानूनों की जानकारी होनी जरूरी है। उदाहरण के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत आप व्यक्तिगत रूप से एक प्रार्थना पत्र देकर सरकारी विभागों से आवश्यक जानकारियाँ ले सकती हैं। ये जानकारियाँ अपने अधिकारों के लिए लड़ने में काफी कारगर होती हैं। दूसरा घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम जिसकी मदद से महिलाओं के खिलाफ रात-दिन होने वाली हिंसा से बचा जा सकता है। ऐसे ही कई कानून और हो सकते हैं जैसे पिता की सम्पत्ति में अधिकार, यौन उत्पीड़न .... आदि कानूनों को मूल रूप से पढ़ना एवं समझना चाहिए। इन प्रावधानों की जानकारियाँ हासिल करके वे स्वयं सक्षम बन सकेंगी।

व्यावसायिक प्रशिक्षण से क्षमता हासिल करना : तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए पहल करना जरूरी है। इस संचार क्रान्ति के युग में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। यदि समय परिवर्तन के साथ कदम मिलाकर नहीं चला गया तो बहुत विलम्ब हो जाएगा। खुद के रोजगार के खातिर महिलाएँ प्रशिक्षण केन्द्रों पर रहकर दक्षता हासिल कर सकती है। उनको यह जानकारियाँ करनी चाहिए कि उनके लिए कौनसा व्यापार, व्यवसाय मुफीद है। उसे कहाँ एवं कैसे किया जा सकता है व्यापार अच्छा चले इसके लिए वे बाजार, बैंकिंग की जानकारी ले सकती है। स्वयं सहायता समूह इस दिशा में आगे बढ़ने का एक रास्ता है।

अपने देश में सभी महिलाएँ एक जैसी स्थिति में नहीं हैं। कुछ को आसानी से अवसर मिल जाते हैं और कुछ को नहीं मिलते। जब अवसर मिलते हैं तो आत्म विश्वास के साथ उसे हासिल करें, अवसर का लाभ उठाना आना चाहिए। जिन्हें आसानी से मौके नहीं मिल पाते, वे अपने लिए स्वयं अवसर उत्पन्न करें, मौके की तलाश करें या अवसरों की माँग करें। महिलाओं को अपनी मदद के लिए नेटवर्क बनाना चाहिए। किसी भी काम की तुरन्त शुरुआत अपने निकटवर्तियों, परिवार और पड़ोसियों, गाँव व समूह से कर सकती है। धीरे-धीरे अपने दायरे को बड़ा करके आगे बढ़ें।

भ्रष्टाचार के खिलाफ निरन्तर संघर्ष करना : हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार एक गुन की तरह लग गया है। भ्रष्टाचार वर्तमान समय में हमारे देश में सभी बुराइयों की प्रमुख जड़ है। लोकतंत्र के प्रमुख स्तम्भ न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायका एवं मीडिया सभी भ्रष्टाचार से प्रभावित हुए हैं। इसलिए महिलाएँ मिलकर एक ऐसी संयुक्त योजना बनाएँ जो भ्रष्टाचार के खिलाफ निरन्तर संघर्ष करें। महिलाएँ अपनी सामूहिक ताकत को महसूस करें यह उनकी क्रियाशीलता में दिखाई भी देनी चाहिए। भ्रष्टाचार से निपटने के प्रयास किसी भी स्तर पर हो सकते हैं, बड़े या छोटे स्तर पर, नौकरीशाही खिलाफ या राजनीतिक स्तर पर। महिलाएँ भ्रष्टाचार से पीड़ित होने वालों में एक प्रमुख हिस्सा है। भ्रष्टाचार ने सभी जगह नीचे से ऊपर तक आम आदमी को जकड़ लिया है। हमारे तमाम संसाधनों जिनमें प्राकृतिक एवं मानव निर्मित सभी को दूषित कर दिया है। अधिकांश नौकरशाह अपने प्राथमिक कर्त्तव्य से दूर हो गए हैं। उनका मकसद जनता की सेवा से हटकर बेशुमार धन-दौलत इकट्ठा करना हो गया है। महिलाओं के समूह इस बुराई से कारगर ढंग से लड़ने का संकल्प करें।

देश की महिलाओं को मुख्य धारा से अलग रखकर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकास किया जाना असंभव है। हमारे देश ने अनेक उपलब्धियाँ अर्जित की है और विकास के लिए एक लम्बे सफर के बावजूद अभी अधिकांश महिलाएँ अपने अधिकारों के लिए प्रतीक्षा कर रही हैं। इनमें गरीब एवं ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएँ अधिक हैं। जब तक नीति निर्धारण और उसके क्रियान्वयन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी उनको अपना हक नहीं मिल सकेगा। पुरातन धारणाओं को बदल कर महिलाओं को भी अपनी मनःस्थिति में बदलाव करना है। महिलाओं को अपनी क्षमता पहचान कर विकास के डगर पर ऊर्जा से आगे बढ़ने पर ही महिला सशक्तीकरण का लक्ष्य पूरा होगा।

–पूर्व प्रधानाचार्य
1/सी, शिवाजी नगर (उदियापोल),
उदयपुर-313001

1. संस्कृत संस्थाओं के वरिष्ठ अध्यापकों प्रथम श्रेणी (सामान्य विषय) की न्यूनतम योग्यताओं का अंकन □ 2. आरटीई के अन्तर्गत सत्र 2013-14 में निजी विद्यालयों में 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश के लिए अंतिम तिथि के सम्बन्ध में। □ 3. गैर सरकारी विद्यालयों को निःशुल्क प्रवेशित विद्यार्थियों को प्रति बालक व्यय (Unit Cost) सत्र 2013-14 की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में दिशा निर्देश। □ 4. विभाग में पेंशन प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के सन्दर्भ में दिशा-निर्देश। □ 5. निजी विद्यालयों को आरटीई के अन्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2013-14 में प्राथमिक विद्यालय को मान्यता एवं प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर हेतु दी जाने वाली मान्यता/क्रमोन्नति के सम्बन्ध में। □ 6. अधिनियम 2011 के प्रावधानों के अन्तर्गत राजकीय सेवा से निवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों/समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में।

1. संस्कृत संस्थाओं के वरिष्ठ अध्यापकों प्रथम श्रेणी (सामान्य विषय) की न्यूनतम योग्यताओं का अंकन

• माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर • क्रमांक : मान्यता/मा.शि.बो./2013/529-535 दिनांक : 17/01/2013 • कार्यालय आदेश • बोर्ड अधिवेशन दिनांक 08.11.12 के प्रस्ताव संख्या 27 की पालना अन्तर्गत मान्यता सम्बन्धित विनियम निर्देश पुस्तिका (हैण्ड बुक) के अध्याय-13 बी में क्र.सं. 6 पर **संस्कृत संस्थाओं के वरिष्ठ अध्यापकों प्रथम श्रेणी (सामान्य विषय) की न्यूनतम योग्यताओं का अंकन** निम्नानुसार किया जाता है।

(स) विद्यालय वरिष्ठ उपाध्याय स्तर (व.अ. प्रथम ग्रेड)

1. हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, गणित, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान, चित्रकला, भूगोल, जीव विज्ञान/वनस्पति विज्ञान विषयों के लिए शिक्षा में उपाधि सहित सम्बन्धित विषयों में न्यूनतम 48% अंकों सहित द्वितीय श्रेणी स्नातकोत्तर उपाधि।

अथवा

शिक्षा में उपाधि सहित सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि एवं जिन्हें प्रवेशिका/वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालयों अथवा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में पढ़ाने का 05 वर्षों का अनुभव हो।

2. हिन्दी/अंग्रेजी शीघ्र लिपि एवं टंकण तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण के लिए द्वितीय श्रेणी में व्यावसायिक प्रशासन में स्नातकोत्तर तथा बी.कॉम में हिन्दी/अंग्रेजी शीघ्र लिपि अथवा व्यावसायिक प्रशासन विषय में स्नातकोत्तर एवं हिन्दी/अंग्रेजी शीघ्र लिपि में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा।

उक्त संशोधन तुरन्त प्रभाव से प्रभावी होंगे। • **ह., सचिव।**

2. आरटीई के अन्तर्गत सत्र 2013-14 में निजी विद्यालयों में 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश के लिए अंतिम तिथि के सम्बन्ध में

• राजस्थान सरकार, स्कूल शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग • क्रमांक : प.9(2)शिक्षा-5/2005 पार्ट जयपुर, दिनांक : 31.1.2013 • विषय : आरटीई के अन्तर्गत सत्र 2013-14 में निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटों पर निःशुल्क प्रवेश के लिए अन्तिम तिथि के सम्बन्ध में। • उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि आरटीई के अन्तर्गत सत्र 2013-14 में निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटों पर ''असुविधाग्रस्त समूह'' एवं ''कमजोर वर्ग'' के बालकों को निःशुल्क प्रवेश दिये जाने के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरान्त नीतिगत निर्णय लिया जाकर प्रवेश कार्य की अन्तिम तिथि **16 जुलाई, 2013** निर्धारित की जाती है।

अतः उक्त निर्णय के सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित पक्षों एवं निजी विद्यालयों को सूचित कर पालना सुनिश्चित करावें।

• **ह., शासन उप सचिव।** • क्रमांक : शिविरा/प्रारं/आर.टी.ई/निःशुल्क प्रवेश/18885/13-14/5 दिनांक : 4.2.2013

3. गैर सरकारी विद्यालयों को निःशुल्क प्रवेशित विद्यार्थियों को प्रति बालक व्यय (Unit Cost) सत्र 2013-14 की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में दिशा निर्देश

• कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक : शिविरा/प्रारं/आर.टी.ई./यूनिट कॉस्ट/वो-II/18882/12-13/231 दिनांक : 29.1.2013 • विषय : गैर सरकारी विद्यालयों को निःशुल्क प्रवेशित विद्यार्थियों को प्रति बालक व्यय (Unit Cost) सत्र 2013-14 की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में दिशा निर्देश। • राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 11(6) के अनुसार कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों के सम्बन्ध में प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा करने वाला धारा 2 खण्ड (ढ) के उक्त खण्ड (iii) (iv) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विद्यालय अपना दावा विद्यालय में प्रवेश दिये गये कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों की सूची सहित राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में सम्बन्धित ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी/नोडल प्रधानाचार्य को प्रस्तुत करेगा।

इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश एवं प्रपत्र निम्नानुसार है जिनके अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

1. प्रत्येक विद्यालय धारा 12 की उपधारा(2) के अधीन प्रतिपूर्ति के रूप में उसके द्वारा प्राप्त रकम के सम्बन्ध में एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

2. प्रतिपूर्ति वर्ष में दो बार सीधे विद्यालय को दी जाएगी। सत्रारम्भ की पहली प्रतिपूर्ति अक्टूबर मास में की जाएगी और शेष शैक्षणिक सत्र की कालावधि के लिए अन्तिम प्रतिपूर्ति जून के अन्त में की जाएगी।

3. कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों के सम्बन्ध में प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा करने वाला धारा 2 खण्ड (ढ) उपखण्ड (iii) और (iv) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विद्यालय अपना दावा विद्यालय में प्रवेश दिये गये कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों की सूची सहित राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में सम्बन्धित ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी/नोडल प्रधानाचार्य को प्रस्तुत करेगा। दावा प्रत्येक वर्ष अगस्त और अक्टूबर मास में प्रस्तुत किया जाएगा।

4. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी/नोडल प्रधानाचार्य अन्तिम प्रतिपूर्ति करने से पूर्व बालकों का नामांकन सत्यापित कर सकेगा या सत्यापित करवा सकेगा।

5. प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों द्वारा सम्बन्धित

ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रस्ताव विद्यालयों द्वारा सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा को प्रेषित किये जाएँगे।

6. शुल्क के पुनर्भरण के कार्य का जिला स्तर पर मानिटरिंग जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) द्वारा किया जाएगा। जिला स्तर पर ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी से प्राप्त प्रस्तावों एवं जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा से प्राप्त प्रस्तावों को समेकित करने का दायित्व जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा का होगा।

7. पुनर्भरण प्रक्रिया पारदर्शी होगी। इसमें संस्था को यह परिवचन देना होगा कि (i) 25 प्रतिशत की सीमा में दिए गए बालकों का प्रवेश कार्य पूर्णतया विभागीय निर्देशों के अनुसार पारदर्शी तरीके से किया गया है। (ii) बालकों के माता-पिता एवं अभिभावकों से किसी भी प्रकार का शुल्क वसूल नहीं किया गया है और न ही सत्र के दौरान लिया जाएगा। (iii) इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की विसंगति अन्यथा बात प्रमाणित होती है तो शिक्षा विभाग को संस्था के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

उपर्युक्त विवरणानुसार शुल्क का निम्न पंचांग के अनुसार पुनर्भरण किया जा सकेगा–

कार्य का विवरण	प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त
1. संस्था द्वारा बीईईओ/डीईओ (माध्यमिक) को प्रस्ताव प्रेषित करना।	5 अगस्त तक	31 अक्टूबर तक
2. बीईईओ/डीईओ (माध्यमिक) द्वारा परीक्षणोपरांत प्रस्ताव डीईईओ को प्रेषित करना।	5 सितम्बर तक	31 दिसम्बर तक
3. डीईईओ द्वारा समेकित प्रस्ताव निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर को भेजना।	20 सितम्बर तक	31 जनवरी तक
4. निदेशालय द्वारा बजट आवंटन	30 सितम्बर तक	28 फरवरी तक
5. संस्थाओं के खाते में राशि स्थानान्तरण	31 अक्टूबर तक	30 जून तक

उपर्युक्त दिशा निर्देशों एवं पंचांग के अनुसार संस्थाएँ अपना दावा प्रपत्र 'क' में ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी प्रपत्र 'ख' में अपने ब्लॉक से सम्बन्धित दावों को समेकित कर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा को तथा प्रपत्र ग में जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा समेकित सूचना निदेशालय को प्रस्तुत करेंगे।

संलग्न : प्रपत्र क, ख व ग • **ह., निदेशक।**

गैर सरकारी विद्यालय द्वारा ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी/नोडल प्रधानाचार्य को प्रस्तुत किये जाने वाला प्रपत्र 'क'
दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह के 25 प्रतिशत बालकों के लिए प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा प्रपत्र सत्र 20... - 20....

जिला : ..... ब्लॉक : ..... नॉडल विद्यालय : .....

निजी विद्यालय का नाम व पता : .....

बैंक खाते का विवरण : खाता संख्या : ..... बैंक का नाम : ..... IFSC कोड संख्या : .....

क्र. सं.	कक्षा	कक्षा के कुल स्थानों की 25 प्रतिशत संख्या	विद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष नियमानुसार कक्षावार निर्धारित शुल्क की राशि	न्यूनतम 25 प्रतिशत निःशुल्क प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या																क्या विद्यालय को कोई भी भूमि, भवन, उपस्कर या अन्य सुविधाएँ निःशुल्क या रियायती दर से प्राप्त हुई है? यदि हाँ तो विवरण देवें।	निःशुल्क प्रवेशित बालकों की प्रमाणित सूची संलग्न है अथवा नहीं?
				बीपीएल		न्यून आय वर्ग (आय 2.50 लाख तक)		एससी		एसटी		ओबीसी (आय 2.50 लाख तक)		एसबीसी (आय 2.50 लाख तक)		निःशक्त बालक		कुल निःशुल्क प्रवेशित विद्यार्थी			
				छात्र	छात्राएं	छात्र	छात्राएं	छात्र	छात्राएं	छात्र	छात्राएं	छात्र	छात्राएं	छात्र	छात्राएं	छात्र	छात्राएं	छात्र	छात्राएं		

संस्था प्रधान द्वारा प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि– **1.** निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(2) के प्रावधानानुसार प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रमाणित सूची संलग्न की जा रही है। **2.** इन बालकों के प्रवेश के लिए आर.टी.ई. के प्रावधानानुसार प्रवेश प्रक्रिया की पालना पूर्ण रूप से की गई है तथा इन विद्यार्थियों से सम्बन्धित समस्त अभिलेख संधारित कर लिये गये हैं। **3.** विद्यालय को कोई भी भूमि, भवन, उपस्कर या अन्य सुविधाएँ निःशुल्क या रियायती दर से प्राप्त नहीं हुई है। **4.** बालकों के माता पिता एवं अभिभावकों में किसी भी प्रकार का शुल्क वसूल नहीं किया गया है और न ही सत्र के दौरान वसूल किया जायेगा। **5.** विभाग द्वारा जाँच करने पर किसी प्रकार की विसंगति अन्यथा बात प्रमाणित होती है तो शिक्षा विभाग को संस्था के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार होगा और दी गई प्रतिपूर्ति की राशि लौटा दी जावेगी।

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर एवं मोहर

सत्यापन अधिकारी का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ..... विद्यालय ..... द्वारा प्रस्तुत दावे के नामांकन का सत्यापन करवाकर दावे की विश्वसनीयता व वैधता की जाँच कर ली गई है तथा दावा आर.टी.ई. के प्रावधानानुसार सही एवं प्रतिपूर्ति के योग्य है।

सत्यापनकर्ता अधिकारी

नोडल प्रधानाचार्य/ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर

ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) को प्रस्तुत किये जाने वाला प्रपत्र 'ख'

दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह के 25 प्रतिशत निःशुल्क प्रवेशित बालकों के लिए प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा प्रपत्र सत्र 20... - 20....
(आर.टी.ई नियम 11(6) के अन्तर्गत दावा)

ब्लॉक : ..... जिला का नाम : .....

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	विद्यालय द्वारा निःशुल्क प्रवेशित विद्यार्थी संख्या								शुल्क के आधार पर देय प्रतिपूर्ति की राशि	राज्य सरकार द्वारा तय यूनिट कॉस्ट के आधार पर देय राशि	कॉलम संख्या 11 व कॉलम 12 में जो कम है वह राशि	वि.वि.
		पूर्व प्राथमिक			कक्षा-1	कक्षा-2	कक्षा-3	कक्षा-4	योग				
		नर्सरी	एल.के.जी.	यू.के.जी.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि इस प्रपत्र में सम्मिलित सभी विद्यालयों का दावा प्रपत्र 'क' में प्रस्तुत दावे के नामांकन का सत्यापन करवाकर दावे की विश्वसनीयता व वैधता की जाँच कर ली गई है तथा दावा आर.टी.ई. प्रावधानानुसार सही एवं प्रतिपूर्ति के योग्य है।

ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी/ जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शि.)

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) द्वारा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा को प्रस्तुत किये जाने वाला प्रपत्र 'ग'

दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह के 25 प्रतिशत निःशुल्क प्रवेशित बालकों के लिए प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा प्रपत्र सत्र 20... - 20....
(आर.टी.ई नियम 11(6) के अन्तर्गत दावा)

जिला का नाम : .....

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	आर.टी.ई. एक्ट 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रावधानानुसार निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे बालकों की कक्षावार संख्या									निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे प्रतिपूर्ति की राशि	वि.वि.
		पूर्व प्राथमिक			कक्षा-1	कक्षा-2	कक्षा-3	कक्षा-4	कक्षा-5	योग		
		नर्सरी	एल.के.जी.	यू.के.जी.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

प्रमाणित किया जाता है–

1. कॉलम संख्या 12 में माँग की गई राशि विद्यालय द्वारा कक्षावार वसूल की जा रही फीस/विभाग द्वारा तय प्रति बालक प्रतिपूर्ति की राशि दोनों में जो न्यून है उसके आधार पर गणना की गई है।
2. गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिपूर्ति के दावों के नामांकन का सत्यापन करवाकर दावे की विश्वसनीयता व वैधता की जाँच करवा ली गई है तथा दावा आर.टी.ई. एक्ट के प्रावधानानुसार सही एवं प्रतिपूर्ति के योग्य है।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा

4. विभाग में पेंशन प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के सन्दर्भ में दिशा-निर्देश

• कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक : शिविरा/मा/पेंशन-स/34981/2012/ दिनांक : 9.1.2013 • परिपत्र • विषय : विभाग में पेंशन प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के सन्दर्भ में दिशा-निर्देश। • राजस्थान पेंशन नियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/पेंशन-अ/34925/09/120 दिनांक 15.10.12 की निरन्तरता में निम्नांकित दिशा निर्देश पेंशन प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु पुनः प्रसारित किए जाते हैं–

(1) राजस्थान सेवा नियम (पेंशन) 1996 के परिशिष्ठ 8 के अनुसार समस्त नियुक्ति अधिकारी अपने अधीनस्थ कार्यरत कार्मिकों के सेवानिवृत्ति आदेश सेवा निवृत्ति तिथि से एक वर्ष पूर्व प्रपत्र-6 में जारी करें। सेवानिवृत्ति आदेश में विभागीय जाँच विचाराधीन है अथवा नहीं प्रमाण-पत्र अवश्य अंकित किया जाए।

(2) राजस्थान सेवा (पेंशन) नियम 1996 के परिशिष्ट 8 में अबकाया प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कार्यालयाध्यक्ष अधिकृत है। अतः निदेशालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा समेकित अदेय प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को बन्द किया जाए।

(3) समस्त नियुक्ति अधिकारी सेवानिवृत्ति आदेश (एक वर्ष पूर्व) जारी करने से दो माह पूर्व प्रक्रिया प्रारम्भ करते हुए विभागीय जाँच/लेखाडी-4(चोरी, गबन) इत्यादि की लम्बित जाँच के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त कर सेवा निवृत्ति आदेश निर्धारित प्रपत्र-6 में प्रसारित करें।

(4) निदेशक, पेंशन विभाग, जयपुर द्वारा जारी पेंशन प्रकरण चैक स्लिप जो इस कार्यालय के प्रसंगाधीन पत्र दिनांक 24.3.11 एवं 15.10.12 द्वारा सभी उप निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारियों को प्रेषित की गई थी, अनुसार प्रत्येक पेंशन प्रकरण की जाँच की जाए ताकि प्रकरण में आक्षेप की सम्भावना नहीं रहे।

(5) पेंशन विभाग से पेंशन प्रकरण आक्षेपों सहित प्राप्त होने पर आक्षेपों की पूर्ति हेतु संस्था प्रधान एवं सम्बन्धित लिपिक को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बुलाकर आक्षेपों की पूर्ति हाथों हाथ करवाते हुए पेंशन प्रकरण पुनः पेंशन विभाग में भिजवाने की व्यवस्था की जाए, ताकि पेंशन प्रकरण का शीघ्र निस्तारण हो सके।

(6) राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 96 के परिशिष्ठ-8 में प्रदत्त अनुदेशों की पालना प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर सुनिश्चित की जाए। • **ह., निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।** • क्रमांक : शिविरा/माध्य/पेंशन-स/34981/2012 दिनांक : 09.01.2013

5. निजी विद्यालयों को आरटीई के अन्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2013-14 में प्राथमिक विद्यालय को मान्यता एवं प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर हेतु दी जाने वाली मान्यता/क्रमोन्नति के सम्बन्ध में

• कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक : शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/सी/19626/मूलमान्यता/13-14 दिनांक : 4.2.2013 • विज्ञप्ति • विषय : निजी विद्यालयों को आरटीई के अन्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2013-14 में प्राथमिक विद्यालय को मान्यता एवं प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर हेतु दी जाने वाली मान्यता/क्रमोन्नति के सम्बन्ध में। • राजस्थान राज्य में सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य एवं निजी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों द्वारा इस लक्ष्य की प्राप्ति में निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका के दृष्टिगत निजी क्षेत्र में कार्यरत निजी विद्यालयों को प्राथमिक स्तर की मान्यता एवं प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालय में मान्यता/क्रमोन्नयन हेतु निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन आवेदन करना होगा–

(1) प्राथमिक स्तर की मान्यता एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर मान्यता/क्रमोन्नयन प्राप्त करने हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 21 जून, 2011 को राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम 1993 में विद्यालयों की मान्यता से सम्बन्धित प्रावधानों में विस्तृत संशोधन अधिसूचित किए जा चुके हैं, जिसके अनुरूप सम्बन्धित निजी विद्यालयों को फार्म नं. 1 में यथानिर्दिष्ट सक्षम अधिकारी को आवेदन करना होगा।

(2) इसके अतिरिक्त संस्था द्वारा राज्य सरकार/इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों/निर्देशों व अनुदेशों का तत्परता से पालन करने एवं उनसे समय-समय पर माँगी जाने वाली अन्य सूचनाएँ देने बाबत सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा को इस कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में अंडरटेकिंग प्रस्तुत करना होगा।

(3) राज्य सरकार के आदेश दिनांक 08.02.11 के द्वारा मूकबधिर एवं दृष्टिहीन छात्रों हेतु संचालित निजी विद्यालयों के क्रमोन्नयन के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा।

(4) विद्यालय भवन में मोबाईल टावर नहीं होने तथा विद्यालय परिसर से हाईटेन्शन विद्युत तार नहीं गुजरने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र संस्था से लेना होगा।

(5) प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के विद्यार्थी किसी अन्य निजी विद्यालय अथवा सरकारी विद्यालय में प्रवेश पा सकते हैं।

(6) क्रमोन्नति की इच्छुक प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर के निजी विद्यालयों को आवेदन के साथ निम्नानुसार क्रमोन्नयन शुल्क एवं आरक्षित कोष की राशि भी जमा करानी होगी–

निर्धारित कार्यक्रम

स्तर	आवेदन की अंतिम तिथि	निरीक्षणोपरान्त मान्यता जारी करने की अंतिम तिथि
1. प्राथमिक/उच्च प्राथमिक (हिन्दी/अंग्रेजी)	28 फरवरी 2013	30 अप्रैल 2013

निर्धारित शुल्क

स्तर	मान्यता शुल्क की राशि (रुपयों में)	आरक्षित कोष की राशि (रुपयों में)
1. प्राथमिक/उच्च प्राथमिक (हिन्दी/अंग्रेजी)	1000/-	10,000/-

संस्थाओं को मान्यता शुल्क का बैंक ड्राफ्ट सम्बन्धित जिला शिक्षा

अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा के नाम से निर्धारित तिथि तक बनवाना होगा। राशि बैंकड्राफ्ट से ही जमा करवानी होगी। आरक्षित कोष की राशि का बैंकड्राफ्ट बालिका शिक्षा फाउण्डेशन जयपुर के नाम से बनवाकर संस्था को आवेदन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी (जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा) को प्रस्तुत करना होगा।

(7) अग्निशमन संयंत्रों की स्थापना करवाने के लिए भी संस्था द्वारा शपथपत्र देना होगा।

(8) विद्यालयों को क्रमोन्नति से पूर्व पैनल निरीक्षण की पुरानी व्यवस्था लागू की जावे।

(9) जिस निजी विद्यालय को जिस सत्र से मान्यता/क्रमोन्नति स्वीकृति जारी की गई है उसी सत्र में विद्यालय प्रारम्भ करना होगा। विद्यालय शुरू नहीं करने की स्थिति में दी गई मान्यता/क्रमोन्नति स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी तथा संस्था को अगले सत्र प्रारम्भ से पूर्व मान्यता/क्रमोन्नयन के लिए विधिवत नियमानुसार पुनः शुल्क आदि जमा करवाकर आवेदन करना होगा।

(10) राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1993 की मान्यता सम्बन्धी शर्तों की पूर्ति नहीं करने पर सशर्त मान्यता प्रदान नहीं की जावेगी।

(11) निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में वर्णित मान एवं मानदण्डों की पूर्ति करना आवश्यक होगा अन्यथा आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(12) मान्यता/क्रमोन्नयन हेतु आवेदन करने की अन्तिम तिथि में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(13) प्राथमिक स्तर से उच्च प्राथमिक स्तर की मान्यता/क्रमोन्नति की इच्छुक निजी विद्यालयों को क्रमसंख्या 1 से 12 तक निर्दिष्ट शर्तों की पालना कर आवेदन पत्र, शपथ पत्र, अंडरटेकिंग, मान्यता शुल्क एवं आरक्षित कोष की राशि सक्षम प्राधिकारी (सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा) को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 28.02.2013 होगी।

(14) सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा कार्यालय द्वारा उन्हीं निजी विद्यालयों के आवेदन पत्र को स्वीकार किया जाएगा जिन संस्थाओं द्वारा उपर्युक्तानुसार सभी शर्तों की पूर्ति कर दी गई हों।

(15) प्राथमिक विद्यालय की मान्यता हेतु आवेदन करने वाली संस्था को संस्था के नाम से 50,000/- अक्षरे रुपये पचास हजार मात्र की सावधि जमा (एफडी) खाते में जमा रखने होंगे जिसकी छाया प्रति जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा कार्यालय में आवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

(16) आवेदन करने वाली संस्था फार्म नं. 1 व चैकलिस्ट-A की प्रति सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा कार्यालय से प्राप्त कर एवं उसकी पूर्ति कर संस्था सचिव के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन पत्रावली के साथ निर्धारित तिथि से पूर्व सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

(17) आवेदन करने वाली संस्था द्वारा निम्न वचन पत्र को भरकर सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा।

वचन पत्र

(अण्डरटेकिंग)

मैं ..... (नाम) ..... (पद) वचन देता हूँ कि संस्था द्वारा राज्य सरकार/निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/जिला एवं ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों, निर्देशों व अनुदेशों का पालन किया जाएगा एवं उनके द्वारा समय-समय पर माँगी जाने वाली प्रत्येक सूचना समय पर प्रेषित की जाएगी।

हस्ताक्षर एवं मोहर
(अध्यक्ष/सचिव, प्रबंधन समिति)

(18) निरीक्षणोपरान्त सभी मानदण्ड/शर्तों की पूर्ति करने वाली संस्था को सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 30.04.2013 तक मान्यता/क्रमोन्नति के आदेश आवश्यक रूप से जारी करने होंगे।

• ह., निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

15.6.2012 की मीटिंग के बाद रिवाईज्ड चैकलिस्ट-A
दिनांक 01.08.2012 से लागू

निजी (गैर सरकारी) प्राइमरी एवं मिडिल स्कूल/संस्था खोलने/क्रमोन्नत करने के लिए

आवेदन पत्रावली के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची की चैक लिस्ट-A

संस्था का नाम व पता .....

1. प्राइमरी से मिडिल स्कूल क्रमोन्नत करने के लिए आवेदन करने पर पूर्व आदेशों की सत्यापित प्रति संलग्न – है/नहीं
2. पंजीयन प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न – है/नहीं
3. प्रबंध समिति के संविधान की सत्यापित प्रति संलग्न – है/नहीं
4. प्रबन्ध समिति के सदस्यों की सूची (मय विभागीय प्रतिनिधि का नाम) की सत्यापित प्रति संलग्न – है/नहीं
5. कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की सूची की सत्यापित प्रति संलग्न – है/नहीं
6. भवन के नक्शे के ब्ल्यू प्रिन्ट की सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजकीय उपक्रम, हाउसिंग बोर्ड, स्थानीय निकाय के सहायक अभियन्ता से प्रमाणित की सत्यापित प्रति संलग्न – है/नहीं
7. यदि भवन व स्कूल खेल मैदान की भूमि निजी नहीं है तो किरायेनामे की सत्यापित प्रति (नोट- स्थायी मान्यता हेतु स्कूल भवन व खेल मैदान की भूमि के निजी मालिकाना हक के रजिस्टर्ड दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति अथवा 11 माह के किरायेनामे की रजिस्टर्ड लीज डीड की सत्यापित प्रति आवश्यक है।) (विधिक राय के अध्यधीन) (प्राथमिक एवं मिडिल स्कूल के लिए खेल मैदान हेतु समुचित भूमि होनी अपेक्षित है।)
8. कुल निर्मित कमरों की संख्या, इनका माप (नार्म्स के अनुसार) एवं उपयोग का विवरण की सत्यापित प्रति संलग्न (राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 19.3.1994 द्वारा दी गई शिथिलताएँ दिनांक 31.7.12 तक लागू रहेगी) – है/नहीं
9. दिनांक 1.8.12 के बाद प्राप्त आवेदन के लिए स्कूल भवन की भूमि एवं खेल मैदान की भूमि का (अकृषि प्रयोजनार्थ/शैक्षिक प्रयोजनार्थ) रूपान्तरित करवाने बाबत ग्रामीण क्षेत्रों में सक्षम राजस्व अधिकारी/

तहसीलदार/एस.डी.एम./जिला कलक्टर/राजस्व विभाग द्वारा तथा शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम/विकास प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी से जारी रूपान्तरण Conversion आदेश की सत्यापित प्रति संलग्न/यदि भूमि पहले से ही आबादी क्षेत्र में स्थित हो तो स्कूल की भूमि/खेल मैदान की भूमि को शैक्षणिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लेने के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी के आदेश की सत्यापित प्रति – है/नहीं

10. विद्यालय में छात्र/छात्राओं के पृथक-पृथक शौचालय की व्यवस्था है, प्रमाण की सत्यापित प्रति संलग्न – है/नहीं
11. आवेदन पत्र के बिन्दु सं. 22(2) के अनुसार विद्यालय/संस्था के आसपास के वातावरण का प्रदूषण रहित होने का संस्था के अध्यक्ष के घोषणा की प्रति संलग्न – है/नहीं
12. स्कूल/संस्था में स्वच्छ पेयजल व एहतियात के तौर पर अग्नि शमन की पर्याप्त व्यवस्था होने का संस्था प्रधान/सचिव के घोषणा पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न – है/नहीं
13. आवेदन पत्र के बिन्दु सं. 23(1) के अनुसार संस्था का साम्प्रदायिक तथा राजनैतिक गतिविधियाँ में भाग नहीं लेने के सम्बन्ध में प्रबन्ध समिति द्वारा पारित प्रस्ताव के प्रमाण की सत्यापित प्रति तथा इस सम्बन्ध में सचिव का शपथ पत्र संलग्न – है/नहीं
14. शैक्षिक भवन जो 50 वर्ष तक पुराने हैं के सम्बन्ध में प्रति 3 साल में एक बार पी.डब्ल्यू.डी. विभाग अथवा अन्य राजकीय उपक्रम/हाउसिंग बोर्ड/स्थानीय निकाय के सहायक अभियन्ता से भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न। जो भवन 50 वर्ष से अधिक पुराने हैं उनकी संस्था/उपक्रम सुरक्षित होने के सम्बन्ध में प्रति वर्ष पी.डब्ल्यू.डी. विभाग अथवा अन्य राजकीय उपक्रम/हाउसिंग बोर्ड/स्थानीय निकाय के सहायक अभियन्ता से भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न – है/नहीं
15. कुल छात्र संख्या के लिए उपयुक्त फर्नीचर उपलब्ध होने के सम्बन्ध में संस्था प्रधान/संस्था सचिव की घोषणा की सत्यापित प्रति संलग्न – है/नहीं
16. छात्र/छात्राओं के लिए स्वास्थ्य प्रशिक्षण की सुविधाएँ उपलब्ध है के घोषणा पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न – है/नहीं
17. बालिका फाउण्डेशन की रसीद की फोटोप्रति (राजकीय नियमानुसार जमा है) की सत्यापित प्रति संलग्न – है/नहीं
18. शिक्षक पूर्णरूपेण योग्यताधारी रखे जाने के सम्बन्ध में घोषणा पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न – है/नहीं
19. आवर्तक/अनावर्तक खर्चे का विवरण की सत्यापित प्रति संलग्न – है/नहीं
20. आरक्षित राशि जमा कराने के साक्ष्य की सत्यापित प्रति संलग्न – है/नहीं
21. संस्था के आय के स्रोत एवं प्राप्त आय के विवरण की सत्यापित प्रति संलग्न – है/नहीं
22. राज्य सरकार/बोर्ड को देय शुल्क/पैनल्टी आदि बकाया राशि को राजस्व भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूल करने के लिए चल/अचल सम्पत्तियों का शाला प्रधान/सचिव के हस्ताक्षर युक्त विवरण पत्र की मूल प्रति संलग्न (इस बिन्दु पर बाद में पृथक से निर्णय होगा)
23. बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अनुसार सभी शर्तों/निर्देशों की पालना कर ली गई का शपथ-पत्र संलग्न – है/नहीं
24. शाला भवन, खेल मैदान की वीडियोग्राफी की सी.डी. एवं आवेदन पत्र वाँछित शपथ पत्र तथा उक्तानुसार समस्त दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी की सीडी (मार्कर पेन से संक्षिप्त विवरण सहित) संलग्न – है/नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरण एवं आवेदन-पत्र में वर्णित तथ्य सही हैं और यदि विभाग द्वारा जाँच के दौरान कोई गलत तथ्य पाया जाता है तो मान्यता शुल्क एवं आरक्षित कोष की राशि को जब्त कर आवेदन-पत्र को निरस्त कर दिया जाए।

हस्ताक्षर संस्था सचिव
पूरा नाम .....
पूरा पता .....
.....
मो.नं. .....

.....

विद्यालय का स्थायी/अस्थायी मान्यता शुल्क रु. ..... एवं बकाया .....
माह का विलम्ब शुल्क ..... वार्षिक शुल्क .....
कुल राशि ..... बैंक में जमा कराकर डी.डी. प्रस्तुत करें।

चैक लिस्ट के अनुसार दस्तावेजों की सक्षम जाँचकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर (हस्ताक्षर जाँचकर्ता अधिकारी)
पूरा नाम .....
पूरा पता .....
.....
मो.नं. .....

जाँच करने के बाद सभी दस्तावेजात एवं सी.डी. संलग्न पाये गये अतः आवेदक को आवेदन शुल्क/मान्यता फीस बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट से जमा कराने की स्वीकृति दी जाती है।

हस्ताक्षर जाँचकर्ता सक्षम अधिकारी .....

नोट : घोषणा पत्र व शपथ पत्र सभी सम्बन्धित तथ्यों का एक-एक ही प्रस्तुत किया जा सकता है।

विशेष नोट : अस्थायी/स्थायी मान्यता की पत्रावली में निर्धारित चैक लिस्ट- के अनुसार बिन्दुवार प्रलेख नम्बर डालकर समेकित करें तथा समस्त बिन्दुओं की पूर्ति होने के पश्चात मान्यता हेतु आवेदन करें। अन्यथा पत्रावली स्वीकार नहीं की जावेगी।

6. अधिनियम 2011 के प्रावधानों के अन्तर्गत राजकीय सेवा से निवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों/ समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में

• कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान • क्रमांक : शिविरा/प्रारं/पेंशन/13107/लोसेगाअ/2013 दिनांक : 12.2.2013 • परिपत्र • विषय : राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम 2011 के प्रावधानों के अन्तर्गत राजकीय सेवा से निवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के पेन्शन प्रकरणों/ समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में। • प्रसंग : इस कार्यालय द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 21.02.2012 • उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक सम्बन्ध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि राज्य में 14 नवम्बर 2011 से राजस्थान लोक सेवाओं के प्रश्न की गारन्टी अधिनियम 2011 लागू किया गया है इस अधिनियम के तहत सम्मिलित सेवाओं में क्रमांक 58 व 59 पर राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारियों/ कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण समय पर निस्तारित करने एवं समस्याओं के निराकरण हेतु पेंशन सम्बन्धित सेवाएँ भी सम्मिलित हैं।

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन नियम) 1996 में पेंशन प्रकरण सेवानिवृत्ति से 6 माह पूर्व तैयार कर पेंशन विभाग को पहुँचाने का तथा सेवा में रहते हुए कार्मिक की मृत्यु हो जाने की स्थिति में उसकी पारिवारिक पेंशन प्रकरण एक माह में तैयार करके पेंशन विभाग को पहुँचाने का दायित्व सम्बन्धित कार्यालय के कार्यालय अध्यक्ष का है।

लोक सेवाएँ प्रदान करने हेतु गारन्टी अधिनियम एवं पेंशन नियमों के अनुसार समस्त कार्यालयाध्यक्ष को पुनः निर्देशित किया जाता है कि अधिसूचना के क्रमांक 58 व 59 पर अंकित पेंशन प्रकरणों में सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम 2011 के अन्तर्गत की गई कार्यवाही की मासिक सूचना प्रत्येक माह की 10 तारीख को अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को प्रस्तुत करें, विलम्ब की स्थिति में अधिनियम की धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

• ह., निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

फार्म नं.-4

शिविरा पत्रिका के स्वामित्व और अन्य विवरण, जो केन्द्रीय धारा 1956 के अन्तर्गत समाचार-पत्र के रजिस्ट्रेशन के लिए प्रकाशित करने आवश्यक हैं–

1. प्रकाशन संस्थान : माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
2. प्रकाशन अवधि : मासिक
3. मुद्रक : डॉ. वीना प्रधान
   राष्ट्रीयता : भारतीय
   पता : निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
4. प्रकाशक : डॉ. वीना प्रधान
   राष्ट्रीयता : भारतीय
   पता : निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
5. सम्पादक : डॉ. वीना प्रधान
   राष्ट्रीयता : भारतीय
   पता : निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

मैं डॉ. वीना प्रधान, घोषित करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी में एवं विश्वास के साथ सत्य और वास्तविकता पर आधारित है।

(डॉ. वीना प्रधान)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

शिविरा

शिविरा विभाग की अद्भुत पत्रिका।
विषयवस्तु, नियमों, आलेखों से भरपूर पत्रिका।
राज. शिक्षा विद्यालयों में पहुँचती पत्रिका।
शिविरा के नाम से जानी जाती है, पत्रिका।।

शैक्षिक परिवेश से सज्जित यह पत्रिका।
विभागीय दूत बन संदेश सुनाती यह पत्रिका।
ज्ञान का दीपक जलाती यह पत्रिका।
शिविरा के नाम से जानी जाती है, पत्रिका।।

प्रशासनिक ढाँचा दिखलाती है, पत्रिका।
निदेशकों के विचार पढ़ाती है, पत्रिका।
संपादकीय से सबको लुभाती है, पत्रिका।
शिविरा के नाम से जानी जाती है, पत्रिका।।

बालक, बालिकाओं के मन भाती है, पत्रिका।
बड़े चाव से सभी मँगवाते पत्रिका।
गाँव-गाँव, ढाणी-ढाणी में जाती यह पत्रिका।
शिविरा के नाम से जानी जाती है, पत्रिका।।

शिक्षा का प्रचार करने वाली पत्रिका।
शिक्षा की सरिता कहलाती पत्रिका।
निरक्षरों को साक्षर बनाती पत्रिका।
सबको लुभाने वाली पत्रिका।
शिविरा के नाम से जानी जाती है, पत्रिका।।

लेखकों को आमंत्रण देती पत्रिका।
उनकी रचनाओं को हृदय से लगाती पत्रिका।
'वसुधैव कुटुम्बकम्' के भाव वाली पत्रिका।
महेश कहै, आपसे, मँगाओ शिविरा पत्रिका।।

–महेश चन्द्र श्रीमाली, पूर्व. का.स., शिक्षा विभाग
3 थ-8, हिरणमगरी सेक्टर-5, प्रभात नगर, उदयपुर (राज.)

रपट

श्रेष्ठ विद्यालय पुरस्कार समारोह

राजस्थान सरकार की विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट परिणाम देने वाले श्रेष्ठ राजकीय विद्यालयों को सम्मानित करने का चतुर्थ अध्याय 8 फरवरी 2013 को लिखा गया जब राज्य के माननीय शिक्षामंत्री श्री बृजकिशोर शर्मा एवं राज्यमंत्री श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परिसर में स्थित राजीव गाँधी सभागार में 61 राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को सम्मानित किया। पुरस्कृत विद्यालय वे हैं जिन्होंने शिक्षा विभाग द्वारा घोषित प्रतिमानों के अनुसार विविध क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियों के अनुसार जिला, मण्डल एवं राज्यस्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस प्रकार प्रति वर्ष राज्य में 33 जिला 7 मण्डल एवं एक राज्य की संख्या के अनुसार 41 राजकीय माध्यमिक एवं 41 उच्च माध्यमिक विद्यालयों का सम्मान हेतु चयन करने के लिए प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। इस वर्ष के चयन अनुसार 61 विद्यालयों को सम्मान हेतु चुना गया।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में अजमेर स्थित कार्यालय परिसर में स्थित भव्य राजीव गाँधी सभागार प्रदेश की इस अद्भुत विद्यालयों के संस्था प्रधानों को सम्मानित करने के लिए दुल्हन की तरह सजाया गया था। कार्यक्रम के अतिथियों के पधारने पर राजस्थान की अतिथि देवो भव परम्परा का अनुसरण करते हुए सभी ने खड़े होकर करतल ध्वनि से उनका भावभरा स्वागत किया। सभागार जीवन्त हो उठा था। संगीत की मधुर स्वरलहरियाँ आनन्द को दुगुना कर रही थीं।

विद्या की देवी माँ सरस्वती की वंदना एवं अतिथि महानुभावों के स्वागत के उपरान्त इस भव्य समारोह का आगाज हुआ। चारों ओर अनुशासन एवं जिज्ञासा का वातावरण था। साक्षी बनने वाला हर व्यक्ति अपनी उपस्थिति को करतल ध्वनि के रूप में स्थापित करना चाहता था। इस अवसर पर मुख्य अतिथि माननीय शिक्षामंत्री श्री बृजकिशोर शर्मा ने सरकारी विद्यालयों में कार्य करने वाले शिक्षकों की योग्यता एवं क्षमता की चर्चा करते हुए उनसे पूर्ण क्षमता एवं निष्ठा के साथ अध्यापन कार्य करने की अपील की। गुणवत्तायुक्त शिक्षा आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इस हेतु शासन ने विद्यार्थियों एवं शिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक योजनाएँ प्रारम्भ की है जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं।

अध्यक्षीय उद्बोधन में शिक्षा राज्यमंत्री श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ ने कहा कि शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। हमारी सरकार ने बजट शिक्षा को समर्पित किया है। उन्होंने विद्यालयों को समाज के लिए प्रगति व खुशहाली के द्वार बनने की अपील की। कार्यक्रम के पूर्व में बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. सुभाष गर्ग ने मानजोग अतिथियों एवं आगन्तुकों का स्वागत करते हुए बताया कि बोर्ड को पेपरलेस बनाने के लिए निरन्तर कोशिश की जा रही है।

विद्यालयों को सम्मानित करने के क्षण बड़े रोमांचकारी थे। कार्यक्रम संयोजक द्वारा विद्यालय का नाम पुकारने के साथ ही सम्बन्धित संस्था प्रधान का मंच की ओर मुखातिब होकर जाना, अतिथियों द्वारा माल्यार्पण, प्रशस्ति पत्र एवं राशि का चैक देकर सम्मानित करना तथा इस दौरान सभागार में मधुर करतल ध्वनि। करतल ध्वनि तथा तालियों की बौछार। इस प्रकार एक-एक करके 61 विद्यालयों को सम्मानित होने का गौरव प्राप्त हुआ। इन सम्मानित विद्यालयों में राज्य स्तर पर दो, मण्डल स्तर पर तेरह तथा छियालीस जिला स्तर के विद्यालय हैं।

उच्च माध्यमिक विद्यालयों की शृंखला में राज्य स्तर पर लगातार चौथी बार अव्वल रहकर पुरस्कार प्राप्त करने आने पर सभागार में हुई करतल ध्वनि देखने योग्य थी। तालियों की अनवरत गड़गड़ाहट से सभागार देर तक गुंजायमान रहा। और यह था भी स्वाभाविक। आखिर चार वर्ष तक लगातार और वह भी सीमावर्ती जिले के एक छोटे से गाँव का विद्यालय। यह किसी तपस्या जैसा ही है। इस हेतु माननीय शिक्षामंत्री जी ने विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री महेन्द्र कुमार चौधरी एवं उनके साथ आए दो शिक्षकों को विशेष शील्ड देकर विशेष रूप से सम्मानित किया। सभागार में उपस्थित हर व्यक्ति इस महान संस्था के प्रधानाचार्य को बधाई देने के लिए उतावला हो रहा था।

–व.सं.

राज्य, मण्डल एवं जिला स्तर पर पुरस्कृत श्रेष्ठ विद्यालय

राज्य स्तर पर ***माध्यमिक विद्यालय*** राजकीय माध्यमिक विद्यालय, ईग्यासनी (नागौर)।
उच्च माध्यमिक विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, 40 जी.बी. (श्रीगंगानगर)।

मण्डल स्तर पर ***माध्यमिक विद्यालय*** **जयपुर** में राजकीय उ.मा.वि., (नवक्रमोन्नत) सबलपुरा (सीकर)। **चूरू** में राजकीय माध्यमिक विद्यालय डूमरा (झुंझुनूं)। **जोधपुर** में राजकीय माध्यमिक विद्यालय, हमीरा (जैसलमेर)। **कोटा** में राजकीय माध्यमिक विद्यालय, ठीकरदा (बून्दी)। **अजमेर** में राजकीय माध्यमिक विद्यालय, लेबर कॉलोनी, भीलवाड़ा। **उदयपुर** में राजकीय माध्यमिक विद्यालय, बदराणा (उदयपुर)। ***उच्च माध्यमिक विद्यालय*** **जयपुर** में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, मालवीय नगर, जयपुर। **चूरू** में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, हेतमसर (झुंझुनूं)। **जोधपुर** में राजकीय बालिया बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, पाली। **कोटा** में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, तलवण्डी, कोटा। **अजमेर** में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जारोड़ा (नागौर)। **उदयपुर** में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जेठाणा (डूंगरपुर)। **भरतपुर** में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मनिया (धौलपुर)।

जिला स्तर पर ***माध्यमिक विद्यालय*** **जयपुर** में राजकीय माध्यमिक विद्यालय, मैन्दवास। **अलवर** में राजकीय माध्यमिक विद्यालय, मौहम्मदपुर। **चूरू** में राजकीय माध्यमिक विद्यालय, मून्दीताल। **झुंझुनूं** में राजकीय माध्यमिक विद्यालय, बीबासर। **जोधपुर** में श्रीमती गोमा देवी गहलोत राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, कालीबेरी, जोधपुर। **जालौर** में राजकीय माध्यमिक विद्यालय, पादरली। **सिरोही** में राजकीय माध्यमिक विद्यालय, पाडीव। **कोटा** में राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, कोटड़ी गोरधनपुरा। **बून्दी** में राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सहण। **बारां** में राजकीय माध्यमिक विद्यालय, पाठेड़ा। **झालावाड़** में महारानी बृजकँवर राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, झालावाड़। **अजमेर** में राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, लोहाखान, अजमेर। **नागौर** में राजकीय माध्यमिक विद्यालय, नोखा चान्दावता। **भीलवाड़ा** में राजकीय माध्यमिक विद्यालय, आटून। **टोंक** में राजकीय माध्यमिक विद्यालय, अविकानगर। **उदयपुर** में राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, गरीबनगर, उदयपुर। **चित्तौड़गढ़** में राजकीय माध्यमिक विद्यालय, ऐराल। **बांसवाड़ा** में राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, नई आबादी, बांसवाड़ा। **राजसमन्द** में राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, कुरज। **डूंगरपुर** में राजकीय माध्यमिक विद्यालय, रणौली। **सवाईमाधोपुर** में राजकीय माध्यमिक विद्यालय, करमोदा। ***उच्च माध्यमिक विद्यालय*** **जयपुर** में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बीलवाड़ी। **अलवर** में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मुण्डावरा। **सीकर** में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सिंहासन। **दौसा** में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भाण्डारेज। **चूरू** में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, लोहा। **झुंझुनूं** में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सोटवारा। **हनुमानगढ़** में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, गोलूवाला। **श्रीगंगानगर** में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ख्यालीवाला। **बीकानेर** में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बरसिंहसर। **जालौर** में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सांकरना। **सिरोही** में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, सरूपगंज। **पाली** में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बाबरा। **कोटा** में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, दादाबाड़ी, कोटा। **बून्दी** में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, देहित। **बारां** में बृजमोहन विजय राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, मांगरोल। **झालावाड़** में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, डूंगरगांव। **अजमेर** में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, आदर्श नगर, अजमेर। **नागौर** में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, परवतसर। **भीलवाड़ा** में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, हुरडा। **टोंक** में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, देवली। **उदयपुर** में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, भुपालपुरा, उदयपुर। **चित्तौड़गढ़** में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बूढ़। **राजसमन्द** में राजकीय महाराजा प्रताप उच्च माध्यमिक विद्यालय, खमनोर। **धौलपुर** में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मांगरोल। **सवाईमाधोपुर** में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, मानटाऊन।

नारी शिक्षा के दिव्य दूत : महर्षि कर्वे

❑ वृद्धिचन्द गोठवाल

पढ़ने में आता है संसार में अनेक महापुरुषों का जन्म बहुत साधारण परिवार में हुआ है। जिन्हें पेटभर रोटी नहीं, कपड़ों का ठिकाना नहीं और जीवन की अन्य सुविधा सामग्री तो स्वप्न की बातें होती हैं। लेकिन पुरुषार्थ और मानव की सेवा भावना से प्रेरित होकर कठिन परिस्थितियों में भी समाज के अन्दर देवोपम स्थान पा जाते हैं। ऐसे ही एक महान समाजसेवी और नारी शिक्षा के प्रबल समर्थक महर्षि कर्वे का जन्म महाराष्ट्र के कोंकण प्रान्त में मुरूड़ गाँव में सन् 1858 में 18 अप्रैल को हुआ था। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होते हुए भी उनमें शिक्षा के प्रति अत्यधिक लगाव था। हालांकि कुशाग्र बुद्धि के नहीं होने के कारण वे चौथी कक्षा में फेल हो गए थे, किन्तु हिम्मत नहीं हारी और पढ़ाई को जारी रखा। महर्षि कर्वे के बचपन का नाम अण्णा था और दुबले-पतले एवं नाटे कद के थे। जब सतारा छठी कक्षा की परीक्षा देने गए तो परीक्षक को इनके अठारह वर्ष के होने का विश्वास नहीं हुआ। उन दिनों छठी कक्षा में वही बैठ सकता था जिसकी उम्र अठारह वर्ष की हो। महर्षि कर्वे ने उम्र के प्रमाण-पत्र पेश किए फिर भी परीक्षक ने उन्हें परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया और उन्हें हाथ मलकर रह जाना पड़ा। फिर एक साल पश्चात् कोल्हापुर जाकर छठी की परीक्षा उत्तीर्ण की। कठिन परिश्रम एवं सच्ची लगन से सन् 1881 में मैट्रिक और सन् 1884 में बी.ए. पास हुए। पहली बार अध्यापक बनने का निश्चय किया तो मुम्बई के एल्फिन्सटन हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक ने इन्हें नाटा और दुबला-पतला देखकर कि ये छात्रों पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे अतः इन्हें नौकरी देने से इन्कार कर दिया। परन्तु सौभाग्य से एल्फिन्सटन कॉलेज के प्रिन्सीपल महर्षि कर्वे को जानते थे, उनकी सिफारिश से उन्हें हाईस्कूल में नौकरी मिल गई। अब वे अण्णा साहब के नाम से भी प्रसिद्ध हो गए। उनकी कक्षा के कई छात्र उनसे मोटे-ताजे थे जो इन्हें बुद्धू साबित करने की कोशिश करने लगे मगर अपने गणित विषय को अच्छी तरह पढ़ाने लगे तो छात्र हार मानकर उनके प्रिय शिष्य बन गए। उन्हीं दिनों पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज में उनके सहपाठी गोपाल कृष्ण गोखले भी गणित के प्राध्यापक थे, उनके आमंत्रण पर अण्णा साहब गणित पढ़ाने के प्राध्यापक बन गए। वहाँ उन्होंने 23 वर्ष तक पढ़ाकर सन् 1914 में स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। उस बीच सन् 1891 में अण्णा साहब की पत्नी का स्वर्गवास हो जाने से उन्होंने 1893 में गोदावरी नामक एक विधवा के साथ पुनर्विवाह कर लिया। ब्राह्मण समाज में विधवा-विवाह निन्दनीय अपराध माना जाता था। जब वे अपने गाँव गए तो उनका सामाजिक बहिष्कार हुआ। यहाँ तक कि इनके घर-परिवार वालों ने भी बहिष्कार किया किन्तु महर्षि कर्वे बिल्कुल विचलित नहीं हुए। उन्होंने लोगों को विधवा-विवाह की आवश्यकता समझाई और ''विधवा प्रतिबन्ध निवारण मण्डल'' नामक एक संस्था की स्थापना कर दी। स्वयं का पैसा खर्च करके वे जगह-जगह लोगों की शंकाओं का निवारण करते। उन्होंने सन् 1893 में ''अनाथ-विधवाश्रम'' नामक संस्था बनाकर विधवाओं की शिक्षा का प्रबन्ध किया। जिसके अध्यक्ष रामकृष्ण गोपाल भांडारकर और अण्णा साहब सचिव बने। तीन साल बाद इस संस्था का नाम ''अनाथ बालिकाश्रम'' कर दिया। महर्षि ने अपनी बीमा राशि पाँच हजार इस संस्था को दान कर दी। संस्था के विकास हेतु अण्णा साहब धनी लोगों से चन्दा इकट्ठा करते एवं बालिका शिक्षा व्यवस्था में लगा देते। उस समय महात्मा गाँधी भी वार्षिक दस रुपया देकर इस संस्था के सदस्य रहे और गाँधी जी ने ''यंग-इण्डिया'' में इस व्यवस्था की प्रशंसा में लेख लिखा। निर्धन एवं असहाय लोगों की शिक्षा व्यवस्था में महर्षि ने जीवनभर काम किया।

उन्होंने नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक स्वतंत्र विश्वविद्यालय बनाने की योजना बनाकर सन् 1916 में पूना और हिंगने के बीच एरण्ड स्थान पर ''भारतीय महिला पीठ'' की स्थापना की। मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाकर गृह विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, चित्रकला, संगीत एवं पाकशास्त्र आदि शिक्षा देने का प्रबन्ध किया। यहाँ की व्यवस्था और शिक्षा स्तर को देखकर फिर तो इस विश्वविद्यालय को मुम्बई के पूँजीपति विट्ठलदास ठाकरसी ने 15 लाख रुपये सहायतार्थ दिए तो इस संस्था का नाम श्रीमती नाछीबाई दामोदर ठाकरसी विद्यापीठ हो गया। यह पहला महिला विश्वविद्यालय था। महर्षि कर्वे ने 86 वर्ष की आयु के उपरान्त भी ग्रामीण जनता की शिक्षा के लिए ''ग्राम प्राथमिक शिक्षा मण्डल'' नामक संस्था की स्थापना करके गाँवों में प्राथमिक शालाएँ चलाई। समाज को शिक्षित करने एवं शिक्षा को बढ़ावा देने जैसी सेवाओं से प्रभावित होकर कई विश्वविद्यालयों द्वारा उन्हें डाक्टर की उपाधि से विभूषित किया गया और भारत सरकार ने भी 1958 में सर्वोच्च उपाधि ''भारत रत्न'' से उन्हें सम्मानित किया तथा उनके सम्मान में डाक टिकट भी प्रचारित किया।

महर्षि कर्वे की मान्यता थी कि समाज का निर्माण परिवारों से होता है और परिवार निर्माण का उत्तरदायित्व अधिकांश नारी का है अतः नारी शिक्षा की दिशा में जन-जागरण कर सन् 1929 में व्यापक प्रचार के लिए विश्वभ्रमण किया। उन्होंने स्विटजरलैण्ड, आयरलैण्ड, फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैण्ड, चीन, जापान, मलाया आदि अन्य कई देशों की यात्रा की और 47 हजार रूपये संग्रह करके विद्यापीठ में दिए। उन्होंने विदेशों में महिला शिक्षा सम्बन्धी भारतीय दृष्टिकोण तथा विद्यापीठ के उद्देश्यों को समझाया। परिणाम स्वरूप हमारे देश की साख ऊँची हुई। महर्षि कर्वे ने भारतीय महिला विद्यापीठ के मुख्यतः निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए थे– 1. विचारों में मौलिकता और

व्यवहार में सरलता एवं सादगी का विकास। 2. जाति-धर्म निरपेक्ष उदार वृत्तियों का विकास करना। 3. लड़कियों में सद्गृहिणी की कर्त्तव्यनिष्ठा एवं उसकी महत्ता समझाकर उनमें सामाजिक चेतना का जागरण करना। 4. बालकों की तरह बालिकाओं की भी कौमार्य एवं ब्रह्मचर्य की अवधि बढ़ाने के प्रयत्न करना। 5. लड़कियों में आत्म-निर्भरता एवं आत्म विश्वास का विकास करना। 6. बालिकाएँ यथार्थ रूप से सुपत्नी, सुगृहिणी, सुमाता बन सकें इसके लिए उन्हें गृहकला में कुशल बनाना। 7. बालिकाओं की शिक्षा मातृभाषा में देना।

देश एवं विदेश के लोग इस प्रकार के उद्देश्यों से प्रभावित होकर भारतीय विद्यापीठ के समर्थक और सहायक बन गए। विश्वभ्रमण से निवृत्त होकर देश में स्थान-स्थान पर शिशु विहार, बाल अध्ययन मन्दिर, कन्या शालाएँ आदि संस्थाओं की स्थापना की और उन्हें विद्यापीठ से जोड़ा।

इस प्रकार लगभग सौ वर्ष की आयु तक महर्षि कर्वे समाज के उत्थान एवं नारी शिक्षा उत्थान के कार्यों द्वारा देश का कल्याण करते हुए कर्ममय जीवन बिताकर 9 नवम्बर सन् 1962 को इस संसार से विदा हो गए किन्तु उनकी तपस्या, त्याग तथा परिश्रम के फलस्वरूप राष्ट्र के उद्धार में जो सहयोग एवं सहायता प्राप्त हुई वह अमूल्य एवं हम सबके लिए प्रेरणादायक है जिसे युगों-युगों तक स्मरण किया जाएगा।

–सेवानिवृत्त, व्याख्याता
74, सरस्वती सदन, गौतम आश्रम के सामने,
कपासन-312202 (चित्तौड़गढ़)

संस्कार निर्माण में नारी की भूमिका

❑ सम्पतलाल शर्मा 'सागर'

मानव जीवन के सर्वतोमुखी विकास के लिए संस्कार विशेष महत्त्व रखते हैं। हमारे महान् ऋषि-महर्षियों ने गर्भाधान जीवन के आरम्भ से लेकर अन्त्येष्टि पर्यन्त सोलह संस्कारों की आवश्यकता वेदों में प्रतिपादित की है।

संस्कार का आशय संस्करण, परिष्करण, विमलीकरण तथा विशुद्धिकरण है। जिस प्रकार किसी मलिन वस्तु को धो-पोंछकर शुद्ध-पवित्र बना लिया जाता है अथवा सोने को आग में तपाकर उसके मलों को दूर किया जाता है और मल के जल जाने पर सोना विशुद्ध रूप में चमकने लगता है।

ठीक उसी प्रकार संस्कारों के द्वारा जीव के जन्म-जन्मान्तरों से संचित मूलरूप निकृष्ट कर्म संस्कारों का भी दूरीकरण किया जाता है।

ऐतिहासिक तथ्यों से ही नहीं, वैज्ञानिक अनुसंधानों द्वारा भी प्रमाणित है कि शिशु अपनी गर्भस्थ अवस्था में भी मिलने वाले बाह्य कारकों से प्रभावित होता है। प्रह्लाद जी, अभिमन्यु, राजा परीक्षित आदि का जीवन-वृत मानव मात्र को अनुशासित और निर्देशित करने के लिए पर्याप्त है कि सन्तान के प्रति दायित्व निर्वहन की सावधानी उसके संसार में पदार्पण करने से पूर्व ही आरम्भ हो जानी चाहिए ताकि सुसंस्कारित संतान जीवन मूल्यों के सहारे अपने भावी जीवन के उद्यान में विकसित-प्रफुल्लित होकर देश के विकास की सुरम्य कड़ी बन सके। संस्कारहीन संतान परिवार, समाज व राष्ट्र की दुर्गति के कारक तो है ही, साथ ही पृथ्वी पर भार भी है। अतः संतान की उत्पत्ति मात्र से कर्त्तव्य की इतिश्री कदापि नहीं माननी चाहिए।

बड़ा ही अफसोस है कि हम राष्ट्रीय चरित्र निर्माणार्थ मौलिक संस्कारों की पृष्ठभूमि पर परिवार, समाज व राष्ट्र के प्रति दायित्व निर्वहन में पिछड़ते जा रहे हैं। इसलिए शिक्षा का प्रचार-प्रसार होते हुए भी शिक्षित संसार में हताशा, निराशा, दुराशा की परतें घनी होती जा रही हैं। शिक्षित युवक, युवतियाँ संस्कारों के अभाव में विचलित हैं। अनुकूलन एवं सामंजस्य का सम्बल उनसे बेहद दूर होता जा रहा है। निरन्तर बिगड़ते सामाजिक, आर्थिक संतुलन में अपने-आपको संभालने में असमर्थ युवक, युवतियाँ धैर्य खोकर बर्बरता-जघन्यता की गहरी खाई में आत्मघात को तत्पर हैं। दिल्ली गैंग रेप इस बात का एक ज्वलन्त उदाहरण है।

पाश्चात्य संस्कृति के कुप्रभाव ने न केवल पुरुष बल्कि नारी को भी संस्कारविहीन बना दिया है। भारतीय नारी आधुनिकता के बहाव में पाश्चात्य सभ्यता के रंग में इस कदर रँगी हुई है कि अपनी महान संस्कृति से वह प्रतिदिन विमुख होती जा रही है। नारी आज अपनी ही संस्कृति को विकृत पंजों से लहूलुहान कर रही है। पाश्चात्य वेश-भूषा में वह पुरुषों को भी पीछे छोड़ रही है। सीता-सावित्री जैसी ललनाओं का उज्ज्वल स्वरूप आज पाश्चात्य साज-सज्जा में विलीन होता जा रहा है। आज वह गृहस्वामिनी नहीं शो पीस बनकर रह गई है। ऐसी विषम परिस्थितियों में संस्कारवान पीढ़ी का निर्माण करना हम सभी के लिए एक गंभीर चुनौती है।

किन्तु मेरे मत में महिला जगत इस चुनौती का सामना कर सकता है और संस्कार जगाओ, समाज व राष्ट्र बचाओ कार्यक्रम में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता है, क्योंकि एक बच्चे की प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। बच्चे में भारतीयता के संस्कार डालना उसका प्रथम कर्तव्य है। बाल्यावस्था में माँ अपने बच्चे में जो संस्कार डालती है वही संस्कार आजन्म उसके चरित्र विकास में योगदान देते हैं। बच्चे को उठने-बैठने, खाने-पीने, किसी वस्तु को बिना काम न छूने या उठाने, बड़ों के प्रति आदर भाव रखने, अपनों से छोटों के प्रति प्यार करने आदि की शिक्षा माता ही देती है। कच्ची उम्र में बच्चा माँ से अत्यधिक लगाव के कारण इन बातों को बड़े चाव से सीखता है और बड़े होने पर यही बातें उसका स्वभाव या संस्कार बन जाती हैं।

पर खेद है कि आधुनिकता की अंधी दौड़ में माता की यह भूमिका दिन-प्रतिदिन समाप्त होती जा रही है। तीन वर्ष और कभी-कभी दो वर्ष की आयु में 'नर्सरी स्कूल' में बच्चों को भेजकर माता अपने उत्तरदायित्व से छुटकारा पाने लगी है। इतनी छोटी आयु में बच्चा इन स्कूलों में जो कुछ सीखता है उसकी तुलना में ऐसे तत्व उसमें अधिक मात्रा में पनप जाते हैं जो अवांछनीय है। इस स्थिति में माता की आत्मीयता, शिक्षा एवं ममता के अभाव में बच्चा मानवीयता का प्रथम पाठ की नहीं सीख पाता। उसके चरित्र विकास की दिशा खो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम चाहते हैं कि हमारे देश में दिन-प्रतिदिन विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ रहे गंभीर अपराधों के ग्राफ में गिरावट आए तथा देश में एक संस्कारवान पीढ़ी का निर्माण हो तो नारी की पूर्ण सतर्कता बेहद ही आवश्यक है। इस बार महिला दिवस पर यदि हर नारी संस्कारवान पीढ़ी के निर्माण में पूर्ण सहयोग का संकल्प लेती है तो निश्चित रूप से इस दिवस की सार्थकता बढ़ जाएगी।

–पो.- गिलूण्ड, जि.- राजसमन्द (राज.)

कन्या भ्रूण हत्या रोकने में प्रभावी नीति

❑ स्नेहलता पारीक

भारतीय साहित्य में कहा गया है ''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता'' अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं। लेकिन आज जब हम जमीनी सच्चाई पर नजर डालते हैं तो सब कुछ इसके विपरीत दिखाई देता है। पूजा करना तो दूर की बात है हम तो कन्याओं को गर्भ में ही समाप्त कर रहे हैं और यह दिल दहलाने वाली घटनाएँ केवल आज से ही नहीं वर्षों से होती आ रही है।

आज हमारे देश में किस अपराध को रोकने के लिए कानून नहीं बने हैं। हर अपराध के लिए कानून बना हुआ है, नीतियां बनी हुई है लेकिन क्या अपराधों का ग्राफ कम हुआ है ? नहीं , यहाँ तो यह कहा जाता है कि कानून बनते ही तोड़ने के लिए हैं। इस मानसिकता के चलते कोई भी सरकारी नीति कितनी ही प्रभावी क्यों नहीं हो अपराध रोक नहीं सकती है। कानून से आत्मा परिवर्तित नहीं होती, मन नहीं बदलता है। और यही कारण है कि बाल विवाह, दहेज, मोसर, मायरा व कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए कानून है, नीतियां है, लेकिन ये सब कुप्रथाएँ बढ़ती जा रही हैं। अतः पुरजोर शब्दों में यह कहा जा सकता है कि कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराध को रोकने में सरकारी प्रयास चाहे जितना भी प्रभावी हो कारगर नहीं हो सकते। इस घृणित कृत्य को रोकने के लिए समाज के विचारशील बुद्धिजीवियों को आगे आना होगा। जन जागरण से लोगों की बीमार मानसिकता को बदलना होगा। बालक एवं बालिकाओं को जन्म से यह संस्कार देने होंगे कि नारी आदरणीय है, जननी है, लक्ष्मी है, सरस्वती है, दुर्गा है, भोग की वस्तु नहीं। ये संस्कार जब तक बालमन में अंकुरित नहीं किए जायेंगे तब तक इस कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराध को रोक नहीं पाएँगे। हमारा देश सुसंस्कारों के बल पर ही जगत् गुरु कहलाया था। यह अत्रि और अनुसुइया का देश है जहाँ शेर और गाय एक ही घाट पर पानी पीते थे। इसलिए ही लिखा है– न राज्यो न च राजासीत् न दण्डयो न च दाण्डिक धर्मेणैव प्रजा सर्वे रक्षन्ति स्म परस्वरम्। अर्थात प्राचीन काल में न राज्य था न राजा था न दण्ड लेने वाला था और न देने वाला था। प्रजा परस्पर एक दूसरे की रक्षा करती थी। क्या आज उस आदर्श स्थिति की कल्पना की जा सकती है ? छान्दोग्य उपनिषद् में राजा अश्वपति का यह डिमडिम घोष कि –

''न मे स्तेनोधनपदे न कदर्यो न च मद्यपः
नानाहिताग्निर्नड विद्वान न स्वैरी स्वैरिणीकृतः''

अर्थात मेरे राज्य में न चोर है न कंजूस है न ही शराबी है कोई व्यभिचारी पुरुष भी नहीं है। क्या आज के शासक चाहे किसी भी दल के हों जो कानून निर्माता है उनकी क्रियान्विति करवाने वाले हैं इस प्रकार की घोषणा कर सकते हैं?

क्या महिलाओं पर अत्याचार रोकने के लिए कानून नहीं बने हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर विशाखा कमेटी नहीं बनाई गई है? लेकिन क्या अत्याचार रुक गये हैं? अभी कुछ दिनों पूर्व ही दिल्ली की शर्मनाक घटना से आक्रोशित पूरा देश सड़कों पर आ गया लेकिन इससे क्या होगा। क्या देश का कानून या सरकार इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि अब भविष्य में इस प्रकार के दुष्कर्म नहीं होंगे। क्या कानून बना देने मात्र से ही इस प्रकार की घटनाएँ रुक जाएँगी? नहीं। कानून बना देने से किसी समस्या का समाधान न आज तक हुआ है और न ही भविष्य में होगा। क्योंकि कानूनों की प्रभावी क्रियान्विति हुई ही नहीं। सारा देश जानता है कि किस प्रकार कानून की बारीक से बारीक खामी का फायदा अपराधी लेते हैं। सारी दुनिया जानती है कि जो समाज के रखवाले हैं वे ही कानूनों को तोड़ने में शामिल हो जाते हैं। फिर कानून की क्रियान्विति कैसे होगी?

है मयस्सर अब कहां इक बूंद पानी देखिए
रेत मे जलने लगी है जिन्दगानी देखिए
आपके शोहदो ने ढाये जुल्म क्या क्या रात भर
आइये रहबर हमारे ये निशानी देखिए
भूख, दंगा अपहरण हत्या डकैती बलात्कार
मुल्क के चरागाहों की मेहरबानी आंच पर
वक्त की रफ्तार में उल्टी रवानी देखिए
केक्टस गुलदान में गैंदा सुलगता आंच पर

यही सत्य है कि इस दुनियां की कोई भी महाशक्ति झुठला नहीं सकती है। क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश की भांति स्पष्ट है कि केवल सरकारी नीतियां बनाने से ही कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक कुप्रथाएं समाप्त नहीं होंगी। अतः जब तक समाज में नैतिक जागरूकता नहीं होगी। जब तक लोगों की सोच नहीं बदलेगी। मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक सरकारी नीतियां बनाने से कुछ नहीं होगा। समाज के ठेकेदारों की मानसिकता में बदलाव जरूरी है। पुत्री और पुत्र समान है। बल्कि पुत्र से ज्यादा महत्त्व पुत्री को दिया जाए। इसलिए पढ़ी लिखी महिलाओं को घर से निकलकर सड़कों पर आना होगा। किटी पार्टियों को छोड़कर चौराहों पर आकर आवाज बुलंद करनी होगी। नारी जब शक्ति है तो शक्ति रूप दिखाना होगा और लोगों की भावनाएं बदलनी होगी। जन चेतना जगानी होगी। हमारे पाठ्यक्रमों में नारी महत्ता को स्थान देना होगा। लोगों में जागृति आने पर ही कन्या भ्रूण हत्या जैसे घृणित अपराध को रोक पाना संभव हो पाएगा। केवल सरकारी संरक्षण से न आज तक कुछ हुआ है और न ही भविष्य में कुछ हो पाएगा। अब वक्त है कि हम इस विषय की गहराई को समझें, क्योंकि कन्या नहीं होगी तो नारी नहीं होगी

और नारी नहीं होगी तो माँ नही होगी। फिर सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी। विभिन्न प्रांतों मे जो लिंगानुपात के आंकड़े हैं वे चौकाने वाले हैं। भारत में 122 करोड़ की आबादी में 63 करोड़ पुरुष और 59 करोड़ स्त्रियाँ हैं। हमारा वर्तमान लिंगानुपात प्रति हजार पुरुष पर 940 स्त्रियाँ है, हरियाणा में 1000 पर 817, राजस्थान में 926 । यह स्थिति बेहद चिन्ताजनक है और यह सिलसिला रुका नहीं तो क्या होगा? इसकी कल्पना भी रोंगटे खड़े कर देने वाली है।

अतः यह कहना कि केवल सरकारी प्रयासों से ही कन्या भ्रूण हत्याओं को रोका जा सकता है केवल कल्पना मात्र है। इसके लिए समाज के बुद्धिजीवियों को आगे आना ही होगा ।

–व.अ. (विज्ञान), रा.उ.मा.वि., फॉयसागर, अजमेर

नारी तुम जननी हो

नारी तुम जननी हो, पानी सी शीतल हो, वायु सी कोमल हो।
आ जाओ अगर अपनी जिद पर तो अग्नि हो, झाँसी की रानी हो।
तुम चाहो तो बन सकती हो निडर, निर्भय, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर।
सिर्फ तुम्हें उठना होगा, शिक्षित होकर करो शुरुआत, बना दो नव इतिहास॥

बेटियाँ

कुल की इज्जत, घर की रौनक सदा रहीं हैं बेटियाँ।
छा जाती खामोशी क्यों जब पैदा होती बेटियाँ॥
उस मासूम का दोष ही क्या है जिसे गर्भ में पाया है।
जन्म नहीं क्यों लेने देते वह भी प्रभु की माया है।
पैदा होने से पहले क्यों मार दी जाती है बेटियाँ॥
नारी से ही पाया जीवन सुन्दर और सलोना है।
फिर अत्याचार हो नारी पर कितना पाप घिनौना है।
बन जाएगी ज्वाला सी जब क्रोधित होगी बेटियाँ॥
बेटी को तुम बोझ ना समझो वह तो कुल का दीपक है।
श्रेष्ठ प्रतिभाओं की धनी देश की आशा ज्योति है।
देश-कुल गौरवान्वित करने अब सक्षम बनी हैं बेटियाँ॥
तुम अब तक यह समझ रहे थे, नारी एक खिलौना है।
पल में खेला, पल में फेंका, कपट जाल यह कैसा है।
अब न सहेगी तानाशाही, कहती सारी बेटियाँ॥
जीवन आशा, जीवन शक्ति, देवी सम है बेटियाँ।
कुल की इज्जत, घर की रौनक, सदा रही हैं बेटियाँ॥

(उदयपुर चिन्तक गणतंत्र विशेषांक से साभार संकलन)

–ओमप्रकाश शर्मा, प्राध्यापक
रा. नारायण उ.मा.विद्यालय, विजयनगर (अजमेर)

गौ और गौरी का सम्मान

❑ साँवलाराम नामा

मेवाड़ की राजरानी मीरा अपने पीहर मेड़ता से चित्तौड़ लौट रही थी। रास्ते में एक गाँव से स्त्री बच्चों के रोने, सिसकने, चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। तो तत्काल मीरा ने एक सैनिक को बुलाकर कहा–

''यह शोर, हल्ला, रोना कैसा, क्यों है? जाकर मालूम कर आओ।''

दो सैनिक गाँव की ओर गये और थोड़ी सी देर में लौट आये। उनके सामने गाँव के दो लोग भी थे। दोनों मीरा के सामने विलाप करने लगे, यूँ कहने लगे–

''अन्नदाता गये साल अकाल पड़ गया। घर में अन्न का दाना नहीं है। ये लगान वसूलने वाले हमारे स्त्री-बच्चों से मार-पीट कर रहे हैं।''

उस समय विक्रमादित्य मेवाड़ का महाराणा बना हुआ था। मीरा ने ग्रामीणों की व्यथा-कथा सुनीं तो एक ओर तो करुणा से भर, दूसरी ओर से उन्हें अत्यन्त क्रोध चढ़ गया। रथ से एक तलवार खींचकर बोली– ''चलो ! कहाँ हैं वे अन्यायी, अत्याचारी, पापी राजसैनिक?''

सारे के सारे रक्षक हैरान हो गये। वे कुछ समझें इसके पहले तो मीरा तलवार को हाथ में ले ग्रामीणों के साथ चल दी। रक्षक पीछे-पीछे भागे। गाँव पहुँचकर मीरा ने गरज कर राजसैनिकों से पूछा– ''कौन है तुम्हारा नायक?''

सैनिकों का नायक थर-थर काँपता हुआ सामने आया और हाथ बाँधकर नजरें नीचे कर खड़ा हो गया। तब मीरा ने पूछा– ''ऐसे कर उगाहा जाता है क्या? कहाँ से आई यह अमानुषिक रीत? तुम राज्य के रखवाले हो या राक्षस?'' सेना नायक बड़ा गिड़गिड़ाते हुए बोला– ''हम तो अन्नदाता हुक्म के ताबेदार हैं।''

मीरा कुछ शांत हुई। फिर कहने लगी– ''राजा तो महलों में रहते हैं। तुम्हीं लोग उनके हाथ-पाँव और आँखें हो। जिस राज्य में प्रजा दुःखी होती है, वह राज्य टिकता नहीं। राजा तो प्रजा का चाकर होता है। कर उगाहने से पहले देख लो कि इनकी जीविका खेती पर कोई जोखिम-नुकसान न आये। ''

दूसरों की बहू-बेटी को अपनी बहू-बेटी समझो। जीव तो सबका समान है।

जहाँ पर गौ और गौरी सताई जाती है वहाँ भगवान कोप करते हैं। इसलिए गौमाता और गौरी यानी नारी को कभी भी दुःख नहीं देना चाहिए। बल्कि प्राणपण से सम्मान देना चाहिए।

–सदर बाजार रोड, निकट बड़ा चौहरा, भीनमाल, जालौर-343 029

बदलनी होगी हमें महिलाओं के प्रति सोच

❑ महेश चंद सिद्ध

वर्तमान समाज पुरुष प्रधान है और ये पुरुष महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं वे यह कैसे भूल जाते हैं कि जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को जन्म दे सकता है, उससे शक्तिशाली और कौन हो सकता है? हमारे समाज में महिलाओं को देवी समझा जाता है, परन्तु यही समाज इन महिलाओं के बारे में कितना गलत सोचता है, उन पर अत्याचार करता है, उनका शोषण करता है, उनको कमजोर समझता है ऐसा समाज, समाज कहलाने लायक नहीं होता है। उन पुरुष का कोई अस्तित्व ही नहीं है यदि वह महिलाओं का अनदेखा करता है, उनका शोषण करता है। क्योंकि एक पुरुष का निर्माण भी तो एक स्त्री से ही होता है।

हमारे समाज के पुरुष यह भूल जाते हैं कि वह जिस देश में रहते हैं या जिस जगह पर खड़े हैं या वो जो कुछ भी खा रहे हैं, वह सब इस पृथ्वी की देन है और यही पृथ्वी हम सब की माँ है और माँ एक औरत होती है। हमारा पुरुष प्रधान समाज यह कैसे भूल जाता है कि जिस स्त्री का वह अपमान कर रहा है, उसे अपने से नीचे समझ रहा है, वही स्त्री उस आदिशक्ति माँ दुर्गा का प्रतिरूप है। यदि वह स्त्री का अपमान कर रहा है तो वह उस माँ दुर्गा का अपमान कर रहा है।

आज हमारे समाज की सबसी बड़ी समस्या स्त्री-पुरुष की समानता को लेकर है। जहाँ पर पुरुष द्वारा स्त्री का अपमान किया जाता है, उसे नीचा समझा जाता है। इन समस्याओं का मूल कारण हमारे परिवारों में है क्योंकि हमारे परिवारों में ही सबसे पहले महिलाओं का अपमान होता है। जिस घर में यदि बेटे का जन्म होता है तो खुशियाँ मनाई जाती है और यदि बेटी का जन्म होता है तब मातम मनाया जाता है, ये लोग कैसे भूल जाते हैं कि इस बेटी को जन्म देने वाली भी तो एक बेटी ही है जो साक्षात् लक्ष्मी स्वरूपा है। इन सभी समस्या को सुलझाने की शुरुआत हमें समाज के प्रत्येक घर से करनी होगी। यदि हर एक परिवार में महिलाओं का सम्मान होगा तभी धीरे-धीरे पूरे समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान बढ़ेगा और आने वाले कल को हम पुरुष और महिलाओं के मध्य बराबरी का सम्मान देख पाएँगे।

और ये पुरुष समाज यह सोचता है कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, उन्हें मजबूत बनाना चाहिए। क्या अब यह सब पुरुष निश्चित करेंगे कि महिलाओं के समाज में क्या स्थिति होनी चाहिए? क्या महिलाएँ इस समाज का भाग नहीं हैं? किसी भी समाज की दो महत्वपूर्ण धाराएँ होती हैं स्त्री और पुरुष। इन दोनों धाराओं के कंधे पर ही यह समाज टिका हुआ है और यह समाज अब संतुलित अवस्था में न होकर एक ढलान लिए हुए है, जो कभी भी नीचे गिर सकता है। अतः यह आवश्यक है कि हमें इस गिरते हुए समाज को संतुलित अवस्था में लाने के लिए इस समाज की एक धारा अर्थात् स्त्री को मजबूत करते हुए उन अधिकारों और शक्तियों को वापिस देना होगा जिसे इस समाज की दूसरी धारा अर्थात् पुरुष ने अतिक्रमण कर लिया था। अगर हम सब यह कर पाने में असंभव रहे तो देखिएगा आने वाले कल को इस समाज का अस्तित्व ही नहीं रह पाएगा और वे पुरुष जो इन शक्तियों, अधिकारों का अतिक्रमण करके घमंड से फूला नहीं समा रहा है, उसकी ये शक्तियाँ किसी काम की नहीं रह जाएँगी। अतः आज आवश्यकता इस बात की है कि हमें इस समाज को सुचारु रूप से चलाने के लिए इस शक्ति के संतुलन को पुनः स्थापित करना होगा।

स्त्री तो साक्षात् त्याग की मूर्ति होती है, वह तो अपने माता-पिता को छोड़कर ऐसे लोगों के साथ अपना जीवन व्यतीत करने के लिए चली आती है जिनको वह जानती भी नहीं है और एक पुरुष उसके इस त्याग को कम करने के बजाय उसका हर कदम पर अपमान करता है। क्या यही स्त्री की व्यथा है? क्या उसे सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी नहीं है?

मनु ने कहा था ''यत्र नारिस्य पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता'' अर्थात् जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। क्या इन वाक्य का हमारे समाज में अब कोई महत्त्व नहीं रह गया है? कौनसी ऐसी ऊँचाई है जहाँ नारी चढ़ नहीं सकती? कौनसा ऐसा स्थान है जहाँ पर वह पहुँची नहीं? हजारों अपराध करो, वह हर बार क्षमा कर देती है। नारी तो वह शक्ति है, जब किसी बात पर अड़ जाये तो संसार की कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। महादेवी वर्मा ने सही कहा है– ''नारी केवल मांसपिंड की संज्ञा नहीं है, आदिम काल से आज तक विकास पथ पर पुरुष का साथ देकर, उसकी यात्रा को सरल बनाकर, उसके अभिशापों को स्वयं झेलकर और अपने वरदानों से जीवन में अक्षय शक्ति भरकर मानवी ने जिस व्यक्तित्व और चेतना का विकास किया है उसी का पर्याय नारी है।'' इतनी परेशानियों को झेलने के बाद भी आज उसे क्या मिल रहा है सिर्फ पीड़ा ! क्या यही उसकी नियति है।

इन सब बातों को समझते हुए हम सब लोगों को मिलकर एक संकल्प लेना होगा कि आज के बाद हमारा मन किसी स्त्री का अपमान करने के लिए उतावला हो रहा हो, तो उस समय यह सोचना चाहिए कि यदि हम इस स्त्री की जगह होते और कोई हमारा अपमान कर रहा होता तो हमें कैसे लगता? इसलिए हे मेरे भारतवासियों ! अब समय आ गया है कि हम सब लोगों को स्त्री पुरुष के अधिकारों का सम्मान करते हुए पूरे विश्व के सामने एक ऐसा अध्याय पेश करना है जिससे विश्व के सभी लोग स्त्री-पुरुष के अधिकारों का सम्मान करना सीखें। तभी जाकर इस पृथ्वी पर हमारे आने का उद्देश्य पूरा हो पाएगा।

और अंत में ''ए मेरे कलम तू क्यों बार-बार इन शब्दों को इस पवित्र कागज पर उकेर रहा है। पहले भी ये शब्द लिखे जाते थे और आज भी लिखे जा रहे हैं। ए मेरे कलम क्या किसी भी व्यक्ति में इतना साहस भी नहीं है कि तेरे द्वारा लिखे इन शब्दों की संवेदनाओं, इनके मूल्यों को समझ पाए? लेकिन तू चिन्ता मत कर मुझे पूरी उम्मीद है कि तेरे द्वारा लिखे गए इन शब्दों की महत्ता को कोई न कोई तो जरूर समझेगा ....''

–प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च आदर्श प्राथमिक विद्यालय, टहला, राजगढ़, जिला - अलवर (राज.)

सजग हैं तो सुरक्षित हैं

❑ उषा टेलर

वैश्विक स्तर पर लोकतान्त्रिक व्यवस्था जैसे-जैसे बेहतर होती गई, महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष लाने की मुहिम में तेजी आती गई। विधि एवं न्याय के समक्ष समानता, लोक सेवाओं में नियुक्ति हेतु समान अवसर, विचार अभिव्यक्ति, निवास, रोजगार आदि की स्वतन्त्रता, पारिवारिक सम्पत्ति में भागीदारी, निर्णय के प्रत्येक स्तर पर महिलाओं को न केवल पुरुषों के बराबर लाया गया, वरन् जहाँ कहीं आवश्यकता महसूस हुई, वहाँ उनके सम्मान एवं निष्ठा की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान किये गये। फिर भी मौजूदा हालात में सुरक्षित रहना है, तो पहल महिलाओं को ही करनी होगी। असुरक्षा की इस घड़ी में बेहतर की माँग करना कतई गलत नहीं है, लेकिन खुद की सुरक्षा के लिए सजग रहना भी जरूरी है।

रोजाना समाचार और घटनाओं को देखकर महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति का आकलन लगाया जा सकता है। अब लापरवाही का मतलब हादसा हो सकता है। इसलिए हर कदम फूँक-फूँक कर रखना होगा। आइये कुछ ऐसे पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं, जिसके जरिये हम महिलाएँ खुद की सुरक्षा कर सकती हैं।

1. आत्मरक्षा के लिए ट्रेनिंग : अपनी सुरक्षा के लिए 'सेल्फडिफेन्स ट्रेनिंग' भी ले सकती है। बशर्त, मुसीबत के समय सीखी गई ट्रिप्स आपके काम आये। इसके अलावा तेज दौड़ने का भी अभ्यास रखे।

2. आपका व्यवहार आपकी धार : सार्वजनिक जगहों पर आपके हाव-भाव, उठने बैठने का तरीका, बोलचाल का ढंग सब मायने रखते हैं। एक चूक सामने वाले व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका देती है। लोगों के सामने खुद को दृढ़ और निर्भीक दर्शाएँ। आपको अकेला देखकर किसी को यह न लगे कि आप डरी हुई हैं। साथ ही जोर से बोलना, गाने गाना, हँसी मजाक करने आदि को करने से बचें। जहाँ तक सम्भव हो, देर रात बाहर न जाएँ। दूर के काम दिन में कर लें।

3. हमेशा रखें साथ : अपनी सुरक्षा के लिए पेयरस्प्रे (मिर्च वाला), कोई नुकीली चीज, पेपरवेट आदि हमेशा साथ रखें। जब खतरा महसूस करें, तो इनका इस्तेमाल करने से न हिचकें।

4. घर पर भी ध्यान रखें : हादसे घर तक भी आ जाते हैं, इसलिए सावधान रहें। यदि दरवाजे पर कोई ऐसा व्यक्ति है, जिसे आप नहीं जानती हैं तो दरवाजा न खोलें। लोग भेष बदलकर (जैसे प्लम्बर, गार्ड, दूधवाला आदि के रूप में) भी आ जाते हैं। बिना बुलाये ऐसा व्यक्ति घर में घुसने की कोशिश करे, तो दरवाजा बिलकुल न खोलें और किसी भी माध्यम से फौरन मदद माँगें।

5. तकनीक को ताकत बनाएँ : मोबाइल भी आपकी रक्षा कर सकता है। किसी भी ऑटो, टैक्टसी और कैब में बैठने से पहले गाड़ी का नम्बर नोट कर घर के किसी सदस्य को मैसेज कर दें। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर आपका स्टेप्स भी आपकी मदद कर सकता है।

6. लड़कियों में छठी इंद्री : लड़कियों के पास 'सिक्स्थ सेंस' यानी 'छठी इंद्री' का वरदान होता है। आने वाले खतरे को लड़कियाँ जल्दी भाँप लेती हैं। ज्यादातर लड़कियाँ इस ताकत का बखूबी इस्तेमाल करती हैं, लेकिन कभी-कभी उसकी अनदेखी मुसीबत का कारण बन जाता है। जब भी असहज महसूस करें तो तुरन्त उस जगह से बाहर निकल जाएँ।

- कभी ऑफिस में देर हो जाए, तो बॉस से ऑफिस स्टाफ कार में घर भिजवाने का निवेदन करें। ऑफिस की गाड़ी में घर जाते समय घर के लोगों को सूचित करें।

○ ड्राइव करते समय कार के शीशे और सेन्ट्रल लॉक लगाकर रखें। सुनसान इलाकों पर गाड़ी कतई न रोंकें।

○ ज्यादातर मॉल और शॉपिंग कॉम्पलेक्स की पार्किंग बेसमेन्ट में होती है। ऐसे में यदि रात गये किसी काम से अकेले मॉल जाना पड़े, तो कोशिश करें कि वाहन बाहर किसी पार्किंग में लगाएँ। सूने बेसमेन्ट एरिया में जाने का खतरा न उठाएँ।

○ रोमांच के लिए खुद को खतरे में न डालें। जैसे मॉल की लिफ्ट छोड़कर सीढ़ियों से जाना, देर रात ऑफिस या कोचिंग से पैदल घर जाना, पाटी से देर रात को लौटना आदि।

- यात्रा के दौरान किसी पर भरोसा न करें। होटल में कमरा बुक कराते समय कमरे को बारीकी से जाँच लें। अकेले में किसी को कमरे में घुसने की अनुमति न दें।

कोई महिला अपने पास सुरक्षा का जो सबसे बड़ा साधन रख सकती है, वह है उसका साहस।

दुनिया में दो शक्तियाँ हैं एक तलवार की और एक कलम की। एक तीसरी ताकत है जो दोनों से शक्तिशाली है, और वो है महिला की ताकत।

–प्रधानाध्यापिका
रा.बा.मा.वि., कुरज (राजसमन्द)

हमारी संस्कृति - हमारी विरासत

❑ महेश कुमार चतुर्वेदी

भारत की संस्कृति प्रत्येक काल और युग की मानवीय मूल्यों का निचोड़ है।

संस्कृति एक जगह रहने वाले लोगों के रहन-सहन, तौर-तरीके और त्यौहार, धर्म, भाषा, सोचने के तरीके, कला, मनोरंजन, व्यापार आदि की क्रियाओं का मिला-जुला रूप होती है।

भारतीय कवि दिनकर ने संस्कृति के बारे में लिखा है– 'असल में संस्कृति जीवन जीने का एक तरीका है ओर वह तरीका सदियों से जमा होकर उस समाज में छाया रहता है, जिसमें हम जन्म लेते हैं।'

अपने जीवन में हम जो संस्कार जमा करते हैं वह भी हमारी संस्कृति का अंग बन जाता है और मरने के बाद हम अन्य वस्तुओं के साथ-साथ अपनी विरासत भी भावी पीढ़ी के लिए छोड़ जाते हैं। इसीलिए संस्कृति वह चीज मानी जाती है जो हमारे सारे जीवन में व्याप्त है तथा जिसकी रचना और विकास में सदियों का हाथ है। इसलिए संस्कृति असल में शरीर का नहीं आत्मा का गुण है। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि मनुष्य संस्कृति से प्रेरित होकर ही ज्ञान-विज्ञान, समाज, धर्म, साहित्य, कला, दर्शन और चिंतन की ओर बढ़ता है।

संस्कृति हमारे संस्कारों का नाम है और संस्कार जैसे एक दिन में नहीं बनते वैसे ही संस्कृति भी एक दिन में नहीं बनती। एक प्रकार से संस्कृति इस व्यवहार और सदाचार का तरीका है जो हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में मिला है।

हमारी संस्कृति संसार की सबसे पुरानी संस्कृति है। इसीलिए हमारे देश को जगत शिरोमणि देश कहा जाता है। यह हमारे लिए गौरव की बात है। जब हमारी संस्कृति पूरी विकसित हो गई तब संसार की अन्य संस्कृतियों ने जन्म लिया। दुनिया में आज भी भारतीय संस्कृति, धर्म, अध्यात्म, विचार, चिंतन तथा स्वाध्याय की दुंदुभी बज रही है।

वर्षों पहले जर्मन विद्वान मैक्समूलर ने 'भारत से हम क्या ले सकते हैं?' के क्रम में कहा था– ''अगर में विश्वभर में उस देश को ढूँढ़ने के लिए चारों दिशाओं में आँखें उठाकर देखूँ, जिस पर प्रकृति देवी ने अपना सम्पूर्ण वैभव, पराक्रम, सौंदर्य खुले हाथों लुटाकर उसे पृथ्वी का स्वर्ग बना दिया है तो मेरी उँगली भारत की तरफ उठेगी। अगर मुझसे पूछा जाए कि अन्तरिक्ष के नीचे कौन सा वह स्थल है जहाँ मानव के मानस ने अपने अंतराल में निहित, ईश्वर प्रदत्त अन्तर्मन गहराई में उतरकर जीवन की कठिनतम समस्याओं पर विचार किया है। उनमें से अनेक को इस प्रकार सुलझाया है जिसको जानकर 'प्लेटो' तथा 'कॉट' का अध्ययन करने वाले मनीषी भी आश्चर्य चकित रह जाएँ तो भी मेरी उँगली भारत की तरफ ही उठेगी।

सनातन सत्य यह है कि चिंतन और स्वाध्याय के बल पर ही संस्कृति और संस्कार टिकते हैं या टिक सकते हैं।

हर कोई इस बात से परिचित है कि सिकन्दर जब भारत पर आक्रमण करने निकला तब उसके गुरु अरस्तू ने उससे कहा कि वहाँ से लौटते वक्त दो चीजें हमारे लिए लेते आना - एक गीता और दूसरा वहाँ का कोई दार्शनिक संत। जिस देश की ऐसी प्रसिद्धि तथा मान्यता रही हो उस देश की संस्कृति का दुनिया के अन्य देशों में अपनी अस्मिता का परचम अवश्य देखने को मिलेगा।

औरंगजेब का भाई दाराशिकोह जहाँ एक ओर उपनिषदों और पुराणों से सीख ग्रहण करता था वहीं शाहजहाँवर जैसे विद्वान दार्शनिक का कहना था कि विद्वता, चिंतन तथा दूरदर्शिता में भारत दुनिया का गुरु है।

वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, तीर्थंकरमहावीर, भगवान बुद्ध, गोरखनाथ, शंकराचार्य, रामानन्द, तुलसी, नानकदेव, गुरु गोविन्दसिंह, संतप्राणनाथ, स्वामी रामदास त्यागी, दयानंद, स्वामी विवेकानंद, योगी अरविंद, महात्मा गाँधी, वीर सावरकर, डा. हेगडेवार आदि ने भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण बनाये रखने एवं उसको उन्नत बनाए रखने के लिए अपना सम्पूर्ण जीवन होम कर दिया वहीं कवि बाणभट्ट, कल्हण, सूर्यमल मिश्रण, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, जयचंद, विद्यालंकार, अविनाश, चन्द्रदास, डा. सम्पूर्णानंद, जयशंकर प्रसाद, राधा कुमुद मुकर्जी, आर.सी. मजूमदार, काशीप्रसाद जायसवाल, विद्याधर महाजन, देवसहाय त्रिदेव, पुरुषोत्तम ओक ने अपनी रचनाओं से भारतीय संस्कृति में प्राण फूँकने का कार्य किया तथा चिरकाल तक जीवन्त बनाए रखने के लिए अपनी सार्थक भूमिका का निर्वहन किया।

संस्कृति जहाँ सामाजिक चेतना एवं समरसता की संवाहक है वहीं संस्कृति मानवीय मूल्यों की पोषक भी है। विपुल संस्कृति से सदाचार, सहनशीलता, संतोष, संतुष्टी, समर्पण, सम्मान, सज्जनता, सरलता, समानता, सहयोग आदि उदात्त गुणों का विकास होता है। ऐसे गुणों से युक्त वह समाज, वह गाँव-नगर और वह देश प्रगति के गीत गाता हुआ चहुँओर अपनी यश-कीर्ति की दुंदुभी बजाता है। ऐसे में रिश्तों की मिठास, आपसी प्रेम, भाईचारा, धार्मिक सौहार्द्र, सहिष्णुता, कौमीएकता लोगों के दिलों-दिमाग में किसी अभेद्य किले की तरह रची-बसी होती है कि कोई असामाजिक तत्व उन्हें तोड़ना चाहे तो वह नहीं टूटती।

सम्राट अकबर का दिने इलाही धर्म, रानी कर्मवती और हुँमायु का रक्षा बंधन, महाराणा प्रताप का देश-प्रेम, भामाशाह का त्याग, पन्ना का बलिदान, विवेकानंद के आदर्श, जहाँगीर की स्थापत्य कला, नेहरू के पंचशील के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है।

हमारी संस्कृति हमारी विरासत है। हमारी धरोहर है। इसको अक्षुण्ण बनाए रखना हमारा नैतिक कर्तव्य ही नहीं हमारी जिम्मेदारी भी है। इसके लिए हमें आज की पीढ़ी को तैयार करना होगा। विद्यालय की भूमिका बखूबी इस कार्य के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है।

विद्यालय में प्रार्थना सभा, शनिवारीय कार्यक्रम, पर्व एवं उत्सव तथा प्रभावी कक्षा शिक्षण के माध्यम से संस्कृति एवं संस्कारों के बीज छात्रों में कूट-कूटकर भरे जाएँ। इसके लिए हम स्वयं छात्रों के लिए आदर्श प्रतिमान बनें। उन्हें हमारी संस्कृति एवं संस्कारों से अवगत कराएँ, उनकी महत्ता पर प्रकाश डालें। उन्हें हमारी संस्कृति से रू-ब-रू करने के लिए उचित अवसर प्रदान कराएँ। उन्हें एहसास कराएँ कि संस्कृति एवं संस्कार हमारी अमानत हैं, हमारी धरोहर हैं, हमारी विरासत हैं।

आइए, हम हमारी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने का संकल्प लें।

–प्रधानाध्यापक
रा.उ.प्रा.वि., पुराना, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ (राज.)

बालक में भाषा का विकास कैसे होता है?

❑ संतोष उपाध्याय

भाषा एक प्रकार का स्मृतिकोश है जिसमें मनुष्य अपनी विरासत में मिले संकेतों के साथ नवीन संकेतों को शामिल करता है। भाषा वह माध्यम है जिससे ज्ञान का निर्माण होता है एवं व्यक्ति अपने विचारों को संप्रेषित करता है। प्रारम्भिक समय में बालक अपनी प्रभावी समझ और भाषा के प्रयोग द्वारा स्वयं को विभिन्न विचारों, व्यक्तियों, वस्तुओं तथा अपने आसपास के संसार से जोड़ते हैं। वास्तव में भाषा का बालक की अस्मिता से इतना गहरा सम्बन्ध होता है कि उसकी मातृभाषा को नकारना उसके व्यक्तित्व के साथ हस्तक्षेप करने जैसा है। बालक में भाषा का विकास किस प्रकार होता है। इस विषय पर विभिन्न भाषा वैज्ञानिकों ने विभिन्न मत प्रतिपादित किये हैं।

भाषा का विकास : सामान्यतः वैज्ञानिक मानते हैं कि इंसानों में लगभग 1,00,000 साल पहले भाषा हासिल की। इस प्रकार जैविक विकास के सन्दर्भ में भाषा एक नई इन्सानी क्षमता है लेकिन कई विशेषज्ञ मानते हैं कि जैविक विकास जिसने इंसानों को भाषाई क्षमता वाले जीव बनाया, पूरी भाषाई क्षमता के आने के बहुत पहले हो चुका था। (चोम्सकी 1975)

चोम्सकी का मानना है कि भाषा अर्जित करना एक जैविक घटना है अर्थात् मनुष्य का मस्तिष्क जन्म के समय से ही भाषा अर्जित करने हेतु तैयार होता है। भाषा सीखने में केवल एक उद्दीपन की आवश्यकता होती है। जैसे– मनुष्य का बच्चा जो भाषिक क्षमता के साथ पैदा हुआ है, की परवरिश भाषा सम्पर्क से अलग-थलग हुई है, तो संभव है उसका भाषा ज्ञान कभी विकसित नहीं हो पाए, मगर यदि बच्चे का भाषा सम्पर्क बना हुआ है तो वह भाषा अर्जित कर लेगा और यह प्रत्येक मानव जाति में एक समान होता है। चोम्सकी के पूर्व दार्शनिकों ने इसे व्याकरण की धारणा के आधार पर शब्दों के क्रम को विचारों के क्रम का अनुगामी माना है। चोम्सकी यह दावा करते हैं कि जिस व्याकरण का वे प्रस्ताव या दावा कर रहे हैं, वह बोलने वाले और सुनने वाले में भाषा के ज्ञान को व्यक्त करता है। यह ज्ञान भीतरी और मौन है। अर्थात् यदि भाषा बोलने वाले से हठात पूछा जाये तो वह यह ज्ञान नहीं दे पाएगा। चोम्सकी के शब्दों में– 'हमें भाषा की क्षमता (बोलने सुनने वालों का अपनी भाषा के बारे में ज्ञान) और भाषा के प्रयोग (वास्तविक स्थितियों में भाषा का प्रयोग) में अंतर करना आवश्यक है। जब बालक अपनी स्वाभाविक अर्जित योग्यताओं के आधार पर शब्द भंडारों का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण करता है तब वह स्वतः ही व्याकरण के नियमों का प्रयोग कर रहा होता है। यह कोई रटी-रटाई पद्धति नहीं होती, अपितु उसका स्वयं का स्वाभाविक ज्ञान है, जिसे वह उपयोग करता है।' दूसरी स्थिति में बालक ज्ञान का अर्जन करता है जो उसके शब्द भण्डार को वृहद बनाता है व ध्यानपूर्वक वाक्य संरचना की ओर अग्रसर होता है, दोनों स्थितियों में भाषा का प्रयोग हो रहा है।' बच्चे में वे एक ऐसे अवयव के विद्यमान होने की बात करते हैं जो सीमित भाषा के आधार पर एक आन्तरिक व्याकरण का निर्माण करता है। उनके अनुसार बालक के मस्तिष्क में एक ऐसा यंत्र है जिसे उन्होंने LF (Language Faculty) भाषा-अवयव की संज्ञा दी है जिसके बिना जटिल व्याकरण की व्यवस्था को नहीं समझा जा सकता है। एक ओर चोम्सकी भाषा अर्जन को अन्तर्जात मानते हैं तो दूसरी ओर यह भी स्वीकार करते हैं कि बच्चा सीमित तथ्यों के आधार पर भी भाषा अर्जित कर लेता है जैसे अपने हम उम्र बच्चों या परिवार के सदस्यों के साथ सीमित व ज्यादातर टूटे-फूटे वार्तालाप के द्वारा। इसी आधारभूमि पर वह बहुत सारे कभी न सुने गए वाक्य भी बना लेता है। इसका तात्पर्य यह है कि बच्चा अपने आसपास के परिवेश से भी सीखता है और उसके सीखने की प्रक्रिया के साथ केवल ध्वनि, शब्द और वाक्य संरचना ही नहीं जुड़े होते हैं अपितु उसके सामाजिक व सांस्कृतिक पक्ष भी जुड़े होते हैं और ये दोनों पक्ष साथ-साथ ही सीखने होते हैं, जो बालक तु, तुम और आप शब्द सीखता है वह उसके प्रयोग करने के स्थान भी सीख जाता है।

भाषा और शब्द : भाषा सम्प्रेषण में हम शब्दों के रूप में नहीं सोचते किन्तु शब्दों के बिना हमारी सोच बहुत सीमित हो जाएगी। यह स्वीकार कर लिया गया है कि संकेत (शब्द, ध्वनि) ही संप्रेषण का माध्यम है। ध्वनियों को एक साथ रखने से वह किसी अनुभव के कथन के रूप में जुड़ जाती है और उसे दूसरे व्यक्ति को पहुँचाने का कार्य करती है।

बचपन में बालक में नये शब्द सीखने में कठिनाई होती है, इसका कारण उसकी ध्वनियाँ नहीं वरन् वह संकल्पना होती है जिसको वह शब्द प्रकट करता है। जब संकल्पना परिपक्व हो जाती है तो उसके लिए वह शब्द लगभग हमेशा उपलब्ध व अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। (टॉलस्टॉय)

भाषा में निरर्थक शब्दों का भी स्थान है बशर्ते कि वे कोई सार्थक अर्थ की संकल्पना करें। एक माँ अपने बालक को गाय दिखाते हुए बार-बार 'गैया' शब्द का उच्चारण करती है और बालक के मस्तिष्क में गाय के अर्थ-रूप संकल्पना निर्माण होता है। यह प्रत्यय निर्माण 'गैया' शब्द के दोहरान के साथ उस बिम्ब से जुड़ा है जिसे वह गाय नामक पशु के रूप में देखता है। वह विभिन्न विशेषताओं के आधार

पर अनेक वस्तुओं में समानता व विभिन्नता देखता है, यह बौद्धिक संक्रिया है जिसकी दो दिशाएँ हैं– पहली सम्मिश्रणों का निर्माण जिसमें समान जातीय समूह में भिन्न वस्तुओं की संकल्पना कर उन्हें समूही कृत करना जैसे- चौपाया जानवरों को पशु जाति में रखना। दूसरी– समान विशेषताओं के आधार पर भिन्न करके संभाव्य कल्पना जैसे पशु और पक्षी जाति को भिन्न करने की संकल्पना का विकास। दोनों स्थितियों में 'शब्द' विकास प्रक्रिया का विभिन्न अंग होता है। अतः शब्द भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम है, भाषा के क्रमिक विकास की रूपरेखा है तथा व्याकरण व भाषा विज्ञान का प्राण है।

भाषा और अर्थ : प्रत्येक शब्द विभिन्न ध्वनियों का समूह होता है और बालक इन्हीं ध्वनि समूहों तथा आवश्यक इसी क्रम में अन्य चरणों को सम्पन्न करने की योग्यता रखता है। ध्वनियाँ इकाईयों को जोड़ने से लेकर शब्दों को बनाने और इसके बाद बातचीत में भाग लेने की सभी प्रक्रियाओं को पूरा करती है। वार्तालाप करने में केवल ध्वनि संकेतों के रूप में शब्दों को उच्चारित करना ही काफी नहीं होता है, अपितु इन्हें व्यवस्थित क्रम में वाक्य रचना द्वारा अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति देना भी आवश्यक है। चूँकि अर्थरहित शब्द ध्वनि मात्र है अतः यह मानव भाषा का एक हिस्सा नहीं बन सकता। बालक जब एक शब्द में वृहद अर्थ को जान लेता है तब वह उसका प्रयोग अलग-अलग संदर्भों में करने लगता है।

भाषा और विचार : आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार विचार ध्वनिरहित भाषा है। भाषा और विचार मिलकर भाषिक विचार को जन्म देते हैं जो शब्द के अर्थ से प्रकट होता है। अतः भाषा और विचार के सम्बन्ध हमारे प्रश्नों के उत्तर के अर्थ में ही खोजे जा सकते हैं। साथ ही अर्थ, शब्द से अलग न होने वाला हिस्सा है, इस प्रकार जितना सम्बन्ध इसका भाषा के संसार से है उतना ही विचार के संसार से भी है। (एल.एस. व्यगोत्सकी) इस प्रकार शब्द का अर्थ भाषा और विचार दोनों हैं। किसी भी व्यक्ति के विचार उसके अनुभव के रूप में उसकी चेतना में रहते हैं व असंप्रेष्य होते हैं उन्हें संप्रेष्य बनाने हेतु किसी कोटि में शामिल करना अनिवार्य होता है। यहीं से शब्द की शुरुआत होती है।

पियाजे ने भाषा और विचार विषयक सिद्धांत दिया जिसमें उन्होंने बताया कि बाल विचार मूलतः स्वतः स्फूर्त होते हैं। यह लम्बे और लगातार पड़ने वाले सामाजिक दबावों के कारण यथार्थवादी विचारों में परिवर्तित होते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे की बौद्धिक क्षमता को तार्किक क्रियाकलापों के आधार पर नहीं आंका जा सकता, क्योंकि तर्क तुलनात्मक दृष्टि से बाद में पैदा होता है, उन्होंने बालक के वार्तालाप को अहम केन्द्रित व सामाजिक दो भागों में बाँटा है जिसमें क्रमशः वह स्वयं बोलता है तथा दूसरों से विचारों का आदान-प्रदान करता है।

स्टर्न ने भाषा के विकास के सिद्धान्त को वैयक्तिक आनुवंशिकता का नाम दिया है जिसमें बालक अपने स्वभाव के अनुरूप लक्ष्य की ओर जाने के लिए भाषा का प्रयोग करता है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि बालक में भाषा का विकास उसकी अन्तर्जात योग्यता, परिवेश, शब्दों, ध्वनियों व अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति-जन्य योग्यता का मिला-जुला स्वरूप है।

(संदर्भ : व्यगोत्सकी, एल.एस. - 'विचार और भाषा'। पत्रिका - खोजबीन, 2009, विद्याभवन शिक्षा संदर्भ केन्द्र, उदयपुर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा - 2005)

–प्राध्यापक
विद्या भवन गो.से. शिक्षक महाविद्यालय, उदयपुर

वाह रे, आइन्स्टीन !

❑ **हरीश कुमार वर्मा**

पैसा भी गिनना नहीं आता ? : एक बार आइन्स्टीन, बर्लिन में किसी ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। टिकट के पैसे काटने के बाद जो पैसे कंडक्टर ने वापस किये, उन्हें लगा कम हैं। अतः उन्होंने कंडक्टर को बुलाकर कम पैसा देने की शिकायत की। उसने दुबारा पैसे गिने और पूरे निकले। इस पर खीजकर उसने कहा, ''मुश्किल तो यह है कि आपको पैसा भी गिनना नहीं आता।''

हिसाब-किताब भी नहीं जानते ? : जोड़ सम्बन्धी ऐसी ही छोटी-छोटी भूलों से परेशान होकर बैंक के क्लर्क ने श्रीमती आइन्स्टीन से निवेदन किया था कि 'आपके पति की विज्ञान, गणित में कोई बराबरी नहीं, लेकिन कृपया उनके बैंक सम्बन्धी कागजों का हिसाब-किताब आप ही रखें। क्योंकि एक हिसाब बन पाने पर उसमें काट-छाँट करने में असुविधा होती है।

एक मंजिले मकान में लिफ्ट ? : आइन्स्टीन के पास एक सेल्समैन पहुँचा। बिजली चलने वाली लिफ्ट बेचना उसका व्यवसाय था। मकानों में लिफ्ट लगाना कितना आवश्यक है, इस सम्बन्ध में वह दलीलें पेश करने लगा। सीढ़ियाँ चढ़ते समय कितनी तकलीफ होती है, उससे किस तरह साँस फूलने लगती है और गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जाने में किस प्रकार हृदय पर दबाव पड़ता है, इत्यादि बातों का भयानक वर्णन कुछ इस अन्दाज से उसने किया कि आइन्स्टीन ने उसे तुरन्त एक लिफ्ट का आर्डर दे दिया।

पैसा लेने को जब वह उनके सेक्रेटरी के पास पहुँचा तो उसने आर्डर कैंसिल कर दिया। आइन्स्टीन ने जब कारण जानना चाहा तो उनके सेक्रेटरी ने जवाब दिया– ''सर, भला लिफ्ट किस काम की? अपना मकान तो एक ही मंजिल का है।''

–पूर्व प्राचार्य
15, न्यू त्रिमूर्ति कॉम्प्लेक्स हि.म.से.-4
वैशाली अपार्टमेंट के आगे, उदयपुर

न शरीरमल त्यागान्नरो भवति निर्मलः।
मानसे तु मले त्यक्ते भवत्यन्तः सुनिर्मलः॥

केवल शरीर के मैल को उतार देने से ही मनुष्य निर्मल नहीं हो जाता। मानसिक मैल का परित्याग करने पर ही, वह अत्यन्त निर्मल होता है।

शिक्षा में पर्यावरण

❑ उर्मिला नागर

वेदों में सर्वत्र पर्यावरण की उपासना की गई है। जल/वायु/अग्नि की उपासनाएँ/प्रार्थनाएँ वेदों का मुख्य विषय है। हमारे इतिहास/पुराण/काव्य ग्रंथ इस बात से भरे पड़े हैं कि भारत भूमि का प्रत्येक प्राणी, प्रकृति की गोद में–मातृत्व सुख की अनुभूति से प्रसन्न होता था।

हमारे पूर्वज अपने काम के लिए पत्तों/टहनियों को तोड़ने से पूर्व पौधों-पेड़ों से प्रार्थना कर, अनुमति प्राप्त करते थे। अनेक श्लोक और मंत्र प्रकृति प्रेम के साक्षी हैं। हम पर्यावरण की बातें तो करते हैं, किन्तु वनों को काटकर पूरे देश को उजाड़ बना देना चाहते हैं। पर्यावरणविदों के अलावा किसी भी व्यक्ति को इसकी चिन्ता नहीं है। इसी कारण कहीं अतिवृष्टि तो, कहीं काल की भीषण छाया देखने-सुनने को मिलती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार 'पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना बहुत जरूरी है। इसे सभी प्रक्रियाओं में समाहित किया जाए, तभी पर्यावरण सुरक्षा संभव है, अन्यथा नहीं।

वशिष्ट से विवेकानन्द की परम्परा पर्यावरण की पोषक रही है। वर्तमान में सभी प्रकार का पर्यावरण (वायु/जल/ध्वनि) प्रदूषित होता जा रहा है। इसकी निश्चित परिभाषा देना कठिन है। विश्व संरक्षण नीति के सम्मेलन में भी इसके प्रति चेतना जागृत करने की बात कही गई। 'यदि यही स्थिति रही तो, एक दिन ऐसा भी आ सकता है, जब संसार में पेड़-पौधे नाम के भी नहीं रहेंगे और जीव-जन्तुओं की लाखों प्रजातियाँ नष्ट हो जाएँगी।' यह विषय राष्ट्रीय नैतिकता से भी जुड़ा है।

हँगरी के एक वैज्ञानिक 'एनिकरूजालाय-मार्जस' के अनुसार– 'मनुष्य प्रकृति को मूल रूप से बनाए रखना चाहता है, ताकि उसकी भौतिक और अभौतिक आवश्यकताएँ पूरी हो सकें।'

मनुष्य की आवाज में ध्वनियाँ भी हैं और संगीत भी। पर्यावरण के सम्बन्ध में ऐसे सार्थक गीतों/लोकगीतों की रचना हुई है जिन्हें, हर कोई गुन-गुना सकता है– 'तावड़ौ धीमों पड़जा रै, तावड़ौ मंदरो पड़जा रै।' 'बवंल्या थोड़ो सो नीचे झुकजा रै ....।' जैसे गीत प्रकृति के साथ जुड़ाव उत्पन्न करते हैं एवं मानव और प्रकृति में घनिष्ठता लाते हैं। पर्यावरण को साहित्य से भी जोड़ना जरूरी है। लेखक/कवि/कलाकार - पर्यावरण पर साहित्य लिखें। संचार माध्यम उसे अधिक से अधिक प्रसारित करें। तभी देश में पर्यावरण के प्रति संवेदनशील वातावरण बन सकेगा। पर्यावरण सुरक्षा और मानव जाति का संरक्षण दोनों ही एक-दूसरे के पूरक हैं। इसके लिए शैक्षिक विकास जरूरी है। बच्चों के अन्तर्मन से आवाज आनी चाहिए कि, बेहतर भविष्य के लिए हमें प्रकृति को बचाना है।

पहले भी हमारे देश के लोग प्रकृति में देवी-देवताओं को ढूँढ़ते थे और अब भी ढूँढ़ते हैं। इसी कारण पेड़-पौधों का संरक्षण करते हैं। पेड़-पौधों की अवैध कटाई/नदियों को प्रदूषित करना, कानूनी अपराध है। मूल बात है, पर्यावरण की किसी भी तरह से रक्षा होनी चाहिए। व्यक्ति की जिन्दगी प्रकृति का हिस्सा थी और है। मनुष्य के साथ प्रकृति भी दुःख और खुशी में भागीदारी निभाती है। निष्कर्षतः पर्यावरण की खोज का अभियान चलाया जाना चाहिए। छात्र-छात्राओं को मात्र पुस्तकीय ज्ञान ही प्रदान न कर, पर्यावरण का जीवन्त आभाष करवाया जाना चाहिए। इस हेतु समय-समय पर शिविर लगाने जरूरी है। पर्यावरण पर भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाकर, विजेताओं को पुरस्कृत भी करना चाहिए। प्रकृति (नेचर) सम्बन्धी पत्रिका भी निकालना छात्रहित एवं जनहित में रहेगा। इससे छात्रों की पर्यावरण के प्रति समझ बढ़ेगी। पर्यावरण सुधार के प्रति छात्रों में 'दृढ़ भावना' का उदय होगा। शिविरों के माध्यम से छात्र प्रकृति को निकट से जानने का प्रयास करते हैं।

छः जून को पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण विशेषज्ञ विश्व स्तर पर बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के लिए प्रयत्नशील हैं। इसे संतुलित और स्वस्थ बनाए रखने की समस्या विकसित देशों के साथ-साथ, विकासशील देशों में भी चिन्ता का कारण बनी हुई है।

एन.सी.ई.आर.टी. के स्कूल स्तर पर, पर्यावरण की शिक्षा हेतु दोहरा कार्यक्रम तैयार किया गया है। प्रथम भाग के अनुसार कक्षा में बच्चों को पर्यावरण रक्षा सम्बन्धी तरीकों की जानकारी दी जाती है। पर्यावरण का महत्व समझाया जाता है, और प्रदूषण के दुष्परिणामों से अवगत कराया जाता है। दूसरे भाग के अन्तर्गत, पर्यावरण शिक्षा के व्यावहारिक पक्ष पर जोर दिया जाता है। इस हेतु परिषद ने स्कूलों में प्रदर्शन के लिए स्लाईड्स/फिल्म व टेप तैयार किए हैं। परिषद पर्यावरण सम्बन्धी पूरक पाठ्य सामग्री और पत्रिकाएँ भी प्रकाशित करती हैं।

एन.सी.ई.आर.टी. ने समाज विज्ञान और मानविकी के लिए पाठ्यक्रम तैयार किए हैं, जो पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य को अधिकांशतः पूरा करते हैं। इस प्रकार के पाठ्यक्रम से छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास होता है। उनमें पर्यावरण के प्रति समझदारी पूर्ण आकर्षण उत्पन्न होता है। वे स्वयं अपनी पर्यावरण सम्बन्धी समस्याओं का समाधान करने में सक्षमता हासिल करते हैं। बच्चों को पर्यावरण के बीच रखकर, शिक्षित करना श्रेयस्कर है। विद्यालय का वातावरण अच्छा रहे, स्वच्छ रहे, इस हेतु विद्यालय और इसके आसपास पर्याप्त पेड़-पौधे लगाने चाहिए। 'एक व्यक्ति एक वृक्ष' का नारा देकर, समाज की अधिक से अधिक भागीदारी प्राप्त करनी चाहिए। चारागाह/बंजर भूमि/रेतीले टीलों और खनन कार्य से निकले हुए मलबे पर भी वृक्ष लगाकर पर्यावरण शुद्धि में सहयोग किया जा सकता है। पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों/सड़कों के किनारे वृक्ष लगाकर, इन स्थलों का सौन्दर्यीकरण भी किया जा सकता है।

–अध्यापिका
रा.उ.प्रा.वि., ब्रजपुरा, सिलोरा (अजमेर)

होली एक विज्ञान सम्मत त्यौहार

❑ अचलचन्द जैन

त्यौहारों के देश भारत में फाल्गुन पूर्णिमा के दिन आने वाला होली का त्यौहार वर्ष का अन्तिम तथा जन सामान्य के जीवन को हर्ष एवं उल्लास से सराबोर करने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है। होली की परम्परा प्राचीनकाल से आज तक लगातार चली आ रही है। आपसी रंजिश और झगड़ों का निपटारा भी होली के अवसर पर होता है। इस त्यौहार ने प्रेम-सद्भाव के सन्देश द्वारा अनेक जातियों में बँटे हुए हिन्दू समाज को संगठन के सूत्र में पिरोने का महत्वपूर्ण कार्य किया है।

यह त्यौहार फाल्गुन पूर्णिमा से लगाकर शीतला सप्तमी तक मनाया जाता है। इन सात दिनों में गैरिये पैरों में घुँघुरू बाँधकर नाचते हैं। गैर नाचना, लूरनृत्य एवं गाने-बजाने के साथ-साथ होली के लोकगीत गाये जाते हैं। नाचने और ऊँचे स्वर में गाने-बजाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और कसरत होती है। होली के दूसरे दिन धुलेड़ी का त्यौहार मनाया जाता है जिसमें लोग अपने मित्रों के यहाँ नाचते-गाते जाते हैं तथा एक दूसरे पर रंग डालते हैं। एक शोध के अनुसार रंगों में एन्टी आक्सीडेंट के गुण पाये जाते हैं जो शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। होली से पूर्व जन्मे बच्चे को गेरिये डंडिये की ताल मिलाते हुए बच्चे के चारों ओर नाचकर ''ढुंढ़ण'' करते हैं जो शुभ माना जाता है। बच्चे के जन्म की खुशी में गेरिये गोठ (एक समय का सामूहिक भोजन) माँगते हैं जो खुशी-खुशी देते हैं। इस तरह चारों ओर उल्लास और उमंग का वातावरण होता है। शीतला सप्तमी के दिन ठण्डे भोजन का प्रसाद शीतला माता को चढ़ाकर दिन भर ठण्डा खाना खाते हैं जिससे खून में मौजूद उष्णता शान्त हो जाती है।

देश भर में एक रात में सम्पन्न होने वाला 'होलिका दहन' जाड़े और गर्मी की मौसम के सन्धिकाल में फैलने वाले चेचक, खाज, खुजली आदि संक्रामक रोगों के कीटाणुओं के खिलाफ एक सामूहिक अभियान है। होली की अग्नि की ज्वाला वायुमण्डल को उष्ण कर कीटाणुओं को नष्ट करती है। होलिका प्रदक्षिणा के दरम्यान अग्नि की परिक्रमा के समय 140 डिग्री फारेनहाइट ताप जब शरीर में प्रविष्ठ होता है तो रोगों के कीटाणुओं का नाश होता है।

बसंत ऋतु में खून में उत्पन्न होने वाला द्रव शरीर में आलस्य और मस्ती पैदा करता है। इन दिनों नींद अच्छी आती है। नाच-कूद, नृत्य, कौतुक आदि से आलस्य दूर भागता है। आयुर्वेद के अनुसार शिशिर ऋतु में जमा हुआ कफ बसंत मे पिघल कर जुकाम, खाँसी, दमा आदि रोगों को जन्म देता है। होली में ऊँचे स्वर में गाना, बजाना, कूदना, नाचना, हँसी-मजाक आदि ऐसी क्रियाएँ हैं, जिनसे कफ के शान्त होने में मदद मिलती है।

वास्तव में होली एक विज्ञान सम्मत पर्व है। इसकी सभी क्रियाएँ महत्वपूर्ण और अप्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं।

–गाँधीमूर्थों का वास, सायला, जालोर

पाठक लिखते हैं ...

शिविरा पत्रिका फरवरी, 2013 अंक में दिशाकल्प और प्रतिध्वनि में मूल भावना एक ही है, समानता है। बच्चे ईश्वर के प्रतिरूप हैं। दोनों आलेखों में बच्चों के प्रति चिन्ता झलकती है, बच्चों के प्रति लापरवाही, उदासीनता के लिए आक्रोश की अभिव्यक्ति है। उनका ध्यान रखना शिक्षकों व अभिभावकों का प्राथमिक कर्तव्य है।

प्रार्थना सभा की वाँछनीयता आलेख कवित्व पुट के साथ श्री लियाकत अली, पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी के अनुभव का निचोड़ है। प्रार्थना के मूल लक्ष्य को इंगित कर रहा है। महत् सत्य का प्रकटीकरण है। सामयिक प्रासंगिक वसन्त पंचमी सम्बद्ध पाठ्य सामग्री उत्कृष्ट है। श्री कलानाथ शास्त्री की प्रस्तुति स्वामी विवेकानन्द का संक्षिप्त उद्बोधन आँखें खोल देने वाला है। सरस्वती वंदना, तू एक ही है, अभियान गीत 'होंगे कामयाब' काव्य की रसानुभूति की आपूर्ति कर रहे हैं, रसास्वादन करा रहे हैं। लक्ष्मीनारायण रंगा का आलेख समग्र व समावेशी है। निष्कर्षतः

सुन्दर बन पड़ा है अंक/कह रहा हूँ मैं निशंक/सम्पादन चयन है श्रेष्ठ/हर शिक्षक के लिए यह मयंक।

–टेकचन्द्र शर्मा, झुंझुनूं

2013 की मंगल कामना युक्त दिशाकल्पयुक्त शिविरा जनवरी 2013 अंक आद्योपान्त पढ़ा। सर्वप्रथम तो सम्पादकीय गुरुजन मण्डल को हार्दिक बधाई कि शिविरा उत्तरोत्तर आकर्षक व गुरु की गुरु पथ प्रदर्शक बनकर हिन्दी साहित्य में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त है। एक ऐसी मासिक हिन्दी, जिसका प्रतिमाह लाखों गुरुजन बेसब्री से इन्तजार करते हैं। 'रामलाल की व्यथा कथा' पर शिक्षाविद् थानवी साहब के विचार व्यंग्य-कथा की सटीकता व प्रभावशीलता प्रकट करते हैं। वास्तव में लगभग सभी शिक्षकों के साथ 'रामलाल ... जैसे ही अनुभवों की पोटली है।'

उषा टेलर का कैरियर पर लेख प्रासंगिक है तथा विवेकानन्द जयन्ती पर उपयोगी है। स्वामी विवेकानन्द जी शिक्षा-दर्शन पर श्री अन्नाराम शर्मा ने सारगर्भित ज्ञान दिया है।

'शिक्षकों से सीधी बातचीत' स्तम्भ बहुत लाभकारी था। पुनः शुरू कर सकें तो अत्यन्त लाभप्रद रहेगा।

–मोहनराम बिश्नोई, मदासर (नाचना), जैसलमेर

पुस्तक परिचय

अनोखा फैसला; *सत्यनारायण 'सत्य'; साहित्यागार, 958, धामाणी मार्केट की गली, चौड़ा रास्ता, जयपुर; संस्करण : 2011; पृष्ठ संख्या : 110; मूल्य : 175.00 रुपये।*

समाज में आज शिक्षा का भरपूर विकास हो रहा है। छोटे-छोटे बच्चों के कंधों पर कई किलो का बस्ते का बोझ लादा जा रहा है। संरक्षक एवं माता-पिता पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति की ओर भाग रहे हैं। परिणाम बच्चों में आदर्श, राष्ट्रवाद, रिश्तों-नातों का धागा टूट रहा है। बच्चे रोबोट या मशीनें बन रहे हैं। परिणाम आज अनाचार, आपाधापी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है तथा नैतिकता का ह्रास हो रहा है।

बालकों को दादा-दादी, नाना-नानी द्वारा सुनाई जाने वाली कहानियाँ लुप्त हो रही हैं। संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। बच्चों को आदर्श नागरिक बनाने की किसी को चिन्ता नहीं लगती है।

ऐसे में बाल साहित्य के रचनाकार रचाव कर रहे हैं उन्हीं में से एक नाम जाज्वल्यमान हो रहा है सत्यनारायण 'सत्य' का। जिन्होंने अनोखा फैसला बाल साहित्य में कहानी संग्रह लिखकर बालकों के मनोरंजन एवं चरित्र निर्माण की एक आदर्श दिशा दी है।

श्री सत्यनारायण 'सत्य' की रचनाओं में पर्यावरण संरक्षण, सामाजिकता, पारिवारिक वातावरण, भ्रष्टाचार का विरोध, आविष्कारों के प्रति जिज्ञासा, चरित्र निर्माण, ईमानदारी, स्वार्थ के बजाय परमार्थी बनने की शिक्षा, पाखण्ड की पोल खोलना मुख्य है।

'अठै क उठै' एक ऐतिहासिक कहानी है जो मेड़ता के जयमल जब चित्तौड़ जा रहे थे महाराणा उदयसिंह का युद्ध में सहयोग करने तब रास्ते में डाकुओं से न लड़ने का निर्णय किया था। परिणामतः डाकू दल भी उनका अनुयायी हो गया था।

आज शुद्ध दूध के स्थान पर सिंथेटिक जहरीले दूध का बाहुल्य हो रहा है। किसी व्यक्ति जाति या धर्म का नाम लिए बगैर जंगली जानवरों के यहाँ पर सिंथेटिक दूध को प्रकट किया है। जानवरों के बहाने चुनाव पर भी रोचक कहानी बालकों को परोसी गई है।

इस पुस्तक का नामकरण अनोखा फैसला कहानी पर रखा है। इस कहानी में कर्मचारी को अपने काम के समय लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए यह संदेश दिया गया है कि 'चौकीदार' को निगरानी के लिए रखा गया। वह चौकीदारी करने के बजाय सोकर सपने देखता है। सेठ को नागवार गुजरा।

संग्रह की सभी रचनाएँ एक से एक बढ़कर है। सरकार को चाहिए कि ऐसी पुस्तकें प्रारम्भिक स्तर के बच्चों तक पहुँचाने का कार्य करें। बच्चों पर बड़े बस्ते के बोझ के बजाय अनोखा फैसला जैसी चारित्रिक एवं ज्ञानवर्द्धक पुस्तकें उपलब्ध कराएँ।

पुस्तक की प्रत्येक कहानी सचित्र एवं शुद्धतायुक्त मुद्रित है। आकर्षक कवर एवं बढ़िया कागज के साथ है। थोड़ा मूल्य अधिक होने से पुस्तकालय तक पहुँच जाए तो उत्तम। लेखक को इस सार्थक लेखन के लिए बधाई।

–देवकिशन राजपुरोहित
सूर्यसदन, चम्पाखेड़ी, वाया - रैण (नागौर)

सबद-नाद; *डॉ. नीरज दइया; बोधि प्रकाशन, जयपुर; संस्करण : मार्च, 2012; पृष्ठ संख्या : 96; मूल्य : 70.00 रुपये।*

समय ऐसा कभी नहीं रहा जिसने जीवन को प्रभावित न किया हो। ऐसा नहीं कि उल्लेखनीय जीवन से प्रेरणा मिल सकती है। प्रेरणा अभाव-अभियोग में जिये गये जीवन से भी मिल सकती है, बशर्ते देखने की आँख स्वस्थ-स्वच्छ हो। प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रेरणा जीवन की विद्रूपता, विडंबना व विसंगतियों से मिलती है, लेने की कुव्वत होनी चाहिए। डॉ. नीरज दइया द्वारा चयनित-सम्पादित राजस्थानी भाषा की अनुवाद कृति 'सबद-नाद' ऊपर कथित बयान का साक्षी-दस्तावेज है।

मुट्ठी'क चावळां नें
तरसै मन म्हारो ...
झरै आंख्यां सूं
बेबसी रा मोती ...
जे नीं लूटां गोदाम
तो जीवां कींकर ...

ये कवितांश किसी व्याख्या की माँग रखते हैं। किस समाज में नहीं है पेट भरने की तरस, कहाँ नहीं है बेबस समाज और जीने की हूँस। सच में कविवर वीरेन्द्र कुमार भट्टाचार्य असमिया समाज के जिस भारतीय समाज का दर्द बयान किया है, बांग्ला कवि सुनील गंगोपाध्याय की कविता में जीवन की लालसा को रेखांकित करता है। युवा कवि परिचयदास माटी की खुशबू व कामगरों को मान देते हैं। वहीं उदार-बाजार नीति की परखचे उधेड़ते हुए बताते हैं कि 'बिकणौ ही जुग री जरूरत है' भोजपुरी कवि परिचयदास की कविता में प्रीत-रीत, रिश्ता-नाता और संवेदना पर करार व्यंग्य है।

ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म की कविता 'मरवण रै नांव' बोड़ो भाषा की कविता की राजस्थानी रंगत-भाषा संस्कार दिया है अनुवादक डा. नीरज दइया ने। कविता का मूल सार– हियो समझै हियै रा सबद। क्या बोड़ी में मरवण चरित्र पात्र है। उसका मूल नाम कोई और हो तो परिचय सामने आना चाहिए। डोगरी की पद्मा सचदेव वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रेम-क्रोध के बीच पिस रही जिन्दगी का बयान है। असल में यह बयान भारतीय समाज से लुप्त हो रही मानवीयता, अपनापन, प्रेम व उल्लास की लोपता को उजागर करते हैं।

बतौर बानगी ही हम उन भाषायी कविताओं को लें। ज्यों कन्नड़ कविता देश के हालातों पर सवालियां निशान लगाती है। वहीं पर अहसास कराती है गाँधी आज भी प्रासंगिक है। मैथिली कविता में जहाँ टूटती घर-गृहस्थी के दर्द को उकेरा है। मलयालम कवि विश्वास जगाता है– चिमठींक प्रीत बदळै/स्सौ कीं पाछौ मिळ सकै... वहीं मणीपुरी कविता – टाबरां री छात्यां बणगी/सिपाहियां री खुराक.../लुगाइयां रा डीळ/तलवार और छुरी परखण री ठौड़... आदिवासी समाजिकी राजनीति का मर्मान्त व वेदना-संवेदना की गाथा है।

वस्तुतः संचयनित अनुदित भाषायी कविताएँ तत्सम्बन्धी समाज की तासीर-तेवर का परिचयात्मक दस्तावेज भर नहीं है। इस मिस पर यह कहना उचित ही होगा कि वे भारतीय समाज की मूल-केन्द्रिय संवेदना के प्रतिनिधि स्वर हैं।

यह तथ्य कहीं भी उजागर नहीं होता है कि 'सबद नाद' में अनुदित, चयनित कविताओं का मूल भाषा स्रोत क्या है? यदि ये कविताएँ मूल भारतीय भाषाओं से राजस्थानी भाषा में

अनुदित हैं तो राजस्थानी भाषा साहित्य जगत के लिए सुखद संकेत है कि इन्हीं भारतीय भाषाओं ने राजस्थान भाषा की रचनाओं को संप्रक्षेपित करने का सेतु-हेतु व साधक मिल गया है।

यदि अनुदित कविताएँ हिन्दी या अन्य किसी भाषा के जरिये भी राजस्थानी में पेश हो रही हैं तब भी ये मूल राजस्थानी सी लगती है। दोनों ही स्थिति में डा. नीरज दइया साधुवाद के पात्र हैं। अकादमी का धन-प्रयास बेकार नहीं गया है। कृति पठनीय है आलोचकीय दृष्टि को परे रखें या साफ रखें, तब भी। अन्तरपट में चन्द्रप्रकाश देवल का बतौर अनुवादक परिचय उसकी साख को ग्रसित करता है। क्यों जरूरी लगा यह समझ के दूसरे छोर से तो यह बात समझ में आती है, परन्तु अनुवादक-अकादमी को अंतरपट उठाकर सच उजागर करना चाहिए कि यह पैबन्द मक्खन की कारी-कुरपी अनुचित क्यों नहीं जान पड़ी। सबद-नाद संग्रहणीय है।

–श्रीलाल जोशी, रतन भवन, नत्थानियों की प्रोल, बारह ग्वाड़ का चौक, बीकानेर-334005

आपणा गीत; *सुधा आचार्य; कलाकार प्रकाशन, बीकानेर; संस्करण : 2012; पृष्ठ संख्या : 190; मूल्य : 200.00 रुपये।*

जिस गीत को गाने में, सुनने में व्यक्ति अपनापन अनुभव करता है वही गीत उसका अपना है। लोकमानस जिस गीत को स्वीकार करता है वही गीत लोकगीत बनता है।

लोक चेतना में पर्व, त्यौहार और अवसर विशेष पर गाये जाने वाले लोक गीत हमारी साँस्कृतिक परम्परा में अन्तस के गीत हैं और समाज के हर वर्ग में इनके वैशिष्ट्य का आनन्द लोक मानस को नई पुलकन देता है।

'आपणा गीत' पुस्तक के राजस्थानी गीत समाज के, परिवार के, अवसर विशेष के देवी-देवता के गीत हैं जो लोकमानस में प्रचलित हैं जिनको सुनने से सुख मिलता है परन्तु आधुनिक समय में इन गीतों को गाने वालों की कमी ने श्रीमती सुधा आचार्य को इनको पुस्तकाकार रूप में संकलित करने की प्रेरणा दी जो निश्चय ही साधुवाद की पात्र हैं।

वर्तमान समय में अपनी संस्कृति पर हो रहे सांस्कृतिक प्रदूषण के प्रभाव से राहत दिलाने वाले ये गीत नई पीढ़ी के नये सुरों को नई ताकत देंगे। संकलन के 190 पृष्ठों पर जीवन के विविध रंगों के गीत पढ़ते-पढ़ते गुनगुनाने के लिए प्रेरित करते हैं।

भारतीय हिन्दू मानस में किसी भी मांगलिक कार्य विशेषतया शादी हो या कोई पर्व विशेष प्रथम पूज्य गणेश, गजानन्द, विनायक का स्मरण ही विघ्नहर्ता के रूप में होता है–

कूंकू भरियौ चौपड़ो, मोत्यां भरियौ थाळ,
बनड़े रा दादोजी, गजानंद नै ध्यावो म्होरा राज।
गजानंद ने ध्याय लो, रिद्धि-सिद्धि लेवो ओ मनाय,
बनड़े री दादीजी गजानंद नै ध्यावो म्होरा राज
सूंड सूंडाळौ बाबो धूंध धूंधाळौ,
ओछी पींडी रो कामण गारो ए म्हारो विरध विनायक।
चालो विनायक आपौं जोशीजी रै हालौ,
चोखा सा लगन लिखावौ ए म्हारो विरध विनायक।

इसी तरह देशनोक की करणीमाता, मावड़ियो जी, पितर जी, माता जी, लक्ष्मी जी, गोगा जी, शैडल माता, भैंरू जी के गीत इस संग्रह के स्थानीय रंग को और लोक मान्यता को व्यक्त करते हैं।

विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों में घोड़ी, सवाग (सुहाग), मेंहदी, गीतों को मूल स्वरूप में ही संकलित कर श्रीमती सुधा आचार्य ने नई पीढ़ी के लिए उपयोगी संकलन समाज को दिया है।

सोलह संस्कारों में यज्ञोपवीत जिसे जिंदोई भी कहते हैं के अवसर पर गाए जाने वाले गीत लोगों को अपने गीत लगते हैं। पालणौ, फेरां रा गीत, बना-बनी, बीरो, जंवाई, हिचकी, ढोला मारू, झालौ, रतन राणौ, रिडमल और उमराव जैसे परिवार के गीतों ने इस पुस्तक को सही मायने में आपणा गीत ... पुस्तक का नाम सार्थक किया है।

राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी, बीकानेर के आर्थिक सहयोग से प्रकाशित इस पुस्तक के रूप में अकादमी ने लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

–चन्द्रकला, II-165, मुरलीधर व्यास नगर (विस्तार), मौसम विभाग के पास, बीकानेर-334004

मंचीय बाल नाटक; *निर्मोही व्यास; करणी क्रियेशन, पवनपुरी, बीकानेर; संस्करण : 2008; पृष्ठ संख्या : 80; मूल्य : 100.00 रुपये।*

नाटक एक ऐसी विधा है, जो पाठक को बरबस ही अपनी ओर खींच लेती है। 'मंचीय बाल नाटक' बालकों के लिए वरिष्ठ रंगकर्मी श्री निर्मोही व्यास रचित ऐसा ही बाल नाटक संग्रह है, जिसे हाथ में लेने पर बिना पढ़े छोड़ने का मन ही नहीं करता।

प्रस्तुत संग्रह में समाहित 6 नाटकों द्वारा लेखक ने बच्चों के बालमन को आंदोलित करते हुए उनमें सुसंस्कारों की स्थापना करने तथा बुराइयों से बचने का आह्वान किया है। इन नाटकों में व्यावहारिक जीवन की विषमताओं से संघर्ष करते हुए बौद्धिक विकास करने का संदेश दिया गया है।

संग्रह के पहले नाटक 'राजाबाबू' का कथानक बहुत ही रोचक बन पड़ा है। इसमें धनाढ्य सेठ शिक्षा की महत्ता करते हुए किसी भी प्रकार अपने लाडले बेटे को पढ़ाना चाहता है। नाटक में हास्य का पुट प्रदान करते हुए घमण्ड, उद्दण्डता और नासमझी को त्यागकर सच्ची लगन व समर्पण से शिक्षित होने का सार्थक संदेश दिया गया है। चुस्त संवादों से नाटक सहज ही गतिमान होता चला जाता है।

'निर्भीक नेहा' नाटक के पात्रों की रचना बेहद सूझबूझ के साथ की गई है। यह नाटक बालकों में बुराई का विरोध करने का भाव जगाता है। बचपन में गुमशुदा बच्ची नेहा चोरी-छिपे अध्यापिका के पास पढ़ने जाती है, तब उसे भले-बुरे का ज्ञान होता है। लेखक ने नेहा को माता-पिता से मिलाकर सुखान्त समापन किया है।

'नहले पर दहला' नाटक में गुरु-शिष्य के संवादों द्वारा शिक्षा का व्यावहारिक पक्ष दृष्टिगोचर होता है। किस अवसर पर क्या कहना चाहिए– कैसे बोलना चाहिए, इसकी समझ अनपढ़ शिष्य को नहीं होती है और वह बार-बार समझाने के बावजूद हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न कर देता है।

'अहंकारी अनिल' नाटक अपने मुख्य किरदार अनिल के आस-पास घूमता है, जो

अहंकारी होने के साथ उद्दण्ड भी है। जिस अध्यापक से वह ट्यूशन पढ़ने जा रहा होता है, मार्ग में बुजुर्ग व्यक्ति समझकर उसे ही अपमानित-पीड़ित करता है। इसका पता बाद में चलता है और अनिल आत्म-ग्लानि व पश्चाताप के सागर में घिर जाता है। गुरुजी उसे माफ करते हुए उद्दण्डता और अहंकार को त्यागने की नसीहत देते हैं।

पाँचवाँ नाटक 'अनोखा उपहार' मन को झकझोर देने वाला नाटक है। इस नाटक में अमीरी तथा गरीबी व अभाव तथा संघर्ष को खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया है। नाटक बालकों में दिखावा नहीं करने तथा आमदनी के अनुसार ही खर्च करने की भावना विकसित करता है।

अंतिम नाटक 'अभिशाप' शिक्षा की ललक जगाने वाला है। नाटक का संदेश है कि गरीबी का समाधान हिंसा व आतंकवाद में नहीं है। दमदार संवाद नाटक की सबसे बड़ी विशेषता बन गए हैं। ये संवाद कई बार अन्तर्मन तक छू जाते हैं। यह नाटक भरे-पूरे कथानक के साथ गरीबी के अभिशाप को रेखांकित करता है। निश्चित ही यह नाटक बच्चों के साथ-साथ बड़े पाठकों को भी सोचने पर मजबूर करेगा।

प्रस्तुत संग्रह में शिष्टाचार तथा आदर्श संस्कारों की स्थापना का सफल प्रयास किया गया है। लेखक ने भाषा, भाव, विचार, कथ्य, शिल्प, संवाद तथा शैली आदि हर बिन्दु पर सजगता से काम किया है। एक ओर नाटक जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं, दूसरी ओर समाधान भी प्रस्तुत करते हैं।

आकर्षक अक्षर विन्यास व बढ़िया कागज से मुद्रित नाटक संग्रह के लिए प्रकाशक साधुवाद का पात्र है। यद्यपि समस्त नाटकों के शीर्षकों के साथ बहुत छोटे-छोटे चित्र दिए गए हैं, परन्तु बड़े व अधिक चित्र होते तो बाल पाठकों के लिए सुगमता रहती। संग्रह का नाम 'मंचीय बाल नाटक' न होकर संग्रह में समाहित किसी नाटक के नाम पर होता तो चार चाँद लग जाते।

–बजरंग सारस्वत, बाबा रामदेव रोड,
पुरानी लेन, गंगाशहर, बीकानेर-334401

संस्मरण

मेहनत रंग लाई

यह बात सत्र 2007-08 की है। जब मैं रा.उ.मा.वि. लाखनी (सीकर) में अध्यापक पद पर सेवा दे रहा था। मैं कक्षा 8 में अंग्रेजी विषय पढ़ाता था। कक्षा में एक बालक अनिल कुमार मीणा अंग्रेजी का उच्चारण करने पर हकलाता एवं तुतलाता था और उसका लेख भी काफी खराब था। विद्यार्थी कक्षा एवं विद्यालय में उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे। 8वीं बोर्ड परीक्षा पास करना उसके लिए पहाड़ जैसे चुनौती थी। शायद बच्चे में हीन भावना आ गई। एक दिन मैंने उसे स्नेह एवं समर्पित भाव से हिन्दी एवं अंग्रेजी की वर्णमाला तथा 0 से 9 तक अंक सही स्थिति में लिखकर दिये एवं उससे अक्षरों एवं अंकों की बनावट ज्यों की त्यों नकल करके लाने को कहा। उसने अगले ही दिन काफी सुधार के साथ मुझे हिन्दी एवं अंग्रेजी की वर्णमाला तथा अंक घर से लिखकर दिखा दिये। अब मेरी उम्मीदों के मानो पंख लग गये एवं मैंने उस बालक को विद्यालय समय में प्रत्येक विषय की समस्या का समाधान करने का विकल्प दे दिया। मैं उसकी हर सम्भव मदद करने को आतुर रहता। उसका मन अब पढ़ाई में लगने लग गया। लेखन में काफी सुधार हो चुका था। मेरे छोटे से प्रयास एवं उसकी कड़ी मेहनत की बदौलत वह बालक 8वीं बोर्ड परीक्षा 2008 में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ।

एक पत्थर को अपनी छैनी एवं हथौड़े से मूर्ति का रूप दे देना मूर्तिकार की पहचान होती है। शिक्षक भी एक शिल्पी है जिसको भिन्न-भिन्न पत्थरों से भिन्न-भिन्न मूर्तियाँ बनानी होती हैं क्योंकि उसे अपने बच्चों को उनकी योग्यता और क्षमतानुसार भिन्न-भिन्न साँचों में ढालना पड़ता है। व्यक्तित्वों का सृजन करना पड़ता है। एक शिक्षक को चाहिए कि वह अपने बच्चों में जिज्ञासा के भाव जगाए एवं जाग्रत जिज्ञासा को शान्त करने का काम करे। यही शिक्षक की पहचान है।

–मूलचन्द सैनी, अध्यापक, रा.उ.मा.वि., कोटड़ी, लुहारवास, सीकर

लघु-कथा

फंदा

सुबह का समय था। दस बजे थे। नगरपालिका के कर्मचारी शहर की गलियों में घूम-घूम कर आवारा कुत्तों को पकड़ रहे थे। कुत्तों को पकड़ने के लिए उनके हाथों में मजबूत रस्सी के फंदे थे। ये लोग कुत्ते के गले में मजबूत रस्सी का फंदा डालकर उसे पकड़ कर अपने साथ के ट्रक के एक बड़े पिंजरे में ठूँस देते थे।

कुत्ते पकड़ने के इस काम से गली में बड़ी चहल-पहल हो रही थी। कतिपय चलते-फिरते राहगीर कुत्तों की आर्त पुकार, रोना सुनकर दयाभाव दिखाते, वहीं कुछ राहगीर कुत्तों की करुणा मय, रोना सुनकर आनंदानुभूति करते। स्कूल जाने वाले छोटे-छोटे बालक अपनी स्कूल ड्रेस पहने, पीठ पर भारी-भरकम, बोझीला बस्ता लादे, हाथ में पानी की बोतलें लिए खड़े थे। इनमें से कुछ बालक कुत्तों की इस हालत से जहाँ भयभीत थे वहीं कुछ तालियाँ बजा-बजाकर खुश हो रहे थे। गली में से स्कूल जा रहे बालकों का एक ऑटोरिक्शा गुजरा। इसमें लगभग सभी बच्चे तीन से पाँच साल के थे। ये सभी बालक ऐसे थे जिन्हें उनके माता-पिता, अभिभावक बहला-फुसलाकर, लालच देकर, डरा धमका कर ऑटो में बैठाकर जाते थे।

ऑटोरिक्शा में बैठे बालकों ने कुत्ते पकड़ने का यह दृश्य देखा। रिक्शा थोड़ा आगे बढ़ा कि एक नन्हें बालक ने पास बैठे बड़े बालक से पूछा– 'ये इन कुत्तों को पकड़ कर इनका क्या करेंगे?'

'कुत्तों को यहाँ सुदूर वन में छोड़ दिया जाएगा, ताकि ये शहर में न आ सकें।' बड़े बच्चे ने कहा।

'ओह ! यह तो ठीक है पर हमें तो रोज-रोज फंदे....।' छोटे बच्चे ने ऑटो से उतरते धीरे से कहा।

–शिवचरण मंत्री, श्रीनगर, अजमेर (राज.) 305025

शिक्षा के भीष्म पितामह का अभिनन्दन

शिक्षक के अन्दर जो गरिमामय अनुभव और ज्ञान है उसका अगर सही उपयोग किया जाए तो चमन खिलने में कोई कसर नहीं रहेगी। आवश्यकता इस बात की है कि गहराई से विचार करें और विद्यालयों के परिवेश में काम करने वाले शिक्षकों के अनुभवों का लाभ इसमें जोड़ने का प्रयत्न करें, ताकि यह ज्ञान न होकर सम्यक ज्ञान हो जाए।

अध्यापक के लिए फिरता है, चमन,
अपनी आँखों में ये बागवा।
जिस तरह उठीं ये निगाहें,
ज्ञान-अनुभव गुलशन हो गया।

इन उत्प्रेरक शब्दों को शिक्षा के कोने-कोने में फैलाने वाले गणितज्ञ व शिक्षाविद् श्री तेजकरण डंडिया हैं। जीवन के 103 बसंत देख चुके श्री डंडिया का अभिनन्दन समारोह उनके जन्म दिवस के अवसर पर पुरस्कृत शिक्षक फोरम राजस्थान ने 27 जनवरी 2013 को जयपुर के श्री महावीर दिगम्बर जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभागार में किया।

विद्यालय सभागार की सजावट, मंच पर पधार रहे अतिथि महानुभावों के आसन व्यवस्था से जुड़े हर व्यक्ति की सतर्कता व स्फूर्ति बयान कर रही थी कि आज एक युग का अभिनन्दन व श्रद्धा अर्पित करने के लिए हर कोई तत्पर था। ऐसा होना स्वाभाविक भी था क्योंकि डंडिया जी पुरस्कृत शिक्षक फोरम राजस्थान के संरक्षक होने के साथ-साथ दिशा-निर्देश के भी सूत्रधार हैं।

अभिनन्दन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत पधारे। अध्यक्षता हेतु माननीय शिक्षा मंत्री श्री बृजकिशोर शर्मा, विशिष्ट अतिथि माननीया शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ व राजस्थान फाउण्डेशन के उपाध्यक्ष श्री राजीव अरोड़ा भी पधारे। इन सबके बीच ह्वील चेयर पर विराजमान थे– समारोह की धड़कन श्री डंडिया जी। प्रेक्षागृह अतिथियों के स्वागत के लिए तालियों की गड़गड़ाहट से गूँज उठा। माननीय मुख्यमंत्री व साथ दे रहे माननीय शिक्षामंत्री व शिक्षा राज्य मंत्री ने श्री डंडिया जी को साफा पहनाकर शाल ओढ़ाकर सुन्दर फ्रेम में सुसज्जित शब्दों में अलंकृत अभिनन्दन पत्र पुरस्कृत शिक्षक फोरम की ओर से भेंट किया।

माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने अपने उद्बोधन में श्री डंडिया जी के शैक्षिक व सामाजिक क्षेत्र में अतुलनीय योगदान की भूरि-भूरि प्रशंसा की। आपने कहा कि शिक्षा के बिना जीवन में अंधेरा रहता है। शिक्षा से न केवल सोच अच्छी होती है बल्कि व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है। श्री डंडिया जी ने राज्य में जो शिक्षा की अलख जगाई व नई दिशा दी है, वह अतुलनीय है। इसलिए श्री डंडिया जी का जितना सम्मान किया जाए, कम ही होगा।

इस अवसर पर देहदान संकल्प पत्र का पंजीकरण कराने वाली राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय तलवण्डी, कोटा की राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त प्रधानाचार्या श्रीमती निर्मला आर्य को भी उनके समर्पित सोच व कार्य के लिए पुष्प गुच्छ, शाल व अभिनन्दन पत्र भेंट करके सम्मानित किया गया। साथ में पुरस्कृत शिक्षक श्री सुरेश चन्द्र पारीक के असामयिक निधन होने पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने फोरम के सदस्यों के सहयोग से एकत्रित की गई 51,000 रुपये की राशि स्व. पारीक की पुत्री सुश्री प्रज्ञा पारीक को अध्ययन हेतु भेंट की।

इस अवसर पर श्री डंडिया जी ने अपने आशीर्वाद शब्दों में आह्वान किया कि कोई भी कार्य मुश्किल नहीं होता है। यदि मन में ललक व कार्य करने की दृढ़ महत्वाकांक्षा हो तो पत्थर भी मोम बन जाता है। केवल सरकार द्वारा पुरस्कृत हो जाने से, पुरस्कृत शिक्षकों को इस गरिमा को बनाए रखकर आगे ऐसा काम करना है, जिससे बच्चों व समाज का विकास हो। आवश्यकता सोच को बदलने की है।

सोच को सुधारिये, सितारे बदल जाएँगे,
नजरिये को बदलिए, नजारे बदल जाएँगे।
हमें जरूरत नहीं है, किश्ती को बदलने की,
किश्ती के रुख को बदलिए, किनारे बदल जाएँगे।

प्रारम्भ में फोरम के महासचिव श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा ने डंडिया जी के जीवन पर प्रकाश डाला तथा शिक्षा में योगदान की जानकारी देते हुए इसे अतुलनीय बताया। अन्त में फोरम के अध्यक्ष श्री आर.आर. हर्ष ने आभार व्यक्त किया।

पुरस्कृत शिक्षक फोरम, राजस्थान

टिप्स फॉर टॉप मार्क्स पुस्तिकाओं का विमोचन एवं निःशुल्क वितरण

गत 09 फरवरी 2013 को पुरस्कृत शिक्षक फोरम राजस्थान की ओर से प्रकाशित 12वीं तथा 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षा 2013 से पूर्व विषयवस्तु का दोहरान व मार्गदर्शन हेतु हायर सैकण्डरी बोर्ड परीक्षा तैयारी टिप्स फॉर टॉप मार्क्स तथा सैकण्डरी बोर्ड परीक्षा तैयारी टिप्स फॉर टॉप मार्क्स (दो) पुस्तिकाओं का विमोचन व निःशुल्क वितरण समारोह जयपुर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मालवीय नगर में आयोजित हुआ।

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान **डॉ. वीना प्रधान** थीं तथा अध्यक्षता राजस्थान फाउण्डेशन के उपाध्यक्ष श्री राजीव अरोड़ा ने की। विशिष्ट अतिथि आकाश इंस्टीट्यूट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री जे.डी. चौधरी थे। पुरस्कृत शिक्षक फोरम के महासचिव श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा ने बोर्ड परीक्षा से पूर्व तैयारी के लिए प्रकाशित पुस्तिकाओं के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर डा. वीना प्रधान द्वारा दोनों बोर्ड परीक्षा तैयारी पुस्तिकाओं का विमोचन व निःशुल्क वितरण का शुभारम्भ किया गया। अन्त में विद्यालय की प्रधानाचार्या श्रीमती सुदर्शन कुल्हार ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

कृषि विषय के विद्यार्थियों के लिए सूचना

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा सत्र 2013-14 में कृषि, गृह विज्ञान, उद्यानिकी वानिकी, डेयरी टेक्नोलोजी, फूड टेक्नोलोजी संकायों में प्रवेश हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JET-2013) का आयोजन माह जून 2013 में किया जाएगा। इस हेतु विश्वविद्यालय द्वारा माह मार्च में आनलाईन आवेदन फार्म भरवाये जाएँगे। वे विद्यार्थी जिन्होंने सीनियर सैकण्डरी (10+2) परीक्षा जीव विज्ञान/भौतिक विज्ञान/रसायन विज्ञान/गणित/कृषि विषयों में से किसी एक विषय के साथ उत्तीर्ण की है, परीक्षा में प्रविष्ट हो सकते हैं।

गाय से मिले ऊतक ने बचाई महिला की जान

लंदन। ब्रिटेन की मिशेल मॉर्गन लिवर कैंसर से पीड़ित थीं। उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। बावजूद इसके मिशेल ने हार नहीं मानी। उन्होंने लंदन स्थित एंट्री यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के कैंसर विशेषज्ञों से सम्पर्क किया, जिन्होंने गाय के हृदय से प्राप्त ऊतकों से उनके कैंसरयुक्त लिवर को ठीक कर दिया।

'डेली मेल' के मुताबिक मिशेल में कैंसर की पुष्टि अक्टूबर 2010 में हुई थी। डॉक्टरों ने कहा था कि चूँकि कैंसर आखिरी चरण में पहुँच चुका है, इसलिए उनका इलाज मुमकिन नहीं है। बावजूद इसके मिशेल ने दो महीने बाद सर्जरी करवाई और लिवर में मौजूद ट्यूमर बाहर निकलवा दिया। उसके साथ इंफीरियर वेना कावा (आईवीसी) का भी एक बड़ा हिस्सा निकालना पड़ा, क्योंकि यह भी कैंसर की चपेट में आ गया था। आईवीसी लिवर के पिछले हिस्से में मौजूद प्रमुख नस है, जो शरीर के निचले भाग में दौड़ने वाले खून को हृदय तक पहुँचाती है। इस नस की भरपाई करने के लिए डॉक्टरों ने गाय के हृदय से बोवाइन पेरिकार्डियम नाम के ऊतक निकाले और मिशेल के लिवर में प्रतिरोपित कर दिए। कुछ महीने बाद ये ऊतक आईवीसी में विकसित हो गए और मिशेल का लिवर पूरी तरह से ठीक हो गया।

क्षतिग्रस्त दिल की मरम्मत करेंगी स्टेम कोशिकाएँ

लंदन। चीनी वैज्ञानिकों ने ऊतकों को हृदय की कोशिका में बदलने का एक तरीका खोज लिया है। इसके माध्यम से क्षतिग्रस्त दिल मरम्मत खुद कर लेता है। चीन के अणु विकसित किया है, जो स्टेम सेल्स को दिल की कोशिकाओं में रूपांतरित कर देता है।

चीन वैज्ञानिकों का कहना है कि यह दिल की बीमारियों के इलाज का रास्ता खोल सकता है। डॉ. ताव झोंग ने कहा, दिल के दौरे के मामलों में दिल की मांसपेशियों के पुनरूज्जीवन को प्रेरित करने वाले उपचारों के विकास का जबरदस्त चिकित्सीय प्रभाव होगा।

पासवर्ड याद रखने का झंझट होगा खत्म

लंदन। पासवर्ड याद रखने के झंझट से जल्द मुक्ति मिल जाएगी। टेलीग्राफ के मुताबिक वैज्ञानिक एक ऐसी तकनीक का ईजाद करने में जुटे हैं जिससे कम्प्यूटर किसी शख्स की पहचान उसके हाथ हिलाने के अंदाज से ही कर लेगा। इस तकनीक में लैपटॉप का बायोमीट्रिक सेंसर या टैबलेट कम्प्यूटर किसी शख्स की हथेली के खास अंदाज को स्कैन कर लेगा, ताकि उस व्यक्ति की पहचान का पता लगाया जा सके।

जेब से फोन निकालने की जरूरत नहीं

लंदन। जेब में रखे मोबाइल को बिना निकाले ही इस्तेमाल कर पाना संभव हो जाएगा। ब्रिटेन की एक कम्पनी ने जेगिंग्स नाम की पैंट बनाई है। इसमें पारदर्शी जेब लगाई गई है, जिससे न सिर्फ फोन पर आने वाला एसएम पढ़ा जा सकता है, बल्कि उसका जवाब टाइप करके भी भेजा जा सकता है। हालांकि इसके लिए टच-स्क्रीन मोबाइल होना जरूरी है।

जेगिंग्स का निर्माण 'एलफाइन इंडस्ट्रीज' के विशेषज्ञों ने किया है। उन्होंने पैंट में पॉलीमार से बनी पारदर्शी जेब लगाई है। जब व्यक्ति के पास कोई फोन या मैसेज आएगा, तो वह जेब से बाहर निकाले बगैर ही उस पर बात कर सकेगा या मैसेज पढ़-भेज सकेगा। निर्माताओं के मुताबिक जेगिंग्स की जेब में ईयरफोन के लिए एक छेद बनाया गया है, जिससे तार को बाहर निकालकर संगीत का लुत्फ उठाया जा सकता है। कंपनी के प्रवक्ता ने बताया कि जेगिंग्स जींस की तरह दिखती है। इसे लेगिंग्स की तरह फैलाया जा सकता है। दोनों के मेल को देखते हुए इसे 'जेगिंग्स' नाम दिया गया है। उन्होंने बताया कि जेगिंग्स की जेब में आईफोन, आईपैड और एंड्रॉयड समेत अन्य टचस्क्रीन गैजेट रखे जा सकते हैं। मार्च से इसे बाजार में उपलब्ध करा दिया जाएगा। फिलहाल इसकी कीमत तय नहीं की गई है।

कम्प्यूटर रखेगा दिल पर नजर

वाशिंगटन। दिल के दौरे के खतरे को भाँपने की दिशा में अमेरिकी शोधकर्ताओं को महत्त्वपूर्ण कामयाबी मिली है। उन्होंने ऐसा कम्प्यूटर मॉडल विकसित किया है, जो दिल की धड़कन में आई जरा-सी भी अनियमितता को पकड़ लेगा। इससे दिल के दौरे का अंदाजा पहले ही लगाया जा सकेगा।

दूसरी ओर, इसके आधार पर विभिन्न जीनक्रमों, अलग-अलग दिनचर्या वाले लोगों के लिए बेहतर मॉडल बनाया जाना भी संभव हो जाएगा। अमेरिका के ऑब कार्डियोवैस्कुलर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर मेडिकल सेंटर में असिस्टेंट प्रोफेसर व अगुवा शोधकर्ता कोएली एम लोप्स कहते हैं कि शोध से इस बात के स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि कम्प्यूटर सिमुलेशन के जरिए दिल की धड़कनों में आए किसी भी असामान्य परिवर्तन को पकड़ा जा सकता है।

अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी जर्नल के मुताबिक शोधकर्ता आईबीएम के सुपरकम्प्यूटर का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा मॉडल विकसित करना चाहते हैं तो पूरी तरह से हृदय की कार्यविधियों को प्रदर्शित करता हो। शोध के नतीजों का फायदा उठाते हुए ज्यादा संवेदनशील हृदय का मॉडल बनाया जाएगा।

पेड़ से चार्ज हो जाएगा मोबाइल

लंदन। आज के जमाने में मोबाइल हर वक्त के साथी बन गए हैं। लेकिन, लगातार इस्तेमाल के चलते इनकी बैटरी भी तेजी से समाप्त होती है। ऐसे में मोबाइल को चार्ज करने के लिए आए दिन ही नए-नए तरीके निकाले जाते रहे हैं। फ्रांस के एक डिजायनर ने मोबाइल को चार्ज करने के लिए अनूठा समाधान पेश किया है।

डिजाइनर विवियन मुलर ने एक ऐसा बोनसाई पौधा (बौना पेड़) तैयार किया है जो न केवल कॉफी टेबल की खूबसूरती में इजाफा करेगा बल्कि सौर ऊर्जा का उपयोग करके वह मोबाइल व अन्य छोटे गेजेट्स को चार्ज करेगा। इस पौधे को नाम दिया गया है द इलेक्ट्रिक प्लस। इसमें 27 सिलिकॉन सौर पैनल लगे होते हैं जिन्हें पत्तियाँ कहा जा सकता है। उपयोगकर्ता जरूरत और शैली के हिसाब से इन पत्तियों को सजा सकता है ताकि पौधा अनोखा दिखे।

डिजायनर विवियन के मुताबिक मूल पौधे को देखने के बाद वे यह उत्पाद बनाने के लिए प्रेरित हुए। उन्होंने देखा कि मूल पौधे की पत्तियाँ प्राकृतिक सौर पैनल की तरह काम करती हैं। डेली मेल की खबर के मुताबिक इस उपकरण के आधार में एक बैटरी छिपी रहती है जो सौर ऊर्जा का भंडारण करती है। जब इसमें पूर्ण क्षमता

तक ऊर्जा समाहित हो जाती है तो उससे मोबाइल और आईपॉड जैसे उपकरण चार्ज किए जा सकते हैं।

आलू से चलेगी अलार्म घड़ी

आलू को अलार्म क्लॉक के लिए बैट्री की तरह प्रयोग किया जा सकता है। आलू से एक इलेक्ट्रोकेमिकल बैट्री बनाना संभव है। इसका मतलब है कि 'स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रॉप ट्रांसफर' के जरिये कैमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जा सकता है। प्रयोग के अनुसार, आलू जिंक आयनों और कॉपर आयनों के बीच बफर की तरह काम करता है और इससे इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर संभव हो पाता है। नतीजतन घड़ी के लिए एनर्जी मिलने लगती है।

अमेरिका में पहला ब्रेन पेसमेकर इंप्लांट

जॉन हॉपकिंस मेडीसिन के शोधकर्ताओं ने दिमाग में पेसमेकर जैसा डिवाइस इंप्लांट किया है। यह अमेरिका में इस तरह की पहली सर्जरी है। यह सर्जरी अल्जाइमर्स के मरीज पर की गई है। इससे मरीज की याददाश्त में भी वृद्धि होगी। जॉन हॉपकिंस के शोधकर्ताओं का कहना है कि इस रिसर्च से उन वृद्ध लोगों को भी फायदा मिलेगा जो दिमाग के कमजोर होने से रोजमर्रा के काम भी आसानी से नहीं कर पाते हैं। यह सर्जरी एक क्लीनिकल ट्रायल का हिस्सा है। इस रिसर्च में ड्रग ट्रीटमेंट की तरह दिमाग को बिजली के कम वोल्टेज के चार्जेज देकर मरीजों का उपचार किया जाएगा।

50 से भी ज्यादा बीमारियों की रिपोर्ट एक मिनट में

दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कम्पनी इंटेल ने ऐसी चिप बना ली है, जो सेहत से जुड़ी 50 से ज्यादा परेशानियों के बारे में एक मिनट में बता देगी। बिना खून का एक कतरा लिए। नतीजे पैथालॉजी लैब से ज्यादा सटीक। इस चिप को इंटेल ने स्टैनफोर्ड युनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर बनाया है। जानिए, इससे जुड़े चमत्कार के बारे में .....

ऐसी चिप बनाना भी चमत्कार है : • शरीर में प्रोटीन पेप्टाइड को सीधे सिलिकॉन चिप पर विकसित किया। • हर पेप्टाइड के नीचे माइक्रो-प्रोसेसर रेडी सिलिकॉन चिप लगाई। • पूरी चिप पर हजारों सुपर कम्प्यूटर। हर कम्प्यूटर शरीर की गड़बड़ी की रिपोर्ट भेजने में सक्षम। ○ पूरी चिप एक सुपर पैथॉलाजी।

ये संरचना एक मिमी. के हजारवें हिस्से में है।

इस तरह काम करेगी चिप : 1. एक सेमी. की कट से इस चिप का हाथ या शरीर के किसी भी हिस्से में लगाया जा सकता है। **2.** रोगी कोशिकाओं की पहचान करने में सक्षम है चिप। **3.** खून में बीमारी के लक्षण देखकर विश्लेषण करेगी। **4.** फिलहाल चिप से भेजा गया डाटा एक कम्प्यूटर पर लिया गया। जो बीमारी के मामूली लक्षण का भी सटीक विवरण दे रहा है।

परफेक्ट रिपोर्ट देगी : 9000 पेप्टाइड (प्रोटीन) से सिलिकॉन चिप की सतह बनाई गई। ये पेप्टाइड शरीर में बीमारी पैदा करने वाले प्रोटीन पर नजर रखते हैं।

अब गफलत नहीं होगी : मौजूदा पैथॉलाजी टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद भी डॉक्टरों को नतीजे निकालने में दुविधा का सामना करना पड़ता है।

कब तक लांच होगी : • क्लीनिकल ट्रायल में करीब दो साल का समय लगेगा। उसके बाद ही इसे लांच किया जाएगा। ○ और सुविधाजनक बनाने के लिए वैज्ञानिक चिप के डाटा को स्मार्टफोन पर लेने लायक बना रहे हैं। • जाँच से आगे जाकर चिप के जरिए ही बीमारी के इलाज की तकनीक पर भी किया जा रहा है।

अब आगे क्या : अब पूरी चिप से लिए जाने वाले डाटा को इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन दिया जा रहा है। ताकि सेहत की रिपोर्ट लगातार लाइव मिलती रहे।

रिसर्च टीम की चीफ भारतीय मधु वर्मा, डायरेक्टर, इंटेल बायोसिस्टम ग्रुप ने बताया कि ये तकनीक बीमारियों की पहचान करने के तरीकों में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। जो मौजूदा तरीकों से संभव ही नहीं है।

60 सैकण्ड पहले ही भूकम्प की चेतावनी

अमेरिका के कैलिफॉर्निया स्थित इंस्टीट्यूज ऑफ टेक्नोलॉजी ने ऐसा उपकरण बनाया है, जो भूकम्प आने से 60 सैकण्ड पहले ही भूकम्प की चेतावनी दे देगा। एसबी 135 नामक इस विशेष उपकरण में 2000 से भी अधिक विशेष सेंसर लगे हैं, जो भू-गर्भ में हो रही हलचलों को भाँप लेगा। अमेरिका के जियोलॉजिकल लेब ने भी इसकी जाँच की और 99.9 फीसदी मामलों में इसे सही पाया। इस सिस्टम की कीमत है 80 मिलियन डॉलर। वहीं इसके सालाना रखरखाव का खर्च लगभग 20 मिलियन डॉलर होगा। अभी इसे कैलिफॉर्निया में स्थापित करने की योजना है।

लम्बी उम्र का तोहफा देंगी टमाटर से बनीं गोलियाँ

सब्जी हो या सलाद, टमाटर खाने में स्वाद का रंग भर देते हैं। लेकिन, भोजन को स्वादिष्ट बनाने वाले टमाटरों में सेहत के भी गुण भरे पड़े हैं। शोधकर्ताओं ने ऐसी टमाटर की गोलियाँ बनाई हैं जिनके इस्तेमाल से हृदय व मस्तिष्क आघात का खतरा कम किया जा सकता है।

टमाटर को लाल बनाने वाले पदार्थ लाइकोपिन के इस्तेमाल से शोधकर्ताओं ने ऐसी गोलियाँ तैयार की हैं जो सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं। ये गोलियाँ धमनियों में फैट जमा होने से रोकती हैं जिससे हृदय सम्बन्धी बीमारियों का खतरा कम होता है। दवा को तैयार करने वाले कैंम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने बताया कि यह गोली रक्त नलिकाओं में फैलाव लाती है जिससे शरीर में रक्त प्रवाह बेहतर होता है। साथ ही यह धमनियों में लचीलापन भी पैदा करती है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि हृदय रोगों व स्ट्रोक से होने वाले नुकसान को इस दवा की मदद से नियंत्रित किया जा सकेगा। उन्होंने यह उम्मीद भी जताई है कि इस गोली से डायबिटीज पर भी काबू पाया जा सकेगा, साथ ही कैंसर के फैलने की गति भी धीमा किया जा सकेगा।

शोधकर्ताओं ने बताया कि एक गोली खाने से करीब साढ़े तीन किलोग्राम टमाटर खाने जितना फायदा मिलेगा। अध्ययन के दौरान अलग-अलग प्रतिभागियों पर गोली का परीक्षण किया गया। इनमें हृदय रोगी व स्वस्थ प्रतिभागी शामिल थे। गोली के नियमित सेवन से हृदय रोगियों में रक्त प्रवाह काफी बेहतर हुआ जिससे उनकी सेहत में सुधार देखा गया। इसके अलावा स्वस्थ प्रतिभागियों में भी इस गंभीर बीमारी के घर करने की आशंका कम हो गई।

शिविरा पंचांग माह मार्च, 2013

कार्य दिवस 23 • रविवार 05 • अवकाश 03 • उत्सव 04 • 1 मार्च– दो पारी विद्यालय प्रातः 7 से सायं 6 बजे तक (प्रत्येक पारी 5.30 घंटे)। **07 मार्च**– स्वामी दयानन्द जयन्ती (उत्सव)। **10 मार्च**– महाशिवरात्रि (अवकाश–उत्सव)। 12 ekpZ& डी–वर्मिंग डे। विद्यार्थियों को डी–वर्मिंग दवा देना। **15 मार्च**– विश्व उपभोक्ता दिवस (उत्सव), अक्टूबर से मार्च तक की छात्रवृत्ति का वितरण। **16 मार्च से 30 जून तक**– एक पारी विद्यालय प्रातः 7.30 से दोपहर 12.30 बजे तक। **26 मार्च**– होलिका दहन (अवकाश)। **27 मार्च**– धुलण्डी (अवकाश)। **29 मार्च**– गुडफ्राइडे (अवकाश)। **30 मार्च**– राजस्थान दिवस (उत्सव)। **31 मार्च**– निःशक्त विद्यार्थियों हेतु केन्द्र प्रायोजित समावेशित शिक्षा योजना संबंधी व्यय, बचत एवं लाभान्वित विद्यार्थियों की सूचना जिशिअ (मा) को प्रेषित करना। **नोट :– 1.** माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा आयोज्य कक्षा 10 एवं 12 की परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले विद्यार्थियों हेतु 14 दिवस का परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश रहेगा। **2.** माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के परीक्षा केन्द्र वाले विद्यालयों में परीक्षा के समय कक्षा 1 से 8, 9 एवं 11 के लिए अध्यापन कार्य की समयावधि दोपहर 12.00 से 2.30 बजे तक रहेगी। **3.** शेष प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे।

विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम

माह : मार्च, 2013 **प्रसारण समय : दोपहर 2.40 से 3.00 तक**

दिनांक	वार	आकाशवाणी केन्द्र	कक्षा	विषय	पाठ्यपुस्तक का नाम	पाठ क्रमांक	पाठ का नाम
1.03.2013	शुक्रवार	जोधपुर	4	हिन्दी	हिन्दी	13	मिलकर रहने में है सार
2.03.2013	शनिवार	उदयपुर	8	सामाजिक विज्ञान	हमारे अतीत-III भाग-II	9	महिलाएँ जाति एवं सुधार
4.03.2013	सोमवार	बीकानेर	5	सामाजिक विज्ञान	पर्यावरण अध्ययन प्रथम	13	भारतीय त्यौहार और मेले
5.03.2013	मंगलवार	जयपुर		गैरपाठ्यक्रम			हमारे पर्यटन स्थल
6.03.2013	बुधवार	जोधपुर	7	हिन्दी	बसंत भाग-II	14	खानपान की बदलती तस्वीर
7.03.2013	गुरुवार	उदयपुर		गैरपाठ्यक्रम			स्वामी दयानन्द जयन्ती
8.03.2013	शुक्रवार	बीकानेर	12	हिन्दी	आरोह भाग-II	13	धर्मवीर भारती काले मेघा पानी दे
9.03.2013	शनिवार	जयपुर	7	हिन्दी	बसंत भाग-II	12	कंचा
11.03.2013	सोमवार	जोधपुर		गैरपाठ्यक्रम			योग भगाये रोग
12.03.2013	मंगलवार	उदयपुर	5	हिन्दी	हिन्दी	11	रोशनी
13.03.2013	बुधवार	बीकानेर	6	विज्ञान	विज्ञान	16	कचरा-संग्रहण एवं निपटान
14.03.2013	गुरुवार	जयपुर	10	हिन्दी	क्षितिज भाग-II	14	मन्नू भंडारी एक कहानी यह भी
15.03.2013	शुक्रवार	जोधपुर		गैरपाठ्यक्रम			विश्व उपभोक्ता दिवस
16.03.2013	शनिवार	उदयपुर	5	सामाजिक विज्ञान	पर्यावरण अध्ययन प्रथम	12	कैसे करें जल एवं विद्युत का उपयोग
18.03.2013	सोमवार	बीकानेर	4	सामाजिक विज्ञान	पर्यावरण अध्ययन प्रथम	20	स्थानीय सरकार
19.03.2013	मंगलवार	जयपुर	10	विज्ञान	विज्ञान	14	ऊर्जा के स्रोत
20.03.2013	बुधवार	जोधपुर	10	विज्ञान	विज्ञान	16	प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन
21.03.2013	गुरुवार	उदयपुर	10	संस्कृत	शेमुषी- द्वितीयो भागः	12	जीवनं विभवं विना
22.03.2013	शुक्रवार	बीकानेर	5	हिन्दी	हिन्दी	23	प्रेरणा स्तम्भ
23.03.2013	शनिवार	जयपुर	12	हिन्दी	आरोह भाग-II	16	रजिया सज्जाद जहीर नमक
25.03.2013	सोमवार	जोधपुर		गैरपाठ्यक्रम			होली कैसे खेलें
28.03.2013	गुरुवार	उदयपुर		गैरपाठ्यक्रम			हमारी लोक कलाएं
30.03.2013	शनिवार	बीकानेर		गैरपाठ्यक्रम			राजस्थान दिवस

कोटा

रा.उ.मा.वि., मोड़क गाँव को श्री जयकुमार जैन से 30,000 रुपये नकद प्राप्त हुए। श्री पवन कुमार जैन से 15,000 रुपये नकद प्राप्त हुए तथा ट्यूबवेल के लिए सबमर्सिबल मोटर भी विद्यालय को सप्रेम भेंट। **रा.उ.मा.वि., दीगोद** को श्रीमती स्मिता गुप्ता द्वारा 32,000 रुपये की लागत से एक वाटर कूलर सप्रेम भेंट। श्री बंशीलाल (स.क.) से दो ड्रम (पोषाहार अनाज) लागत 4,000 रुपये प्राप्त हुए। **रा.बा.उ.मा.वि., सीमलिया** में प्रधानाचार्य विमला खरोड़िया के प्रयास से खसरा सं. 476 में रकबा 0.05 हेक्टेयर भूमि दान में प्राप्त हुई जिसकी अनुमानित लागत 6,00,000 रुपये है।

दौसा

रा.उ.मा.वि., डोली का बास में श्री बद्रीप्रसाद मीना द्वारा 50,000 रुपये की लागत से एक सरस्वती मन्दिर का निर्माण, मूर्ति स्थापना सहित एवं शिक्षार्थियों को प्रसाद (भोजन) का आयोजन रखा गया। रामप्रताप मीना द्वारा 51,000 रुपये की लागत से विद्यालय के मुख्यद्वार का निर्माण, लोहे के गेट सहित पूर्ण करवाकर विद्यालय को समर्पित किया। **रा.उ.मा.वि., रेल्वे स्टेशन** में श्री मनोहरलाल गुप्ता (अ.) द्वारा 5,05,959 रुपये 50 पैसे की लागत से 79.47 वर्ग मीटर का एक कक्षा-कक्ष, 70.07 मीटर का एक प्लेटफार्म व एक सरस्वती मन्दिर का निर्माण करवाया गया। **रा.मा.वि., पीलोड़ी (सिकराय)** को जगदीश प्रसाद मीना, आई.ए.एस. एवं श्री श्रीफूल मीना (पूर्व सरपंच) से सिंगल सीटेड फर्नीचर (टेबल+स्टूल) 100 सेट्स लोहे की लागत 80,000 रुपये। विद्यालय स्टाफ, कर्मचारी, अधिकारी, जनप्रतिनिधि ग्राम से स्टूल+टेबल 35 सेट लोहे की लागत 28,000 रुपये। **रा.मा.वि., जसोंता** को श्री रामस्वरूप जायसवाल से एक सबमर्सिबल, विद्यालय का मेन गेट, तथा सात छत पंखे श्रीमती विनोद तंवर व श्री रामावतार तंवर से प्रत्येक से दो-दो छत पंखे, श्रीमती राजेश देवी व श्री प्रभू पटेल (वार्ड पंच) से प्रत्येक से एक-एक छत पंखा प्राप्त हुआ।

धौलपुर

रा.उ.मा.वि., खेरली को श्री अजयपाल सिंह से नकद 5,100 रुपये प्राप्त हुए।

नागौर

रा.मा.वि., बुटाटी को श्री नेमाराम चोयल ठेकेदार से एक माइक सेट लागत 22,000 रुपये। **रा.मा.वि., उदरासर (लाडनूं)** को श्री डूँगर राम भाखर से 5 टेबल, 5 स्टूल लागत 5,000 रुपये, श्री भागीरथ प्रसाद अग्रवाल से एक छत पंखा लागत 1,000 रुपये। जनसहयोग से 15 स्टूल, एक छत पंखा, एक हारमोनियम, एक ढोलक लागत 12,000 रुपये। **रा.मा.वि., छीला** को स्व. श्री चौथमल बुच्चा के परिवार वालों से आठ छत पंखे प्राप्त हुए। श्री टोडाराम व.अ. से दो छत पंखे व 5 प्लास्टिक कुर्सियाँ, श्री मांगीलाल सोनी से एक छत पंखा व चार कुर्सियाँ, श्री लालाराम बरड़ से एक सिंटेक्स टंकी, श्री रूपाराम मूण्ड से एक छत पंखा प्राप्त हुआ। **रा.मा.वि., लैड़ी** को कैलास फाउण्डेशन एल-9/21 फेस-2, डी.एल.एफ.सीटी गुड़गाँव से एक प्रिन्टर सेमसंग (लेजर) एवं दो कम्प्यूटर्स (मय सी.पी.यू., एल.सी.डी. एवं यू.पी.एस.) प्राप्त हुआ। **रा.मा.वि., शिवदानपुरा** को श्रीमती झूमादेवी से 33 सेट टेबल-स्टूल (लकड़ी), एक लोहे की अलमारी, तीन लोहे की टेबलें (6×3 फुट) लागत 61,000 रुपये, समस्त ग्रामवासी (जनसहयोग) शिवदानपुरा से 70 सेट टेबल-स्टूल व 15 अतिरिक्त स्टूलें (लकड़ी) लागत 90,000 रुपये। **रा.मा.वि., डाबड़ा (डीडवाना)** में श्री रामकरण पटवारी द्वारा 6.85 लाख की लागत से दो कक्षा-कक्ष मय बरामदा (18×20)-(2) का निर्माण करवाया गया। श्री टीकूराम सोऊ से नलकूप मय बिजली मोटर लागत 1.20 लाख (एक लाख बीस हजार रुपये), ग्राम विकास समिति के जनसहयोग से 111 टेबल व 114 स्टूल लागत 1 लाख बीस हजार रुपये, श्री पन्नाराम (व्याख्याता) से वाटर-फिल्टर उपकरण लागत दो हजार रुपये, श्री रूपाराम (भू.पू. सरपंच) से 5 छत पंखे ओरियंट लागत सात हजार पाँच सौ रुपये। **रा.प्रा.वि., सं. 10 (बड़ली)** को भारत विकास परिषद नागौर व दानदाता श्री मदनलाल पंवार द्वारा 90 जरूरतमंद छात्र-छात्राओं को गणवेश वितरण किया गया। श्री दरियाव बैंगल्स, राजेन्द्र गहलोत से पानी की मोटर मय नल फिटिंग लागत 50,000 रुपये, एस.एम.सी. (बड़ली) नागौर के आर्थिक सहयोग से एक ऑफिस टेबल, एक राउण्डिंग चेयर, 6 प्लास्टिक कुर्सियाँ, भण्डारण हेतु लोहे के ड्रम नग-2 व एक पी.टी. ड्रम लागत 12,500 रुपये।

पाली

रा.उ.मा.वि., आनन्दपुर कालू में रजनीश ओझा द्वारा एक लाख तिरपन हजार रुपये की लागत से माँ शारदे का मन्दिर निर्माण करवाया गया। **रा.उ.प्रा.वि., न.3 सोजत नगर** में श्री लक्ष्मण राम पालरियां द्वारा एक लाख, इक्कीस हजार रुपये की लागत से भवन निर्माण में आर्थिक सहयोग, श्री गोविन्द कुमार मोयल से एक रिवाईडिंग चेयर लागत 3100 रुपये, श्री दिलीप सिगाडिया से एक गोदरेज आलमारी लागत 3,500 रुपये, श्री विप्लव टांक से एक गोदरेज आलमारी लागत 3500 रुपये, अन्जुमन बैलुतम्लल से कक्षा 6 से 8 तक छात्र-छात्राओं को पुस्तकें लागत 1,600 रुपये, कक्षा आठवीं के छात्र-छात्राओं से तीन ऑफिस चेयर लागत 2,700 रुपये, श्री उगमराज बलाई से वालपेन लागत 1,500 रुपये, सुश्री कुसुम माली से एक छत पंखा लागत 1,100 रुपये।

बाड़मेर

रा.उ.मा.वि., भेडाना में श्री लच्छाराम चौधरी द्वारा 2,00,000 रुपये की लागत से पानी पीने की प्याऊ (जल मंदिर) का निर्माण करवाया गया। **रा.उ.मा.वि., खण्डप** को श्री जैन संघ खंडप से 90,000 रुपये की राशि से आवश्यकता अनुसार (आलमारी फर्नीचर) समारोह में सम्मिलित विभिन्न विद्यालयों हेतु प्रदान की गई। साहित्य प्रेमी श्री मदनलाल, सिरेमल लूंकड से 2,100 रुपये की राशि से साहित्य क्रय हेतु दी गई। श्री देवीसिंह बखतावर सिंह राजपुरोहित से चार छत पंखे व श्री सम्पतराज, धनराज धोका से तीन छत पंखे प्राप्त हुए। श्री जैन संघ खंडप द्वारा प्रत्येक छात्र-छात्रा को एक-एक उत्तर-पुस्तिका व एक-एक कलम लागत 1,500 रुपये। **रा.उ.प्रा.वि., आकल** को सर्वश्री धन्नाराम, गनीखान, जरार खान, रहमान खान, अलीबक्स, अनवर खान, वली मौहम्मद प्रत्येक से एक-एक छत पंखा व प्रत्येक की लागत 1001 रुपये, श्री लीलाराम यादव से 7 कुर्सी लागत 3,500 रुपये।

प्रतिध्वनि

पानी में मीन पियासी ना

*''जिज्ञासु विद्यार्थी बड़ी आशा के साथ आपकी ओर देख रहे हैं। उनका जीवन निर्माण आपके करकमलों में निहित है। शिक्षकों के होते हुए बच्चों की उचित पढ़ाई न होना तो कबीर की उलटबासी **पानी में मीन पियासी रै** की तरह ही होगी। कम संसाधनों के बल पर अधिक परिणाम दिलाने का सुख कुछ और ही होता है। आइए, संकल्प लें कि हम पानी रूपी शिक्षकों के रहते मीन रूपी बालक कतई प्यासे नहीं रहेंगे। हम इस उलटबासी को पलट कर **पानी में मीन पियासी ना** कर देंगे।''*

गत माह, 8 फरवरी 2013 को अजमेर में आयोजित श्रेष्ठ विद्यालय सम्मान समारोह में प्रदेश के उन 61 राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को शिक्षामंत्री महोदय ने सम्मानित किया जिन्होंने प्रचलित सम्मान योजना के अन्तर्गत निर्धारित मानदण्डों के अनुसार राज्य, मण्डल एवं जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। ऐसी योजनाओं का होना बहुत अच्छी बात है। अधिकांश प्रचलित पुरस्कार एवं सम्मान व्यक्ति आधारित देखे जाते हैं अर्थात् व्यक्तियों को उनकी श्रेष्ठ सेवाओं एवं अवदान के लिए पुरस्कृत किया जाता है।

संस्थाओं के लिए भी पुरस्कार हैं, जैसे कि शिक्षा विभाग की प्रसंगानुसार वर्णित योजना, मगर व्यक्तियों के वनिस्पत कम हैं। एक बात और भी ध्यान देने योग्य है और वह है संस्थाओं का अचल एवं अबोल होना। आखिर उनके प्रतिनिधि, सामान्यतः संस्था प्रधान ही तो पुरस्कार/सम्मान ग्रहण करेंगे। ऐसे में मूर्त रूप में तो वे ही दिखेंगे इसमें भी विश्लेषण करें तो कार्यकर्ता का स्थान भी महत्वपूर्ण होता तो गाड़ी चल सकती है; मगर उसे चलाने वाला भी तो होना चाहिए। आप गाड़ी चलाना जानते हैं, गाड़ी चला सकने की कुशलता आप में है, मगर गाड़ी नहीं है तो वह कुशलता किस काम की ? अन्ततः वह विस्मृत हो जाएगी। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के अवलम्बित हैं। इस समीक्षा के आधार पर सम्मानित 61 राजकीय विद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध मानव संसाधन यानी संस्थाप्रधान व उनकी टीम, छात्र-छात्राएँ, विद्यालय प्रबन्ध समिति, अभिभावक, भामाशाह एवं समाज का समग्र पर्यावरण सभी बधाई के अधिकारी हैं। शिविरा का उन्हें प्रणाम। ये विद्यालय तो आगे बढ़ें हीं, साथ ही राज्य के अन्य विद्यालय भी इनसे प्रेरणा लेकर उन जैसा बनने का प्रयास करें। सम्मान व पुरस्कार योजनाएँ चलाए जाने के पीछे यही उद्देश्य होता है।

विद्यालयों की चर्चा करते समय एक दृष्टांत का उल्लेख किया जाना उपयुक्त होगा। एक बार कोई दार्शनिक किसी अन्य देश के सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए गए। समाज का अध्ययन करना कोई आसान काम नहीं होता। सो उन दार्शनिक महोदय ने अपने अध्ययन-उपकरण (Study tools) डिजाइन किए। यात्रा के दौरान संयोगवश उन्हें सहयात्री के रूप में उस देश के एक सज्जन मिल गए। बातचीत में दार्शनिक ने अपनी यात्रा का उद्देश्य एवं उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की गई तैयारी का उल्लेख उन सज्जन के साथ शेयर किया। यहाँ उन सज्जन का कथन ध्यान देने योग्य है। उन्होंने गम्भीरतापूर्वक कहा, 'महोदय, समाज का अध्ययन करने के लिए इतना करने की जरूरत नहीं है। आप तो बस हमारे समाज के विद्यालयों का अध्ययन कर लें। उनसे आपको समाज की स्थिति व स्तर का पता चल जाएगा। कितनी पते की बात कही गई है– 'समाज को देखना है तो स्कूल को देख लो'। हमारे शिक्षाशास्त्रियों ने कहा कि विद्यालय समाज के दर्पण। विद्यालय रुग्ण है तो वह समाज स्वस्थ नहीं हो सकता। समाज की खुशहाली स्कूलों की खुशहाली में निर्भर करती है।

इसी अंक के दिशाकल्प को कृपया इस प्रसंग में देखिएगा। शिक्षा से जुड़े विभिन्न घटकों एवं उनके उत्तरदायित्वों का जिक्र करते हुए संसाधन एवं सम्मान दिलाने का कार्य समाज व सरकार का बताया गया है। सरकार अपना उत्तरदायित्व पूरा कर रही है। शिक्षकों को विगत पाँच दशक से अत्यन्त गरिमामय तरीके से राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर विभूषित किया जा रहा है और अब विद्यालयों का भी सम्मान, और वह भी पूरी वस्तुनिष्ठता (objectivity) के साथ हमें हमारे कर्तव्य का पूर्ण निष्ठा एवं परिश्रमपूर्वक निर्वहन करना ही चाहिए। अब तो वेतन भत्तों के रूप में भी काफी अच्छा मिल रहा है। संसाधन भी पहले से बेहतर हैं। स्कूलों की संख्या बढ़ने से पदस्थापन भी पहले की तुलना में सुविधाजनक हो रहे हैं। यातायात के साधनों ने एक तरह से दूरियाँ कम कर दी है।

सीमावर्ती जिले श्रीगंगानगर के 40 जीबी जैसे छोटे से गाँव का राज्यस्तर पर लगातार चौथी बार प्रथम स्थान पर रहना विद्यालय परिवार की कार्य कुशलता, परिश्रम एवं समर्पणपूर्वक प्रतिबद्धता को प्रकट करता है। यहाँ भी पदरिक्त होंगे। विभाग एवं प्रशासन के द्वारा आदेशित विविध उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए फैकल्टी को जाना भी पड़ता होगा। हारी-बीमारी आदि कारणों से छुट्टी भी लेते होंगे। मगर मानसिक स्वच्छता एवं प्रफुल्लता के बल पर क्या नहीं हो सकता। कदाचित ऐसी ही ताकत के धनी होंगे विद्यालयकर्मी। यह विद्यालय किसी तीर्थ स्थान से कम नहीं है। हम शिक्षा से जुड़े लोगों को घूमने-फिरने के लिए कहीं और न जाकर ऐसे विद्यालयों में जाना चाहिए। इनकी सफलता की कहानी लिखकर प्रकाशित-प्रसारित की जानी चाहिए।

एक बात और, अजमेर में आयोजित श्रेष्ठ विद्यालय सम्मान समारोह में हमारे परिवार प्रमुख माननीय शिक्षामंत्री श्री बृजकिशोर जी शर्मा ने हम राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों से अतिरिक्त परिश्रम से कार्य करने की अपील की है। उनकी अपील एवं अपेक्षा सर्वथा उपयुक्त है। आर्थिक जटिलता के इस कठिन दौर में राजकीय सेवा में, और वह भी शिक्षा जैसे पावन व्यवसाय में अवसर मिलना सौभाग्य की बात है। केवल मन बनाने की बात है। जिज्ञासु विद्यार्थी बड़ी आशा के साथ आपकी ओर देख रहे हैं। उनका जीवन निर्माण आपके करकमलों में निहित है। शिक्षकों के होते हुए बच्चों की उचित पढ़ाई न होना तो कबीर की उलटबासी ***पानी में मीन पियासी रै*** की तरह ही होगी। कम संसाधनों के बल पर अधिक परिणाम दिलाने का सुख कुछ और ही होता है। आइए, संकल्प लें कि हम पानी रूपी शिक्षकों के रहते मीन रूपी बालक कतई प्यासे नहीं रहेंगे। हम इस उलटबासी को पलट कर **पानी में मीन पियासी ना** कर देंगे। शिक्षक कोई सामान्य व्यक्ति अथवा कार्मिक नहीं होता। वह तो युगपुरुष होता है। समकालीन पीढ़ी पर उसका प्रभाव होता है। उसका संकल्प पत्थर को पानी बना सकता है। जड़वत को मतिवान बना सकता है। हम न केवल उन्हें अंक अक्षर का ज्ञान देकर जीविकोपार्जन के लायक ही बनाएँगे अपितु उत्तम नैतिक संस्कारों का उनमें बीजारोपण करके स्वस्थ समाज - उत्तम राष्ट्र का लक्ष्य पूरा करेंगे। ऐसे उत्तम शिक्षकों एवं आदर्श संस्थाओं का कोटि-कोटि वंदन-अभिनंदन एवं राज्य, मण्डल एवं जिला स्तर पर सम्मानित हुए सभी विद्यालयों के प्रति अशेष मंगलकामनाएँ।

–ओमप्रकाश सारस्वत, वरिष्ठ सम्पादक
E-mail: opsaraswat58@gmail.com

प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक डॉ. वीना प्रधान द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ एज्यूकेशन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, बीकानेर के लिए माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर- 334011 से प्रकाशित एवं कोटावाला ऑफसेट, 82, सुदर्शनपुरा, इण्डस्ट्रियल एरिया, जयपुर से मुद्रित। © प्रधान सम्पादक : डॉ. वीना प्रधान

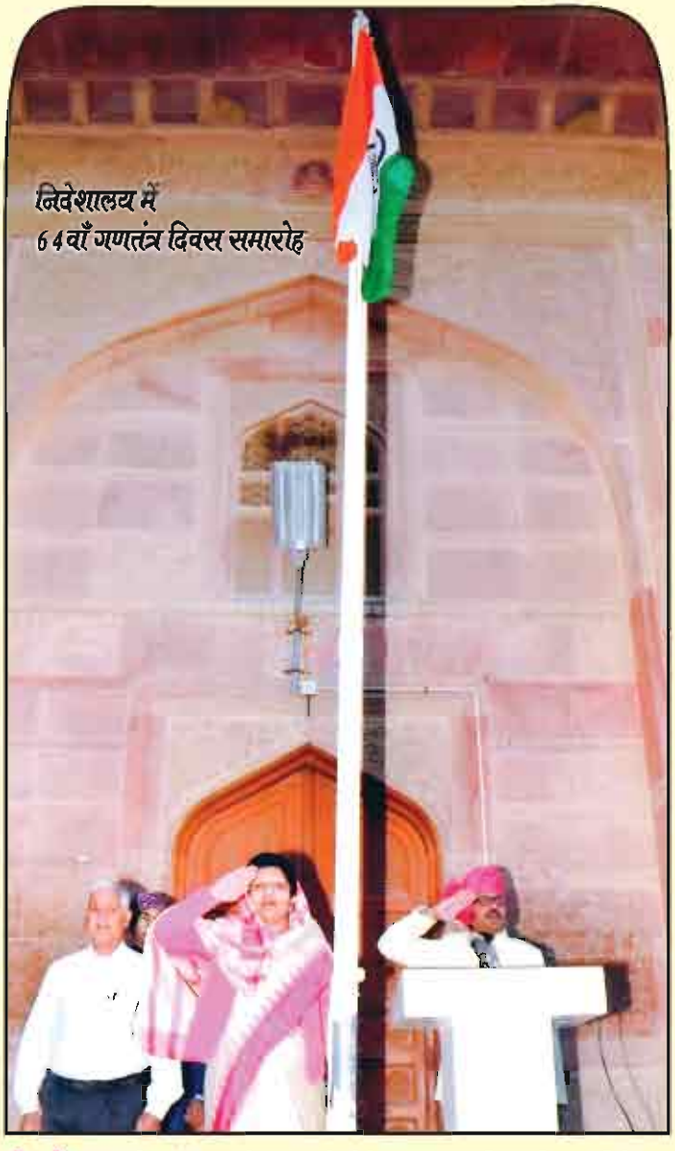

बीकानेर : राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. वीना प्रधान एवं प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक डॉ. रविकुमार सुरपुर।

दिल्ली : महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी से नेशनल आई.सी.टी. अवार्ड प्राप्त करते हुए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सिलवाला खुर्द (हनुमानगढ़) के प्रधानाचार्य श्री हरि कृष्ण आर्य (अब सेवानिवृत्त)।

जयपुर : माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. वीना प्रधान के मुख्य आतिथ्य में रा.उ.मा. विद्यालय लूनियावास, जयपुर के छात्र-छात्राओं को स्वेटर वितरण, साथ हैं विशिष्ट अतिथि राज्य संगठन आयुक्त स्काउट श्री विनोद शर्मा।

बाँसवाड़ा : राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, नई आबादी, बाँसवाड़ा में 'कैरियर डे' को युवा दिवस के रूप में मनाया गया।

भीलवाड़ा : राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जैतपुरा कोटड़ी (भीलवाड़ा) द्वारा विश्व हाथ धुलाई दिवस मनाया गया।

डाक पंजीयन संख्या
RJ/JPC/M-29/2011-13

शिविरा पत्रिका (मासिक) मार्च, 2013
प्रकाशन तिथि : 2 मार्च, 2013 पृष्ठ 52
प्रेषण : हर माह की 5, 6 तारीख

समाचार-पत्र पंजीयन संख्या
10350/66

हमारी सांस्कृतिक धरोहर

जूनागढ़ किला, बीकानेर

यह है थार नगरी बीकानेर का विश्व प्रसिद्ध किला - जूनागढ़। शहर के प्रमुख स्थल जिला कलक्टर कार्यालय के समीप स्थित यह भव्य दुर्ग सैलानियों को सहज ही में अपनी ओर आकर्षित करने वाला है। विशाल भू-भाग पर फैले जूनागढ़ किले का निर्माण बीकानेर रियासत के छठें शासक महाराजा रायसिंह (1571-1612) द्वारा करवाया गया जो वास्तु व शिल्प का उत्कृष्ट नमूना है। किले में दुलमेरा के लाल बलुआ पत्थर पर वहाँ की सलाटिया जाति के लोगों द्वारा उकेरी फूल-पत्तियों की आकृतियाँ बड़ी मनमोहक हैं जो यहाँ मेहराब जाली झरोखों पर देखी जा सकती हैं। किले में सुन्दर नक्काशी चित्रकारी, बारीक पत्थर का कार्य, सुरक्षा की अभेद्य व्यवस्थाएँ अद्भुत एवं विस्मय कराने वाली हैं। गोलाई में बने विशाल जूनागढ़ किले के चारों ओर गहरी खाई बनी है, तात्कालिक समय में सुरक्षा की दृष्टि से इस खाई का योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण माना जाता था।

साभार : मूलचन्द कुमावत, प्रधानाध्यापक, कुम्हारों का मौहल्ला, भीनासर, बीकानेर